राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, दिनांक-७ सितम्बर, १९५३।

सदन का कार्य प्रातः ८-३५ बजे प्रारम्भ हुआ—

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४१

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कृषि विभाग ने सन् १९५३ में कोई मोटर ट्रक खरीदे हैं ?

(२) क्या उपरोक्त ट्रक खरीदने के सिलसिले में कोई विभागीय अफसर हवाई जहाज से कलकत्ता गया था ?

(३) अगर हां, तो उपरोक्त अफसर का खर्चा किसने वहन किया और किस आधार पर ऐसा किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(१) हां, ११ ट्रक खरीदे गये।

(२) इन ट्रकों के निरीक्षण के लिए एग्रीकल्चर इन्जीनियर हवाई जहाज से कलकत्ता गये थे जिसका खर्चा मुआयदा के अनुसार कंपनी ने दिया।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार के कोई ऐसे रूल्स हैं कि इस तरह कंपनी खर्चा बर्दाश्त करे ? क्या जो खर्चा कंपनी द्वारा दिया गया उतनी कीमत ट्रक्स की खरीदने में कम नहीं हो सकती थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कम्पनी से जो मुआयदा हुआ उसके अनुसार पहले ही यह तय हो गया था कि ट्रक्स की कीमत में भी कमी की जाय।

श्री जवानसिंह—मेरा सवाल यह था कि उपरोक्त अफसर के कलकत्ता जाने में जो खर्च हुआ क्या वह खर्चे की कीमत ट्रक्स की कीमतों में कमी नहीं हो सकती थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—टी. ए., डी. ए., का खर्चा नहीं होना, यह एक प्रकार से ट्रक्स की कीमत में ही कम होगया ?

श्री जवानसिंह—क्या उन इन्जीनियर साहब का इसके लिए कलकत्ता जाना आवश्यक था ?

Page No.2

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हां, ये ट्रक्स देखने आवश्यक थे ।

मेजर श्रापजी श्री रघुराजसिंह—क्या ये ट्रक्स नये थे या पुराने ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नये नहीं थे, थोडे बहुत काम में आये हुए थे ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या इससे यह समझा जाय कि टी. ए., डी. ए., कलकत्ता का सरकार ने नहीं दिया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब आने जाने का खर्चा कम्पनी ने दिया तो टी.ए. का तो सवाल ही नहीं उठता । डी. ए. के लिए में जानकारी करके बता सकता हूं ।

श्री राज हिम्मतसिंह—क्या जो इन्जीनियर कलकत्ता गये थे क्या वे मोटर मेकेनिज्म के एक्सपर्ट थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां ।

श्री जवानसिंह—मेरे प्रश्न भाग ३ का उत्तर नहीं मिला, जिसमें डी.ए. का भी सवाल था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका प्रश्न यह था, "विभागीय अफसर हवाई यात्रा से कलकत्ता गये ? अगर हां तो उपरोक्त अफसर का खर्चा किसने वहन किया और किस आधार पर ऐसा किया गया ?"

श्री जवानसिंह—जैसा कि सरकार द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि सरकारी अफसर के कलकत्ता आने जाने का खर्चा कंपनी ने बरदाश्त किया तो उन्होंने टी. ए. व डी. ए. भी सरकार से वसूल किया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जानकारी प्राप्त करके ही दे सकता हूं ।

श्री जवानसिंह—आप कब तक इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपकी जानकारी के लिए कल ही दे सकता हूं ।

श्री राज हिम्मतसिंह—क्या यह करप्शन की तारीफ में नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! आर्डर !!

प्रश्न संख्या ४२

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.3

[श्री जवानसिंह]

(क) सिरोही अनादरा (रोड) क्यों नहीं जल्द ही बनाई जा रही है जब कि उसका कुछ हिस्सा बन गया है ?

(ख) सिरोही रामसीन रोड बनाने के लिये कौनसा रास्ता तय हुआ है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(क) बजट में प्रोविजन होने पर ही सिरोही-अनादरा सड़क पूरी कराई जा सकती है ।

(ख) सिरोही-रामसीन (कालिन्दरी) के लिये अभी मार्ग निश्चित नहीं किया गया है ।

श्री जवानसिंह—यह सिरोही और अनादरा की सड़क कब बनना शुरू हुई ?

श्री भोलानाथ—पिछले बजट में इसका प्रोविजन नहीं था; लेकिन अब विचार कर रहे हैं, शायद जल्दी ही शुरू कर दी जायगी ।

श्री जवानसिंह—"जल्दी" का मतलब क्या इसी साल से है ?

श्री भोलानाथ—हां, इसी साल से है ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या बजट में प्रोविजन नहीं होने पर भी गवर्नमेण्ट इसे बनाने की चेष्टा कर रही है ?

श्री भोलानाथ—रिवाइज्ड बजट (Revised Budget) भी आ सकता है । भारत सरकार से भी लिखा पढ़ी चल रही है और कुछ रुपया वहां से मिलने की संभावना हो रही है ।

श्री छतरसिंह—क्या यह रामसीन से भी मिला दी जायगी ? (अश्रव्य)

श्री भोलानाथ—हमारे पास यह सूचना नहीं थी कि वह कितने माईल है ।

श्री जवानसिंह—सिरोही-रामसीन सड़क जो है इसकी स्टेज क्या है ?

श्री भोलानाथ—इसकी मेरे पास सूचना नहीं है, क्योंकि सड़क निश्चित नहीं हुई है ।

श्री जवानसिंह—इस ओर कोई कार्यवाही भी की गई है या नहीं ?

श्री भोलानाथ—कोई नहीं की गई है ।

श्री जवानसिंह—इसका मतलब यह है कि कतई नहीं की गई है, यह माना जाय ?

श्री भोलानाथ—मेरे खयाल से अभी कोई एस्टिमेट या एलाईनमेण्ट की संभावना नहीं है । यह सड़क निश्चित होने के बाद में पेश करेंगे ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही नहीं है कि एक दफा यह रोड निश्चित हो चुकी है और अब दूसरी-दफा रोड निश्चित करने का इरादा सरकार का है ?

श्री भोलानाथ—सुपरिन्टेण्डिंग इंजीनियर ने यह लिखा है कि आप लोगों के रिप्रेजेन्टेशन्स जरूर आये हैं, ऐसी उनकी रिपोर्ट है—The question is already under consideration and some of the representations have been received..........

(एक ओर से धीमी सी कुछ आवाज आई जो पूर्णतया अश्रव्य रही)

श्री भोलानाथ—The question is already under consideration and some of the representations have been received....The question is being enquired into by the Superintending Engineer, Buildings & Roads, Jodhpur, who will take into account all these representations and other points while proposing an alignment of the road.

श्री जवानसिंह—जोधपुर के सुपरिन्टेण्डिंग इंजीनियर (Superintending Engineer) यह कार्यवाही कब तक करेंगे ?

श्री भोलानाथ—वह तो कर रहे होंगे ।

प्रश्न संख्या ४३

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) डि० बोर्ड सेस कहां कहां किस वर्ष से वसूल किया जा रहा है ?

(२) डि० बोर्ड सेस से हर देह में (जहां से यह वसूल हुआ है) क्या क्या कार्य किये गये हैं और उस देह की जनता को क्या क्या लाभ हुए ?

(३) अगर हर देह को लाभ न हो सका तो क्या सरकार जिस कदर रकम जिस देह से वसूल होती है उस कदर रकम कम से कम उस जनता के लाभार्थ खर्च करने का विचार रखती है ?

(४) डि०बोर्ड की आय व्यय की सरकारी तौर से आडिट होकर वार्षिक रिपोर्ट ईयरवाईज हाउस के समक्ष रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) डि० बोर्ड सेस निम्नलिखित स्थानों पर लागू है:—

जयपुर, झुंझनू, सीकर, टौंक, सवाई माधोपुर ..	.. सन् १९४८ से
बीकानेर, गंगानगर, चुरू	.. सन् १९३१ से

(२) यह आवश्यक नहीं है कि डि० बोर्ड सेस जिस देह से वसूल किये जावें उतने का कार्य उस देह में किया जावे । सेस डि० बोर्ड के निहित कार्यों में खर्च करने के लिये वसूल किया जाता है डि०

Page No.5

[श्री रामकरण जोशी]

बोर्ड क्या क्या कार्य करे इसके लिये उसको एक्ट के अन्तर्गत पूर्ण स्वतन्त्रता है। अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि जितनी रकम किसी एक देह से वसूल की गई हो उतनी ही रकम उस देह के लाभार्थ व्यय की जावे।

(३) यह आवश्यक नहीं है।

(४) डि. बोर्ड के आय व्यय की वार्षिक आडिट रिपोर्ट अभी नहीं छपी है छपने पर हाउस के सामने रखी जा सकती है।

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या जो रकम वसूल की जाती है वह उसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में खर्च की जाती है ?

श्री रामकरण जोशी—जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो १ लाख रुपया बकाया पड़ा है उसको खर्च करने की आज्ञा क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री रामकरण जोशी—कोई रुकावट नहीं है, उनको आज्ञा देने में।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या उसे गंगानगर म्युनिसिपैलिटी को देने के विषय में सरकार सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रुपया अरबन पापुलेशन (Urban Population) के हिसाब में खर्च नहीं किया जाता है, क्योंकि वह किसानों से वसूल किया जाता है; वह र्‌युरल एरिया में ही खर्च किया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या उस रुपये को गंगानगर म्युनिसिपैलिटी में खर्च करने के लिये सरकार नहीं सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी—अभी इस किस्म की कोई मांग सामने नहीं आई है।

श्री जसवन्तसिंह—यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मांग का सवाल ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के लोगों से तो सेस (Cess) वसूल किया जायगा और शहरों से नहीं तो म्युनिसिपैलिटी के कहने का सवाल कहां से पैदा होता है ?

श्री रामकरण जोशी—सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रुपये के बारे में कि उसको कहां खर्च करना चाहिये। इसके बारे में सरकार के पास कोई मांग आये तभी तो वह विचार कर सकती है और विचार के बाद जो निर्णय होगा वह देगी।

श्री रावराजा सरदारसिंह—उनियारे में से अब तक कितनी रकम वसूल हुई और उनियारे की कॉन्स्टिट्युएन्सी (Constituency) में कितनी रकम सरकार ने खर्च की ?

Page No.6

श्री रामकरण जोशी—कान्स्टिट्युएन्सी वाईज (Constituency wise) आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपको दे दूंगा।

श्री भैरूंसिंह (वि. संख्या १६)—इस प्रश्न के चौथे हिस्से का जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—The member tabling the question has a prior right to put supplementaries.

श्री रावराजा सरदारसिंह—मेरे प्रश्न का जो चौथा सवाल है उसका जवाब नहीं मिला है।

श्री रामकरण जोशी—डि० बोर्ड की आय-व्यय का वार्षिक आडिट हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट अभी छपी नहीं है। रिपोर्ट छपने पर हाउस के सामने रख दी जायगी।

श्री रावराजा सरदारसिंह—कब तक रख दी जायगी ?

श्री रामकरण जोशी—शीघ्र ही।

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)—क्या यह सच है कि अभी तक ऑडिट का कार्य शुरू नहीं हुआ।

श्री रामकरण जोशी—यह गलत है।

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)—क्या आप यह बता सकेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऑडिट (Audit) हो गया है ?

श्री रामकरण जोशी—जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर (कुछ रुककर) टोंक और झुंझुनू इन सबका हो चुका है।

श्री राज हिम्मतसिंह (वि. संख्या ६१)—टोंक और झुंझुनू को दुबारा कहने से मालूम पड़ता है कि आप असमन्जस में पड़ गये हैं।

श्री रामकरण जोशी—'असमन्जस' तो कुछ नहीं, लेकिन बीकानेर, चूरू और गंगानगर के नाम बीच में आगये थे।

श्री ठा० भीमसिंह—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेस देने वाला ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य हो सकता है या उनके अलावा भी हो सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—अभी वह इलेक्शन का टाइम नहीं है। उस टाइम पर वही खड़ा हो सकेगा जिसका कि वहां की वोटर लिस्ट में नाम है।

श्री ठा० भीमसिंह—इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेस देने वाला ही होता है या उसके अलावा नोमिनेटेड (Nominated) सदस्य भी होते हैं।

Page No.7

श्री रामकरण जोशी—ऐसा तो कहीं नहीं है कि सेस देने वाला ही होगा और दूसरा नहीं होगा।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ऑडिट हो चुका है ?

श्री रामकरण जोशी—गंगानगर में सन् ५१ तक का आडिट हुआ है।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—क्या म्युनिसिपल टाउन्स के रहने वाले भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर बना दिये जा सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल ही नहीं उठता है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हुए।

श्री ठा० भीमसिंह—क्या हम यह समझें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सेस नहीं देने वाला भी सदस्य हो जायगा ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अन्दर है।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—क्या यह प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि एक म्युनिसिपेलिटी म रहने वाले को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर बना दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—Order ; Next

प्रश्न संख्या ४४

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) दूनी ग्राम में ग्राम पंचायत का चुनाव हो जाने पर भी ग्राम पंचायत आफिस में ४-६-१६५२ से क्योंकर ताला लगा दिया गया ?

(२) कार्य चालू कराने के विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(३) पंचायत का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) इस पंचायत का नया चुनाव हो चुका और १०-२-५३ को नव निर्वाचित पंचों को कार्यारम्भ करने का आदेश दे दिया गया है। कार्य बंद होने की कोई सूचना नहीं है फिर भी इस संबन्ध में जांच की जा रही है। नया चुनाव न होने के पूर्व कुछ समय के लिए अवश्य कार्य बंद रहा था, जो गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा उपद्रव करने से हुआ था।

(२) उपरोक्त उत्तर के पश्चात् इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं।

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या चीफ पंचायत ऑफिसर को भेजकर वहां काम नहीं हो रहा है। इसके कारण की जांच करवाई या नहीं कि वहां काम क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री रामकरण जोशी—काम हो रहा है १०-२-५३ से ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—तो क्या यह सवाल आने के बाद काम शुरू किया गया ?

श्री अध्यक्ष—१०-२-५३ से ।

श्री रामकरण जोशी—१०-२-५३ से ।

श्री तनसिंह—क्या यह सही है कि ४-६-५२ से जैसा कि प्रश्न से मालूम होता है, उस पंचायत में ताला लगा हुआ था ?

श्री रामकरण जोशी—कुछ समय के लिए काम बंद हुआ था, यही मैंने आपके सामने बताया ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—ताला जो लगाया गया वह मोहरत से लगाया गया था या यों ही लगा हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Next.

प्रश्न संख्या ४५

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या कृषि विभाग के "नो प्रोफिट, नो लॉस" के आधार पर कार्य संचालन के कोई रूल्स बने हुए हैं और यदि हैं तो क्या उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखी जायगी ?

(ब) अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(स) इनके (नो प्रोफिट, नो लॉस) तहत क्या क्या मशीनरी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—(अ) No profit, no loss पर काम करने के बाकायदा नियम नहीं बने हुए हैं । जितना खर्चा होता है वह मय डिप्रिसियेशन के जो काश्तकार मशीनरी को काम में लाते हैं उनसे वसूल किया जाता है । अकाउन्टेण्ट जनरल, राजस्थान से इस मामले में राय ली जा रही है और यदि बाकायदा नियम बनाना उनकी राय में जरूरी हुआ तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(स) मशीनरी की तफसील निम्न प्रकार है:—

(१) कम्प्रेशर ।

(२) ड्रिलिंग रिक्स ।

(३) बुल डोजर ।

(४) ट्रेक्टर्स ।

श्री जवानसिंह—"No profit, no loss (न लाभ न हानि)" के बेसिस पर कब से काम चल रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—करीब दो साल से इस बेसिस पर काम चल रहा है ।

श्री जवानसिंह—इन दो सालों में, जैसा कि आपने बताया, बिना किसी रूल्स के किस आधार से काम किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"नो प्रोफिट, नो लॉस" के आधार पर काम किया गया ।

श्री जवानसिंह—जब रूल्स नहीं बनाये गये हैं तो किस आधार पर काम किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया था कि "नो प्रोफिट, नो लॉस' के आधार पर काम किया गया ।

श्री संतोषसिंह—"नो प्रोफिट, नो लॉस" का आधार क्या सरकार के लिये ही है या किसानों के लिये भी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने उत्तर में अर्ज किया था कि किसानों के लिये भी यह आधार है ।

श्री संतोषसिंह—यदि ऐसा है तो एक जगह बोरिंग मशीन गई थी और वहां पर ४० फीट खुदाई करनी थी लेकिन उसके बजाय २० फीट खुदाई हुई और पूरे ४० फीट के रुपये ३५०) ले लिये गये; ऐसा क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप यह प्रश्न शायद अंडर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के सिलसिले में पूछ रहे हैं ?

श्री जवानसिंह—प्रश्न के (स) भाग का उत्तर नहीं आया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका उत्तर मैंने दे दिया था । कंप्रेसर, ड्रिलिंग रिक्स, बुलडोजर्स, और ट्रेक्टर्स हैं ।

श्री जवानसिंह—ये कितने कितने हैं, यह नहीं बतलाया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बारे में इसी सदन के पिछले अधिवेशन में मैंने अर्ज किया था कि इनकी संख्या कितनी कितनी है ।

श्री जवानसिंह—क्या आप इस समय इत्तला नहीं दे सकते ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Next.

प्रश्न संख्या ४६

श्री गुरदयालसिंह सन्धु—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

भाखरा नांगल योजना से गंगानगर के देहातों को कितनी बिजली मिलगी और कब तक मिलेगी ?

[श्री गुरूजयालसिंह संधु]

भाखरा नांगल योजना से अधिक से अधिक लोड १५,००० किलोवाट की मांग की गई थी। इस क्षेत्र का लोड सर्वे राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था जिसका निरीक्षण भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण समाप्त होने पर यह निश्चय रूप से बतलाया जा सकेगा कि नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी कितनी विद्युत शक्ति दी जा सकेगी।

यह आशा की जाती है कि सन् १९५४ के अन्त तक यह विद्युत शक्ति प्राप्त हो सकेगी किन्तु निश्चित तिथि अभी नहीं बतलाई जा सकती।

श्री संतोषसिंह—यह जो १७ हजार किलोवाट बिजली की मांग की गई है वह किस आधार पर और किस किस एरिया में जायगी ?

श्री भोलानाथ—यह तो राजगढ़ तक जायगी।

श्री संतोषसिंह—सिर्फ राजगढ़ में १७००० किलोवाट बिजली खर्च हो जायगी ?

श्री भोलानाथ—१७००० किलोवाट नहीं है १५००० किलोवाट है। यह गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के भादरा, नोहर, राजगढ़ तक जायगी और यदि ज्यादा लोड संभव हुआ तो रामगढ़ तक जायगी।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु—क्या यह बिजली गंगानगर के देहातों में भी दी जायगी ?

श्री भोलानाथ—यह गांवों में भी दी जायगी।

श्री जसवन्तसिंह—गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से हल्के में बिजली दी जायगी ?

श्री भोलानाथ—पूरे ही डिस्ट्रिक्ट में।

श्री संतोषसिंह—जब कि यह बिजली दी जायगी तो क्या पहले इसकी रेट के बारे में भी कुछ तय कर लिया गया है ?

श्री भोलानाथ—विशेषज्ञ लोग इस बारे में जांच कर रहे हैं ?

श्री संतोषसिंह—पहले रेट तय हो जानी चाहिये। बिजली देने के बाद आपने यदि ब आना युनिट लगा दिया तो बड़ी मुश्किल हो जायगी।

श्री भोलानाथ—इस बारे में जांच की जा रही है।

श्री संतोषसिंह—यदि पहले बिजली देंगे और बाद में रेट तय करेंगे तो अगर बिजली लेने वालों को पूरती नहीं (व्यय सहन नहीं कर सके) तो वह किस काम की ? इसलिये पहले रेट तय करके फिर दें।

Page No.11

श्री भोलानाथ—रेट पहले तय हो रही है और वह इकोनोमिकल ही होगी।

श्री संतोषसिंह—अगर रेट ८ आना युनिट तय हुई तो किस काम की ?

श्री भोलानाथ—६ आना युनिट तो अब भी मिल रही है वह तो इससे सस्ती ही होगी। यह २ आना ६ पैसा या ४ पैसा युनिट होगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में जितनी बिजली मिलेगी क्या उसका परसेन्टेज निकाला गया है ?

श्री भोलानाथ—जितनी बिजली मांगी गई है उसकी तादाद बताई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मेरा मतलब है कि कितने परसेन्ट मिलेगी ?

श्री भोलानाथ—मैंने एग्जेक्ट किलोवाट बतलाया है। प्रतिशत का हिसाब मेरे पास नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह प्रश्न साफ है कि भाखरा-नांगल से कितनी बिजली मिलेगी; क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कितने परसेन्ट बिजली देंगे ?

श्री भोलानाथ—कुल पॉवर तैयार होगा उसी के आधार पर परसेन्ट होगा।

श्री देवीसिंह—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी बिजली पैदा होगी ?

श्री भोलानाथ—इसके फिगर्स मेरे पास नहीं है।

(प्रश्न संख्या ४७ का उत्तर इन प्रश्नों के अन्त में देखिये)

प्रश्न संख्या ४८

श्री जवानसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सिरोही चिकित्सालय के मौजूदा डी. एम. ओ. को कुछ ही अर्से पहिले सिरोही से जयपुर जनता की शिकायतों पर तब्दील किया था ?

(ब) अगर हां, तो उन्हीं महोदय को वापिस सिरोही क्यों भेजा गया जब कि सिरोही की जनता उनसे अप्रसन्न है ?

श्री रामकरण जोशी—(अ) हां।

(ब) डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर के आवेदन करने पर कि वे बिना चार्ज शीट दिये पदच्युत नहीं किये जा सकते और चूंकि स्वास्थ्य विभाग का नया सेट अप शीघ्र ही कार्यान्वित होने जा रहा है यह सम्यक नहीं समझा गया कि उन्हें कहीं अन्यत्र लगाया जावे। इसलिये जब तक कि नया सेट अप कार्यान्वित न हो उन्हें सिरोही ही रहने दिया गया।

Page No.12

श्री जवानसिंह—प्रश्न यह है कि जब उनके खिलाफ शिकायत थी और उसी वजह से उनका ट्रान्सफर हुआ था तो फिर उनको वापिस सिरोही ही क्यों भेजा गया ? क्या अन्यत्र नहीं भेजा जा सकते थे ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने इसका जवाब दिया है कि उनके खिलाफ कुछ शिकायतें थीं पर उनको चार्ज शीट नहीं दिया जा सकता था और वे चाहते थे कि चार्ज शीट मिलना चाहिये। क्योंकि मैडिकल का नया सेटअप निकलने वाला है इसलिये उन्हें तब तक के लिये वापिस भेजा गया।

श्री जवानसिंह—जब कि वहां की जनता की शिकायत उनके खिलाफ आई तो उन्हें वापिस वहीं क्यों भेजा गया, कहीं और भेजे जा सकते थे ? क्या यह उचित नहीं था कि उन्हें कहीं और भेजा जाता ?

श्री अध्यक्ष—उचित-अनुचित की बात आप नहीं पूछ सकते। आप इन्फार्मेशन मांग सकते हैं।

श्री जवानसिंह—तो वे कब तक सिरोही में रहेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—जब तक उनका तबादला वापिस नहीं हो जाता।

श्री जसवन्तसिंह—कब तक तबादला होना संभव है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जसवन्तसिंह—जयपुर में कितने दिन रहने के बाद उन्हें सिरोही वापिस भेजा गया ?

श्री रामकरण जोशी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री देवीसिंह—क्या उसकी जांच हो रही है ?

श्री रामकरण जोशी—जी हां।

श्री भैरूंसिंह—क्या जांच में ६ माह से ज्यादा समय लग जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—कभी कभी ज्यादा और कभी कभी कम समय लगता है।

एक सदस्य—क्या इतने समय में असलियत नहीं जाती रहेगी ?

श्री रामकरण जोशी—असलियत नहीं जाने देंगे।

श्री देवीसिंह—पहले उनको किन ग्राउन्ड्स पर हटाया गया था और क्या यह सही है कि उनके वहां रहते जांच नहीं हो सकेगी ?

श्री रामकरण जोशी—एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्डस पर हटाया गया था।

श्री भैरूंसिंह—आपने पहले फरमाया था कि शिकायत पर हटाया गया था और अब आप यह फरमाते हैं; कौनसी बात को सही मानें ?

Page No.13

श्री रामकरण जोशी—एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स में सभी बातें आ जाती हैं।

श्री भैरूंसिंह—उसको शिकायत पर वहां से हटाया गया और फिर उसे उसी स्थान पर वापिस चेंज दिया, ऐसा क्यों किया गया ?

श्री रामकरण जोशी—जैसा उचित समझा गया, वैसा किया गया।

श्री फानसिंह—क्या यहां आने के बाद उसने खुशामद की और सिफारिश करवाई इसलिये वापिस उसे वहीं भेजा गया ?

श्री रामकरण जोशी—मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है।

प्रश्न संख्या ४९

क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने टिड्डियों को मारने के हेतु छः जीप कारें इस शर्त पर देने का वायदा किया था कि राजस्थान सरकार भी इनसे दुगुनी खरीद कर रक्खे ?

(ख) अगर हां, तो उस ओर क्या कदम उठाये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—(क) नहीं (ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—क्या इस बारे में जांच की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जांच करके ही तो उत्तर दिया गया है।

प्रश्न संख्या ५०

डा० श्री भानुप्रतापसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने प्रान्त में शिक्षा कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कोई शिक्षा संहिता (Education Code) का निर्माण किया है या नहीं ?

(ख) यदि शिक्षा संहिता का निर्माण हो गया है तो उसमें बीमारी के कारण वार्षिक परीक्षाओं में न बैठने वाले छात्रों के लिये क्या नियम रखे गये हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि नारायना के सरकारी हाईस्कूल में ऐसे छात्रों को पुनः परीक्षा देने का मौका नहीं दिया गया ?

(घ) यदि उपर्युक्त प्रकार के छात्रों के लिये शिक्षा संहिता में पुनः परीक्षा सम्बन्धित कोई नियम नहीं है तो क्या शिक्षा संहिता में तद् विषयक संशोधन कर दिया गया ?

Page No.14

[ठा० श्री भानुप्रतापसिंह]

(च) क्या यह सत्य है कि राज्य के अनेक स्थानों पर राजकीय विद्यालयों में छात्रों की औसत उपस्थिति ना कुछ रहने पर भी ऐसे विद्यालयों को चलाया जाता है और उनमें आवश्यक से अधिक अध्यापक रक्खे जाते हैं ?

श्री भोलानाथ—(क) हां, शिक्षा संहिता तैयार हो चुकी है और सरकार के विचाराधीन है।

(ख) क्योंकि शिक्षा संहिता को अभी तक सरकार ने अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया है अतः यह नहीं बताया जा सकता कि इस विषय में क्या नियम शिक्षा संहिता में रक्खे गये हैं।

(ग) ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

(घ) क और ख भाग के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) नहीं।

श्री भैरोंसिंह (१६)—यह कब तक बन जावेगी, क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री भोलानाथ—तैयार हो चुकी है, मंजूर करना रह गया है।

ठा० श्री भानुप्रतापसिंह (१४)—क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग के संबन्धित अधिकारी अपने दौरे में रुचि नहीं लेते। यदि हां, तो इस प्रकार का अपव्यय क्यों चल रहा है ?

श्री भोलानाथ—रुचि लेते हैं। अपव्यय नहीं हो रहा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—किस प्रकार की रुचि लेते हैं।

श्री भोलानाथ—जो रुचि प्रश्न में पूछी गई है।

श्री भैरोंसिंह—क्या दौरे करने में रुचि रखते हैं या सरकारी काम करने में रुचि रखते हैं ?

ठा० श्री भानुप्रतापसिंह—(अश्रव्य)

श्री भोलानाथ—इस प्रश्न का इससे कोई संबन्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या ५२

श्री जवानसिंह (६७)—(कजि) क्या डी. एम. ओज. (D.M.Os) का एकीकरण हो चुका है ?

(ख) अगर नहीं तो यह कार्य कब से शुरू होकर रुका हुआ है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर्स का एकीकरण अभी नहीं हुआ है। यह प्रश्न तत्परता से सरकार के विचाराधीन है और आशा है निकट भविष्य में शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा।

Page No.15

श्री संतोषसिंह--क्या यह सही है कि यह एकीकरण नहीं होगा ?

श्री रामकरण जोशी--यह अवश्य होगा ।

प्रश्न संख्या ५३

श्री गुरुदयालसिंह(४६)—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर शहर की कितनी आबादी है और वहां कितने मकान हैं ?

(ख) क्या सरकार वहां मकानों की कमी महसूस करती है ?

(ग) अगर हां, तो उसका क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी(स्वायत्त शासन मंत्री)--गंगानगर की आबादी २६,४३७ है और वहां ४०८० मकान हैं सरकार ने मकानों की कमी महसूस करने के कारण ही ५० साईट्स दिनांक १२ व १३ अगस्त को नीलाम किये हैं और ३०० प्लाट्स और नीलाम किये जाने की व्यवस्था की गयी है। दि० १३.६.५३ को नीलाम की दूसरी तारीख निश्चित हुई है और यदि उन प्लाट्स के बिक जाने पर भी जरूरतें पूरी न हुईं तो और प्लॉट्स बनाये जाकर दिये जावेंगे ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु–क्या सरकार के ध्यान में है कि मजदूरों और गरीब आदमियों के लिये गवनमेन्ट की जमीन को उन्हें कम रेट पर देने के लिये म्युनिसिपैलिटी ने कोई प्लान भेजा है।

श्री रामकरण जोशी—गरीबों और मजदूरों को जरूर कन्सेशन रेट्स पर जमीनें दी जावेंगी।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या शरणार्थियों को भी मकानों के लिये जगह दी जावेगी ?

श्री रामकरण जोशी—जरूर, शरणार्थियों को कन्सेशन रेट्स पर दी जावेगी ।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या इसके लिये कोई स्कीम बनाई गई है ?

श्री रामकरण जोशी—स्कीम तो रिफ्यूजी विभाग बनावेगा ।

श्री धर्मपाल(३७)—क्या हरिजनों के लिये भी व्यवस्था की गई है ?

श्री रामकरण जोशी—सबके लिये व्यवस्था है ।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या उनको जमीन बोली पर दी जावेगी या पड़त रेट पर कन्सेशन से ?

श्री रामकरण जोशी–बोली पर नहीं दी जावेगी । उनको पड़त रेट से और कन्सेशन पर दी जावेगी ।

श्री जवानसिंह—क्या शरणार्थियों को भी कन्सेशन रेट पर दी जावेगी ?

श्री रामकरण जोशी—जहां तक हो सकता है रिफ्यूजीज को भी पड़त रेट पर दी जाती है। उसमें नीलाम की बोली का प्रश्न ही नहीं आता। हरिजन और दूसरे लोगों को कन्सेशन रेट पर दी जाती है।

श्री गुरुदयालसिंह—प्लॉटों की स्कीम कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने अभी आपको बताया कि १३.६.५३. को वहां प्लॉटस दिये जावेंगे।

श्री कानसिंह(६६)—बहुत से आदमियों को कन्सेशन रेट पर जमीनें दी जाती हैं, उनमें किसको ज्यादा फायदा पहुंचता है ?

श्री भीमसिंह—कितने प्लॉटस अभी देने के लिये पड़े हैं ?

श्री रामकरण जोशी—अभी देने के लिये ३०० प्लॉट्स तैयार हैं।

प्रश्न संख्या ५४

राव राजा श्री सरदारसिंह(१३७)—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिन ठिकानेजात पर मुतवातिर कोर्ट आफ वार्ड्स का इन्तजाम है, उनके हवाले खुदकाश्त का क्या सरकार ने कुछ इन्तजाम किया है ?

(२) क्या सरकार की ओर से जो आराजी हवालात जागीरदार की लगानी रेंट से काश्तकारान को बतलादी गई है ऐसी आराजीयात को कोर्ट आफ वार्ड्स का इन्तजाम हटने पर जागीरदार के कब्जे में देने के संबन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—इस संबन्ध में सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति कर रही है जो कोर्ट आफ वार्डस और दूसरे मामलों के बारे में जांच करेगा और सरकार आवश्यक आदेश देगी।

राव राजा श्री सरदारसिंह—यह नियुक्ति कब तक हो जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नियुक्ति हो चुकी है। गजट में नाम शाया करना है, कर दिया जावेगा।

ठा० श्री माधोसिंह(९०)—कोर्ट आफ वार्डस पर जो ऑफिसरों की नियुक्ति होती है वह भारत के संविधान के विरुद्ध होती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि विधान के खिलाफ होती तो हाई कोर्ट में कभी की रिवेल हो जाती।

प्रश्न संख्या ५५

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) इस साल कहां कहां कितनी प्राइमरी स्कूलें खोल दी गई हैं और उनका क्या बजट प्रोवीजन है ?

(२) इस साल बजट प्रोवीजन कितनी स्कूलों का था, कितनी खोली गई और कितनी बाकी रह गई ?

(३) बाकी कब तक खोल दी जावेंगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(१) इस साल बजट प्रोवीजन ८०० नई प्राइमरी स्कूलें खोलने का था जिनमें ७२६ खोल दी गई हैं जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है और ७४ स्कूलें खोलनी बाकी हैं। प्राइमरी शिक्षा प्रसार के लिये इस वर्ष बजट में दस लाख रुपये की रकम रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(२) प्रश्न १ के उत्तर में आ जाता है।

(३) बाकी ७४ स्कूलें शीघ्र खोल दी जावेंगी।

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या ऐसे भी स्थान हैं जहां मिडिल स्कूल होते हुए भी प्राइमरी स्कूलें खोली गई हैं ?

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री जवानसिंह—सूची टेबिल पर रखी गई या नहीं ?

श्री भोलानाथ—गांव-वार प्राइमरी स्कूलें खुलजाने की सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—श्री सरदारसिंहजी का कहने का मतलब यह है कि जहां पर मिडिल स्कूल है वहां पर भी प्राइमरी स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है, मगर फिर भी जहां आवश्यकता हो खोली जा सकती है। जयपुर में कितनी ही मिडिल स्कूलें हैं, हाई स्कूलें हैं फिर भी प्राइमरी स्कूलें खोली जाती हैं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार वहां से प्राइमरी स्कूलें हटा लेगी जहां पर उनकी जरूरत नहीं थी, फिर भी खोली गई ?

श्री भोलानाथ—हां, हटा दी जावेंगी। [illegible] फालतू खर्च करने के लिये नहीं है।

Page No.18

राव राजा श्री सरदारसिंह--उनियारे में बनेडा में मिडिल स्कूल है जिसमें १२७ लड़के हैं और प्राइमरी स्कूल में सिर्फ ४० लडके हैं। बनेडा में मिडिल स्कूल ठाकुर साहब की तरफ से १६२७ से चल रही है। मगर इसी वोटिंग के समय पर वहां पर प्राइमरी स्कूल खोली गई। वहां की मिडिल स्कूल का रिजल्ट भी सेन्ट परसेन्ट रहता है। जब वहां पर स्कूल का प्रबंध है तो फिर वहां पर ३-४ हजार रुपये खर्च क्यों किये जाते हैं? यह खर्चा वहां पर क्यों नहीं किया जावे जहां पर स्कूल का कोई प्रबंध न हो?

श्री भोलानाथ--यह स्कूल का प्रश्न है। इस संबंध में अलग प्रश्न लाना चाहिये था, ताकि इसका पूरा पूरा उत्तर दिया जाता।

श्री भीमसिंह--क्या राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये सरकार सोच रही है?

श्री भोलानाथ--फिलहाल नहीं।

मे. आपजी श्री रघुराजसिंह--कहां-कहां स्कूलें खोली गई हैं? क्या उसकी सूची मेज पर रख दी गई?

श्री भोलानाथ--अभी तक वह लिस्ट मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है।

एक सदस्य--क्यों नहीं रखी गई।

श्री भोलानाथ--उसकी पूरी सूचना नहीं आई है। जिलेवार लिस्ट मैं आपको, अगर आप चाहें, तो पढ़ कर सुना सकता हूं और चाहें तो मेज पर रख सकता हूं।

राव राजा श्री सरदारसिंह--मेज पर रख दी जावे।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६ (एल. एस. जी. एम.)

रावराजा श्री सरदारसिंह--क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) जिला बोर्ड के औषधालयों के निरीक्षण के सिलसिले में जो आदेश जिला बोर्ड टोंक-मालपुरा ने जारी किये हैं क्या सरकार को जानकारी है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--(१) जी हां।

कोई जानना चाहें तो बताना जरूरी है।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--माननीय मंत्रीजी ने क्या कहा, यह सुना नहीं गया। क्या वे फिर से कहेंगे?

श्री रामकरण जोशी—(१) जी, हां।

(२) कोई जानना चाहें तो बताना जरूरी है।

राव राजा श्री सरदारसिंह—मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मालपुरा से पूछा था कि कृपया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:—

(१) औषधालयों में वैद्यों की संख्या,

(२) रोगियों की संख्या,

(३) वैद्यराज की योग्यता व उनका वेतन,

(४) और कोई अव्यवस्था।

जिन जिन विषयों के संबंध में पूछा गया उनका यह जवाब आया कि इनका जवाब देने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि कार्यालय में ऐसा आर्डर आया है। (घंटी)

श्री अध्यक्ष—यह क्या खरीता पढ़ दिया आपने? (हंसी)

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्षजी, क्या यह बात सही है कि लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरियट की ओर से माननीय सदस्य को यह सूचना दी गई है कि यह सवाल एक्सेप्ट (स्वीकार) नहीं किया गया है? अगर यह बात है तो यह उत्तर किस प्रकार दिया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—Not that, he question has been amended.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I am incharge of the Legislative Department and I can say that we have given no instructions like that.

श्री अध्यक्ष (राव राजा श्री सरदारसिंह की ओर इशारा करते हुए)—अगर आप सप्लीमेण्टरी प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिये।

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी सदस्य सिवाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर के औषधालयों से न सवाल पूछ सकता है और न निरीक्षण ही कर सकता है?

श्री रामकरण जोशी—निरीक्षण नहीं कर सकता है। मेरे नोटिस में आया है कि रावराजा साहब किसी औषधालय में गये थे और वे वहां से रजिस्टर अपने साथ ले आये। अगर आप चाहें तो मैं बोर्ड द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया है वह मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—आप बता ही दीजिये। (हंसी)

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय मेरा यह चैलेन्ज स्वीकार करने के लिये तैयार हैं कि मैं वहां से रजिस्टर ले आया?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा है कि जो शिकायत वैद्यों ने की थी उस पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक रिजोल्यूशन पास किया है।

श्री अध्यक्ष—He challenges that he did not take away any register with him.

श्री रामकरण जोशी—हां, वे उनकी नकल लेकर आये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—तो रजिस्टर और नकल में कितना फर्क है। (हंसी)

श्री जवानसिंह—माननीय मंत्रीजी का जो स्टेटमेन्ट हमने सुना है उससे जाहिर होता है कि माननीय मंत्रीजी को वास्तविक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने केवल सुनी बात ही कही है, ऐसा मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—That he has himself contradicted.

श्री जवानसिंह—So the words should be withdrawn from the proceedings.

श्री अध्यक्ष—No, no. They are self-explanatory.

श्री रामकरण जोशी—वैद्यों ने यह शिकायत की कि उनके काम में अड़चन पड़ी। जब वे कागज और रजिस्टर की नकल लेकर आए तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक रिजोल्युशन पास किया और उसकी कॉपी जानकारी के लिये रावराजा साहब के पास भेज दी गई। मैं समझता हूं कि अब कोई बात बाकी नहीं रही है।

एक सदस्य—मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूं कि जब रावराजा साहब ने निरीक्षण किया तो यही देखा होगा कि चूरन नहीं है या पट्टी नहीं है, और तो वे कुछ नहीं देख सकते थे।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने यह सुना कि वे रजिस्टर ले आए। जब रजिस्टर ले आए तो क्या क्रिमिनल केस नहीं बन सकता था? किन्तु मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है, वे उसकी नकल लाए होंगे। अब सवाल बाकी रह जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के काम में किस प्रकार उस रजिस्टर की नकल ले आने से ओब्सट्रक्शन (अड़चन) पैदा हुई? । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो सरवेन्ट्स हैं क्या वे गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस हैं?

श्री भीमसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि रजिस्टर की नकल लेने से काम में कैसे हर्ज आ गया?

श्री रामकरण जोशी—मैं आपको इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि अगर किसी औषधालय में किसी बात की कमी मालूम हो तो सम्बन्धित अधिकारियों को उसकी जानकारी देनी चाहिये किन्तु उनका इंस्पेक्शन (निरीक्षण) करना ठीक नहीं है। यह तो एक अनधिकार चेष्टा है। यह बात वहां हुई है और इसीलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया है।

Page No.21

एक सदस्य—क्या मंत्री महोदय के पास कोई इंस्पेक्शन की नकल आई है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रिजोल्युशन सुना दूं ।

राव राजा श्री सरदारसिंह—मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आई है ?

श्री हरिदेव जोशी—इससे यह सहज ही सवाल होता है कि क्या एम. एल. ए. को किसी ऑफिस का इन्स्पेक्शन करने का अधिकार है ?

श्री रामकरण जोशी—अधिकार नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—सदस्यों को जो पत्रक दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हर एक न्यायालय, सचिवालय तथा राजस्थान सरकार के अन्य कार्यालयों में वह जा सकता है; तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऐसी क्या बात है ? (हंसी)

श्री रामकरण जोशी—हाईकोर्ट के किसी इन्स्पेक्टर को लेकर चले आते तो ठीक था ।

(हंसी)

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पास होने से पहले क्या माननीय सरदारसिंह जी से पूछना जरूरी नहीं समझा गया ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि रिजोल्युशन (संकल्प) के पढ़ देने के बाद आपका सारा भ्रम निकल जायगा ।

("सुना दीजिए" इस प्रकार की सदन में आवाज)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि रिजोल्युशन मुझे पढ़ देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष— It may be controversial I would not allow.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—मैंने अभी पहले यह सवाल पूछा था कि इस प्रश्न के मुतल्लिक राजस्थान असेम्बली के सेक्रेटेरियेट द्वारा माननीय सदस्य को यह सूचना मिली है कि उनका यह प्रश्न मंजूर कर लिया गया है । उनको दूसरी सूचना मिली है दिनांक ४-९-५३ को असेम्बली सेक्रेटेरियेट से कि उनका प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया है; तो अब यह प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है और उत्तर भी क्यों दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—It is not necessary on the floor of the House. There are two or three things involved in this. It is not a matter so important that it should be brought on the floor of the House. You can seek..........

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि.........

श्री अध्यक्ष—You can seek information and you will be satisfied.

श्री रामकरण जोशी—माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था और उसका जवाब दिया गया है। अगर यही था कि सवाल नहीं लिया गया है तो माननीय सदस्य को सवाल ही नहीं पूछना चाहिये था।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—अगर अनधिकार चेष्टा थी तो माननीय मंत्री के पास भी कोई शिकायत आई होगी ?

प्रश्न संख्या ५७–६०

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित—प्रश्नोत्तर ५८ तथा ५९ के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ६१ (२०१ आर. एम.)

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Famine Relief be pleased to answer:—

(a) What amount was spent for each Division on Famine relief operations during the last Famine ?

(b) How much amount was received from the Centre in the form of aid or loan ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) :

(1) The total amount spent in each division on Famine Relief Operations during the last famine is as under:—

Name of Division.			*Amount spent on relief measures.*	*Taccavi Loans advanced.*
Jodhpur Division.	..	..	33,01,345/-	3,50,375/-
Udaipur Division.	..	..	49,92,254/-	5,59,833/-
Bikaner Division.	..	..	14,80,283/-	11,92,500/-
Kotah Division.	..	..	1,50,231/-	1,43,500/-
Jaipur Division.	..	..	6,32,149/-	1,37,200/-

(2) The total amount received from the Centre in the form of aid and loan is as under:—

(*i*) Aid...........3,92,000/-
(*ii*) Loan..........12,98,000/-

कंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस स्थान और किस डिविजन में सबसे ज्यादा भीषण अकाल था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—प्रश्न गत साल से संबंध रखता है जब कि राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण अकाल था ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—फिर भी मुकाबले की जरूरत तो रहती है । कम्पेरेटिवली सिवियरेस्ट किन किन हिस्सों में था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पिछले वर्ष का बताऊं या इस वर्ष का ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—आपका उत्तर पिछले वर्ष से ही संबंधित है इसलिये पिछले वर्ष के लिये ही मैं पूछ रहा हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पिछले वर्ष जोधपुर, बीकानेर की तरफ के इलाके में अधिक भीषण अकाल था ।

श्री जसवन्तसिंह—अब यह देखना है कि इसमें ज्यादातर हिस्सा किसको दिया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने अर्ज किया है कि करीब करीब सब जगह समान रूप से था । कुछ जगह परिस्थितियों का भेद अवश्य था ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—यह ५१-५२ से संबंध रखता है या ५२-५३ से ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—५१-५२ से ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—उदयपुर डिविजन में प्रति माइल कितने आदमी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों पर पिछले अधिवेशन में काफी चर्चा हो चुकी है । इन डिटेल्स में न जा कर टोटल फिगर्स ही काफी होने चाहिये ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पर उदयपुर डिविजन में ही ज्यादा खर्च क्यों हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह खर्च तादाद के हिसाब से नहीं बल्कि और कई कारणों तथा आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया था ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या बीकानेर डिविजन में एकसा खर्च किया गया ? सब जगह या किसी एक ही तहसील में अधिक किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जहां जिस प्रकार की आवश्यकता हुई उसे देखते हुए खर्च किया गया ।

Page No.24

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या भादरा और नोहर की एक जैसी आवश्यकता थी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एक सी ही थी और इसी के अनुसार खर्च किया गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या वहां एकसा खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—अनूपगढ़ में कितना खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इससे संबंधित नहीं है। इसके लिये अलग से सूचना की आवश्यकता है, ताकि मालूम कराया जाकर उत्तर दिया जा सके।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह ठीक है कि वहां दो ही हजार खर्च किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी जानकारी अलग से प्राप्त की जा सकती है।

श्री कानसिंह—क्या मंत्री महोदय यह बतलावेंगे कि अकाल के लिये तो रुपया थोड़ा दिया गया और तकावी के लिये जो दिया गया साढे ग्यारह लाख के करीब, तो वह रकम सबसे ज्यादा है ? यह खर्च क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने पहले ही कहा है कि जहां की जैसी आवश्यकता थी उसके अनुसार खर्च किया गया था।

श्री कानसिंह—तो इससे आपका मतलब यह हुआ कि तकावी की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन रिलीफ की आवश्यकता कम थी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां।

श्री कानसिंह—इस तकावी की आवश्यकता का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वहां के लोगों को इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि वे अपने खेत जोत कर जमीन तैयार कर लें। जमीन जोत लें, यह अधिक आवश्यक समझा गया ताकि तैयार जमीन होने पर बारिश के वक्त का फायदा पूरा पूरा उठाया जा सके। यह हमारा पिछले साल का अनुभव रहा और इस वर्ष भी यही अनुभव सही साबित हुआ।

श्री कंवरलाल बेमिया—आंकड़ों को देखते हुए कोटा में कमी क्यों रही ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं और पिछली बार अधिवेशन में भी काफी बहस हो चुकी है। मैं फिर कहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता थी उसी के अनुसार खर्च किया गया।

श्री कंवरलाल बेलिया—तो क्या आवश्यकता उदयपुर डिविजन की अधिक थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे चुका। कई बार अर्ज किया कि आप सदस्य वहां जायें और वहां की परिस्थिति के बारे में जानकारी करें तो अधिक अच्छा हो।

श्री कानसिंह—बीकानेर में जो परिस्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से करीब साढ़े ग्यारह लाख की तकावी दी गई, तो क्या वहां तकावी नहीं दिये जाने की वजह से परिस्थिति खराब हो रही थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां, निश्चित तौर से।

श्री कानसिंह—तो फिर अकाल की परिस्थिति कम कैसे रही ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अर्ज तो कर चुका हूं कि वहां फेमिन की तकावी की ज़्यादा जरूरत थी। इसके लिये ज्यादा फेमिन की तकावी के लिये खर्च किया गया।

श्री जसवन्तसिंह—इस साल के अकाल में जैसा हुआ उस तरह गये साल के अकाल में हमारे मंत्रियों ने कलकत्ता-बम्बई आदि नगरों से कोई चन्दा इकठ्ठा किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में नहीं है। मैं समझता हूं कि अकाल-सेवा समिति ने कुछ रुपया एकत्रित किया था, पर सरकारी एजेन्सी के द्वारा कोई रुपया इकट्ठा नहीं किया गया।

श्री कानसिंह—क्या उदयपुर डिविजन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में ही यह रकम बांटी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उदयपुर जिले में भी बंटी।

श्री भीमसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन इलाकों में फेमिन नहीं था वहां भी तकावी दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—फेमिन-तकावी नहीं दी गई।

श्री भीमसिंह—फिर क्या कोई दूसरी तरह की तकावी दी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां, कई प्रकार की तकावियें हैं।

श्री मुहब्बतसिंह—क्या कृपापात्रों की भी कोई तकावी है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या ४७ रह गया था वह अब ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष—आप समय पर क्यों नहीं आते हैं।

Page No.26

श्री मुक्तिलाल मोदी—बाहर गांव से आ रहा था। मोटर रास्ते में खराब हो गई थी। मोटर पर तो मेरा कोई वश नहीं था।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है, प्रस्तुत कीजिये।

प्रश्न संख्या ४७

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

डाक्टरों और वैद्यों का इन्टीग्रेशन हुए करीब डेढ़ साल हो गया है किन्तु अभी तक उनकी लिस्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुई है ?

श्री रामकरण जोशी—विभागीय पुनर्संगठन संबंधी कठिनाईयों के कारण यह लिस्ट प्रकाशित नहीं हो सकी। अब आशा है कि शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगी।

श्री रोशनलाल शर्मा—कितना समय लग जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—जितना कि आपके समाधान के लिये जरूरी हो।

श्री रोशनलाल शर्मा—हमारा समाधान नहीं होता, इसी के लिये तो पूछते हैं। क्या आज, दो साल और लगेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—सालों का कोई सवाल नहीं।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १९)—क्या यह सही है कि इस लिस्ट के कारण डाक्टरों और वैद्यों में काफी असंतोष है ?

श्री रामकरण जोशी—यह असंतोष तो क्यों होना चाहिये। उन्हीं के बारे में सोच-विचार कर प्रकाशित हो रही है।

श्री भैरूंसिंह—जब पी. एस. सी. के द्वारा सरकार के पास यह लिस्ट कभी की भेजी जा चुकी तो फिर इतने अरसे तक रोक रखने का क्या कोई सरकार के पास मुख्य कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—इसी लिस्ट की सिफारिशों के अनुसार सारी व्यवस्था करने में यह वक्त लग रहा है।

श्री सरदारसिंह—डाक्टरों और वैद्यों का, सभी का एकीकरण हो चुका या टोकन एकीकरण हुआ है।

श्री रामकरण जोशी—सभी का एकीकरण हो चुका, प्रकाशित होना बाकी है।

श्री सरदारसिंह—सीकर, खेतड़ी और उनियारा के डाक्टरों व वैद्यों का भी एकीकरण हो चुका है क्या ?

श्री रामकरण जोशी—ये प्राइवेट डिस्पेन्सरीज की मद में आते हैं और वे विभागीय डिपार्टमेण्ट के आधीन हैं।

श्री सरदारसिंह—पर टेक्नीकल कन्ट्रोल तो सरकार का है।

श्री रामकरण जोशी—टेक्नीकल कन्ट्रोल से और एकीकरण से कोई संबंध नहीं है।

श्री कंवरलाल सेठीया—यह सब एकीकरण कब तक हो जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—शीघ्र ही हो जावेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—"शीघ्र ही" का मतलब क्या ?

श्री रामकरण जोशी—इसका मतलब "जल्दी" हो जावगा।

(सदन में हंसी)

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम होगा कि पिछले अधिवेशन में यह आश्वासन दिया गया था कि यह लिस्ट शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जावेगी।

श्री रामकरण जोशी—पहले कहा, वही अब कहते हैं।

प्रश्न संख्या ६२–६३

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

अल्पकाल-सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—अल्पकाल सूचना प्रश्न, श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—But there is a provision that if the Member-in-charge thinks it in public interest to give the answer he may give it with the consent of the Speaker.

(श्री जयनारायण व्यास ने उत्तर देने के लिये तत्परता दिखाई)

I read out the question. The question is :—

Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) What is the number of arrests made in Jaipur City since the 30th August, 1953 to 4th September, 1953? Upon what charges these arrests have been made ?

(b) How many persons have been injured during the last five days of Hartal on account of Lathi Charges resorted to by the Police ? How many of them have died ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—कुल गिरफ्तारियां १८२ हुई हैं। प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की तहत १४ गिरफ्तारियां हुई हैं। ४४ गिरफतारियां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १५१/१०७ की तहत हुई हैं, ७ गिरफतारियां पीनल कोड की धाराएं १४७ व १८८ के तहत हुई हैं।

(२) पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, इसलिये इस सम्बन्ध में और कोई प्रश्नउपस्थित ही नहीं होता।

कु. श्री जसवन्तसिंह—प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की तहत कितनी गिरफ्तारियां हुई ?

श्री जयनारायण व्यास—१४ हुई और कुल गिरफ्तारियां १८२ हुई।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—ये व्यक्ति कितने अरसे के लिये गिरफतार किये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—यह पहले ही कह दिया गया था कि ये एक मास के लिए गिरफ्तार किये गये।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सब को एक मास के लिये या अलग अलग अवधि के लिए ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कानसिंह—माननीय मंत्री ने जो कुल गिरफतारियों की संख्या १८२ बताई उसमें क्या वे लोग भी शामिल हैं जिनको पुलिस गिरफतार करके ले गई और थोडी देर तक गिरफतारी कीहालत म रखा और बाद में छोड दिया ?

श्री जयनारायण व्यास—जो व्यक्ति गिरफतार होते हैं उनके लिए कागजात बनते हैं। यह बात भी ठीक है कि कई व्यक्ति थोडी देर गिरफतारी की हालत में रख कर छोड दिये गये। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि इन १८२ व्यक्तियों में से २५ आदमी माफी मांगकर छोड गये हैं। १०२ बेल पर छोडे गये हैं। ये फीगस ४ तारीख के हैं। अध्यक्ष महोदय, आज्ञा दें तो ६ तारीख तक के भी फीगर्स दे दूं।

(मौन स्वीकृति)

४ तारीख तक १७५ गिरफ्तारियां हुई और प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की तहत १५ गिरफ्तारियां हुई। उनमें से १०२ बेल पर छोड़ दिये गये और २५ व्यक्तियों ने माफी मांगली थी इसलिये छोड़ दिये गये और ४८ कस्टडी में थे। यह तो चार तारीख तक की हालत थी। ६ तारीख तक वह संख्या १८२ तक पहुंच गई और १४ प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की तहत। बेल पर १०४ छोड़ दिये गये, ५३ कस्टडी में हैं और २५ माफी मांग कर और २ पैरोल पर छोड़ दिये गये।

राजा श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री महरबानी करके बतलायेंगे कि पुलिस की भगदड़ या आंखमिचौनी करते समय कोई व्यक्ति एक्सिडेन्टली मकान की छत से गिर कर मर गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—इस तरह की बहुत सी अफवाहें उड़ाई गई हैं कि एक लड़का ऊपर से गिरकर मर गया और यहां तक की चीफ मिनिस्टर के चोट आई है; इस तरह की कई अफवाहें उड़ायी गयीं। यहां तक भी कहा गया कि चीफ मिनिस्टर ने जयपुर के लिए कहा कि यहां तो सब गुन्डे ही गुन्डे भर गये हैं इसलिये असेम्बली को इन अफवाओं पर तवज्जुह नहीं देनी चाहिये।

राजा श्री हिम्मतसिंह—क्या यह फेक्ट था, या योंही अफवाह उड़ायी गयी ?

श्री व्यास—मेरा विश्वास है कि यह अफवाह है।

राजा श्री हिम्मतसिंह—क्या आपका केवल विश्वास ही है या बिल्कुल सत्य है कि यह केवल अफवाह ही है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि पुलिस की कार्यवाही के कारण न कोई मरा है और न घायल ही हुआ है।

श्री भेरूंसिंह (डि० नं० १५)—क्या गिरफतार व्यक्तियों को सेन्ट्रल जेल में भेजा गया या अन्य किसी स्थान पर ?

श्री जयनारायण व्यास—सेन्ट्रल जेल में भी और जो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की तहत गिरफत ए हुए थे उनको दूसरी जगह भेजा गया है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या इन घटनाओं के पीछे किसी का हाथ है ?

श्री जयनारायण व्यास—उनका नाम यहां बताना पबलिक इन्टरेस्ट में ठीक नहीं होगा।

श्री मोहब्बतसिंह—सेन्ट्रल जेल के अलावा उन लोगों को दूसरी जगह क्यों रखा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स और लॉ एन्ड आर्डर को बनाये रखने के लिए

श्री मोहब्बतसिंह—(खड़े हुए)

राजा श्री हिम्मतसिंह—क्या इन हरकतों में विधान सभा की सरकारी पार्टी का भी कोई सदस्य है ?

श्री जयनारायण व्यास—विधान सभा की सरकार पार्टी का कोई सदस्य गिरफतार शुदा व्यक्तियों में नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—विधान सभा कि सरकारी पार्टी का कौन सदस्य गिरफतार है ?

श्री जयनारायण व्यास—कोई गिरफतार नही है। मै सरकारी पार्टी के सदस्यों से मंत्रीमंडल के सदस्यों को समझता हूं।

Page No.30

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—सरकारी पार्टी से मतलब आप रूलिंग पार्टी से नहीं लेते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—रूलिंग पार्टी तो हाउस है ।

श्री कानसिंह—जिन कॉंग्रेसी सदस्यों का इसमें हाथ था उनको रियायत देकर गिरफतार नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर ! !

श्री भैंरूसिंह (डि० नं० १६) मुख्य मंत्री ने जैसा कि फरमाया कि उन लोगों को शान्ति और व्यवस्था के लिये अन्य स्थानों पर भेजा है तो क्या उन लोगों के सेन्ट्रल जेल में रहने पर शान्ति और व्यवस्था को कछ खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी ?

श्री कानसिंह—क्या जो १०२ आदमी जमानत पर छोड़े गये उनमें से कुछ कोर्ट द्वारा और कुछ पुलिस द्वारा भी छोड़े गये ?

श्री जयनारायण व्यास—१०२ आदमियों को बेल पर छोड़ा गया; उनमे से कुछ आदमियों को पुलिस द्वारा भी छोड़ा गया, काबिल जमानत समझ कर ।

श्री अध्यक्ष—Next.

(विराम)

Now we come to private Members' Business. Yes Shri Yadav.

अ-राजकीय सदस्य कार्य

राजस्थान में मंत्रियों तथा उप-मन्त्रियों की संख्या सात से अधिक न होने सम्बन्धी सकल्प

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं इस सदन के समक्ष एक प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं जो इस प्रकार है—

"This house is of the opinion that the number of ministers and Dy. ministers in the Rajasthan Cabinet should not exceed seven"

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :-

इस सदन की राय में मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टिर्स की संख्या राजस्थान मंत्री मंडल में ७ से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मैंने बहुत सोच-विचार कर रखा है । इसके रखने का मेरा उद्देश्य यह नहीं कि मंत्री-मंडल बनाने वाले नेता को क्रिटिसाइज करूं या उन के रास्ते में रोड़ा अटकाऊं किन्तु इसके रखने का मेरा उद्देश्य यह है कि किफायतसारी, (मितव्ययता) यानि हर तरह से बचत की जासके

Page No.31

[श्री गोपीलाल यादव]

और इस बचत का सब से मुख्य और सब से बड़ी मद आपके सामने रखूं। क्योंकि सिद्धान्त यह है कि (Charity begins at home) यानि उपदेश घर से प्रारम्भ होना चाहिये। जिस वक्त कि हम यह सोच रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर आर्थिक कठिनाइयां बहुत आई हैं और जहां-जहां कटौती की जाय और रुपयों की बचत की जाय तथा कहां कहां नये टैक्स लगाये जायं और बचत भी की जाय तो ऐसी दशा में यह जरूरी है कि एक आवश्यक मद में आपके सामने रखूं वह है मंत्री-मंडल के सदस्यों की संख्या। हमारे बजट में मंत्री-मंडल के सदस्यों की संख्या ११ प्रोवाइड की गई है हालांकि इस वक्त ६ हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में संख्या बहुत अधिक है। हमारे पड़ोसी राज्य, पंजाब, में मंत्रियों की संख्या ६ है और जिस वक्त सारा मिला हुआ था जब कि उसकी जनसंख्या २॥ से ३ करोड़ थी। उस वक्त भी मंत्रियों की संख्या इतनी ही थी। दूसरे सूबों में जिनकी आबादी ६ या ४॥ करोड़ है उनमें भी मिनिस्टरों की संख्या १० से ज्यादा नहीं है। १०-११ से ज्यादा मिनिस्टर्स एक सूबे में हैं, वह सूबा है वेस्ट बंगाल। यही एक सूबा है जहां १० और ११ से ज्यादा मिनिस्टर्स हैं। जिस वक्त हम जिले आदि बनाते हैं तो उस वक्त भी हम ध्यान रखते हैं कि इसकी आबादी कितनी है और आबादी के हिसाब से ही उस पर खर्चा रखना चाहते हैं। यू० पी० जैसे प्रान्त में, जहां की आबादी साढ़े छः करोड़ के करीब है वहां भी १०-११ से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हैं; तो फिर राजस्थान जहां की आबादी डेढ़ करोड़ ही है, इतनी बड़ी तादाद में मिनिस्टर्स की क्या आवश्यकता है ?

मंत्रियों के काम को मैंने देखा। इस वक्त मंत्रियों को जो काम बांटा गया है उसकी मेरे पास लिस्ट है वह मैं बतलाता हूं। उस में देखने से पता चलता है कि काम हमारे पास इतना नहीं है कि हम मंत्रियों को बराबर बांट दें, बल्कि मंत्रियों की संख्या के लिये कुछ इधर उधर से काम निकालने का प्रयत्न किया गया है। दो मंत्रियों के पास तो बिल्कुल ही काम नहीं है। उनमें से एक श्री कुम्भारामजी आर्य हैं जिन के पास कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़ का एक छोटा सा विभाग है। हिन्दुस्तान में जहां कि लाखों फ़ैक्ट्रीज और कारखाने हैं और जहां विदेशों से काफ़ी काम चलता है वहां भी एक ही मिनिस्टर है, मगर राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ कुछ भी नहीं है फिर भी एक मिनिस्टर रखा है। अगर काम कम है तो उन्हें और महकमें निकाल कर देना चाहिए, वह बेकार बैठे रहते हैं। इसी तरह दूसरे मंत्री हैं श्री अमृतलालजी यादव वे फोरेस्ट, कोऑपरेशन, रिलीफ़ एन्ड रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर हैं। रिलीफ़ एन्ड रिहेबिलिटेशन का काम बिल्कुल समाप्त हो चुका है और आज वह इस वक्त नहीं के बराबर है। फोरेस्ट और कोऑपरेशन को रेवन्यू में से निकाला गया है। रेवन्यू मिनिस्टर के सामने लिखा हुआ है रेवन्यू एक्सेप्ट फोरेस्ट एन्ड कोऑपरेशन। फोरेस्ट एन्ड कोऑपरेशन में इतना काम नहीं है कि एक मंत्री के लिये पर्याप्त काम हो। अगर काम बराबर किन्हीं मंत्रियों के पास है तो एक या दो मंत्रियों के पास है। उनमें से कुछ काम माननीय चीफ़ मिनिस्टर के पास है। इनके अलावा मोहनलालजी सुखाड़िया और रामकरणजी जोशी के पास भी कुछ काम है, लेकिन बाकी लोगों के पास काम अधिक नहीं है। और कई डिपार्टमेन्ट्स का अंग भंग करके इधर उधर रखा गया है। इस काम पर बड़ी आसानी से

[श्री गोपीलाल यादव]

५ मंत्रियों में बांटा जा सकता है और इसके अलावा पांच से काम नहीं चले तो दो और ले लीजिये, लेकिन आखरी संख्या सात हो, मय डिप्टी मिनिस्टर के । इनसे ज्यादा नहीं हो क्यों कि अधिक की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूं उनके काम के संबन्ध में। उनका काम भी वैसा नहीं जैसा कि पुराने राजाओं के समय में था। वहां मंत्रियों को तमाम मुक़द्दमों के फ़ैसले करने पड़ते थे, परन्तु यहां पर इन मंत्रियों का वह काम भी नहीं है। जो काम है वह सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के हैड तक चलेगा, फिर कोई रहेगा तो डिवीज़न के हैड कर लेंगे। इसके अलावा कुछ बचेगा तो सैक्रेटरी के यहां आकर काम समाप्त हो जाता है। सैक्रेटरी को सारे मुक़द्दमे सुनने पड़ते हैं जो कि उनके महकमों से संबन्ध रखते हैं और उन्हें ही निर्णय देने पड़ते हैं। फ़ोर्मेलिटीज़ (For alities) के तौर पर निर्णय पर दस्तख़त करने के लिये वे मंत्री महोदय के पास भेजने पड़ते हैं। मंत्रियों का काम टेबिल के सामने बैठे इन्टरव्यूज़ करते रहना है तथा और कोई अधिक काम मंत्रियों के पास नहीं है ज्यादा से ज्यादा वे दौरा करके आ सकते हैं।

मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं कि इस वक्त काम कम है तो कोई कारण नहीं है कि बहुत बड़ी बचत हम नहीं करें। एक मंत्री पर क़रीब २६ हज़ार रुपये के ऊपर माहवारी खर्च होता है, तो अगर ११ के बजाय ७ की संख्या रखते हैं तो इस पर क़रीब ४-४।। लाख रुपये की बचत हो जाती है। इस पर मैं यह निवेदन करदूं कि यह कहा जायगा कि हमारे बजट में जो प्रोवीज़न है उसमें नौकरों का जो रखा गया है वह ४,६६,००० रू० है, लेकिन उसके अन्दर उनकी कोठियों का खर्चा उनकी कारों का खर्चा सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा बहुत सा खर्चा उनके दौरे से पडता है जैसे कि एक मिनिस्टर जब दौरे पर जाता है तो उस डिविजन के हैड, डिस्ट्रिक्ट के हैड या सब-डिवीजन के हैड, सब के सब को एकदम मूव करना पड़ता है। दूसरे पुलिस तथा दूसरी चीजों का भी खर्चा पड़ता है। दौरे के खर्च में हम यह देखेंगे कि टी. ए. और डी. ए. पर जो खर्च हुआ वह यह कि अकेले मंत्री के दौरे का अगर १ हजार या २ हजार रुपया खर्च आता है महीने में तो उनकी वजह से जो दूसरे अफसर मूव करते हैं उनका करीब दुगना या तिगुना खर्चा हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट के करीब करीब सारे अफसरों को मूव करना पड़ता है एक मिनिस्टर के जाने पर। काम का जो तमाम हर्जा होताहै उसका हिसाब अगर लगायें, और टी. ए. तथा डी. ए. जो उनके सेक्रेटरी उनके साथ में चलते हैं, दूसरे सरवेन्ट्स जो उनके साथ म चलते हैं, उन सबका अगर हिसाब लगाया जाय तो वह ६-७ हजार रुपये माहवार पर चला जाता है, और अगर आप ११ में से चार मंत्रियों की बचत कर लेते हैं तो इन्तजाम में ३-४ लाख रुपये से ज्यादा की बचत हो जाती है, और यह बचत हमारी रियासत में, जिसकी माली हालत कमजोर है और जो कि हाई कोर्ट तक में जजेज नहीं रख सकती है, बिल्डिंग्स नहीं बना सकती है, और दूसरे काम ठीक ढंग से नहीं चला सकती है, वहां इतनी बड़ी बचत कर लें तो हम राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा करेंगे।

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस बचत के अन्दर एक रुकावट आती है और वह रुकावट यह है कि मंत्री का चुनाव करते समय हमको यह देखना पड़ता है कि कौन ऐसा आदमी है जिसके पीछे १० की संख्या है, अगर उसको नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जायगी। तो इस तरह से जो चुनाव किया

[श्री गोपीलाल यादव]

जाता है वहां ३० मंत्री होंगे ही । एक छोटे से हाउस में इस तरह से लोगों को इकट्ठा रखें तो मैं यह निवेदन करता हूं कि इस धारणा को हमें बिलकुल निकाल देना चाहिये और हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय को मजबूती से काम लेना चाहिये । सारा हाउस उनके साथ है । जिन आदमियों को वे समझते हैं कि वे योग्य हैं ऐसे ५ आदमियों को वे छांट सकते हैं ।

साथ ही एक चीज और भी है कि एक आदमी मत्स्य का, दो जयपुर से लेना चाहिये, ३ जोधपुर से हमको लेना चाहिये और २ उदयपुर से लेना जरूरी है, इस तरह से करेंगे तो संख्या बढ़ती ही जायगी । जब कि राजस्थान बन गया है तो इस तरह की देखभाल की आवश्यकता नहीं है और अगर देखें तो इस तरफ देखें कि पुराना राजस्थान, मत्स्य, जयपुर आदि ४-५ यूनिटों में से एक एक आदमी ले सकते हैं । वे ५ आदमी हों और योग्य आदमी छांट लिये जायें । यह सोचने की आवश्यकता ठीक नहीं कि इस स्टेट की आबादी ४० लाख है तो वहां से २ को लेंगे, वह बड़ी स्टेट थी तो ३ वहां से जरूर लेंगे । यह विचार-धारा भी हमको निकाल देना चाहिये । इस तरह से अगर हम काम करें तो बड़ी आसानी से, बहुत अच्छी तरह हम ६-७ आदमी से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत और रुकावट हमारे रास्ते में आने वाली नहीं है । अगर हम यहां खर्चा कम करेंगे तो फिर सब जगह भी ठीक ढंग से देखभाल कर सकेंगे ।

मुझे इन शब्दों के साथ हाउस से अपील करनी है और खास तौर से हाउस के नेता से अपील करनी है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करके एक निश्चित, बहुत अच्छा, उदाहरण हाउस के सम्मुख पेश करेंगे ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्षजी, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे भी मौका मिला कि श्री यादवजी के प्रस्ताव का समर्थन करूं । हमारे प्रान्त की माली हालत को देखते हुए मंत्रियों पर कितना खर्चा पड़ता है इस पर तो श्री यादवजी ने बहुत कुछ रोशनी डालदी है और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । मगर यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान की माली हालत को देखते हुए एक मंत्री को एक व्हाइट एलीफेन्ट (सफेद हाथी) कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । एक एक मंत्री के पीछे इतना बड़ा उनके साथ लवाजमा होता है कि कम से कम १५, जैसा कि मैं पहले भी सदन में अर्ज कर चुका हूं, अधिकारी या नौकर या दूसरे प्रकार के काम करने वाले नियुक्त होते हैं, और ५-६ हजार रुपया प्रति माह जैसा कि श्री यादवजी ने बताया एक-एक मंत्री पर खर्च होता है । ५ या ६ हजार की रकम, जैसा कि यादवजी ने बताया, एक-एक मंत्री पर जो खर्च होती है मंत्रियों की कुछ संख्या कम करने से काफी बचत हो सकती है, यदि मंत्रियों के पास कुछ काम हो और जनहित के लिये उनकी आवश्यकता हो तो यह खर्च वाजिब भी समझा जा सकता है लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया पोर्टफोलियोज को गिना गिना कर, मैं भी कहूंगा कि इतना खर्चा करना फिजूल है । मेरे परम मित्र व्यासजी जो मुख्य मंत्री के साथ साथ फाइनेन्स मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी शायद इस बारे में खयाल किया होगा । लेकिन मुख्य मंत्री की हैसियत से उन्हें आपत्ति का सामना करना पड़ता है और उसके लिये पांख मींचनी पड़ती है । यह आजकल की राजनीति है । यदि

[श्री जसवंतसिंह]

हमें हमारे प्रांत के हित की बात सोचनी है तो इस समय पार्टी हित की बात कभी सामने नहीं आनी चाहिये। यह सोचने की बात है कि उधर तो हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी की नकल करते हैं और यह कहते हैं कि प्रजातन्त्र का राज्य बड़ा अच्छा है किन्तु उसके अनुसार कार्य नहीं करते। लाखों, हजारों और सैकड़ों वर्षों से दूसरे देश इस प्रणाली के अनुसार राज्य करते आ रहे हैं और हमने तो अभी इस पर चलना शुरू किया है तो हमें उसी अनुसार राजनैतिक स्तर बहुत ऊंचा करना है। यदि इस डेमोक्रेसी या जनतन्त्रवाद के आधार पर हमें हमारा राज्य कायम रखना है तो हमें इस बारे में बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हमने हाल ही में इस पर चलना शुरू किया है और पूर्णतया उनके अनुसार होने में अभी समय लगेगा। हम चाहते हैं कि इसका स्तर ऊंचा उठे। मैं श्री व्यासजी को इतना दोष नहीं देता कि वे जनहित का काम नहीं करते हुए केवल पार्टी को पहले ऊंचा स्थान देते हैं मगर फिर भी मैं यह कहूंगा कि मंत्रीमण्डल लम्बा बढ़ रहा है और यह चर्चा चल रही है कि दो-चार डिप्टी मिनिस्टर और बढ़ रहे हैं और दो मिनिस्टर और बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे मुख्य मंत्री पर यह जोर डाला जाता है कि अभी देश-हित और प्रान्त-हित का खयाल न करके पार्टी हित का खयाल करो। इसी वजह से उन्होंने ७ मंत्रियों के बजाय ६ मंत्री कर लिये हैं यानी दो और डिप्टी मिनिस्टर ले लिये हैं; और अभी तक सुन रहे हैं कि और भी मंत्री बढ़ाये जायं।

पिछले बजट के समय जब हम मंत्रियों के खर्चे के बारे में चर्चा कर रहे थे उस समय भी हमने इस बारे में बहुत कुछ कहा था और हमें आशा थी कि अब मंत्रियों की संख्या ७ से अधिक नहीं बढ़ेगी लेकिन फिर भी उन्होंने दो डिप्टी मिनिस्टर और ले लिये। इससे यही पता चलता है कि वे पार्टी के हित के लिये ही यह सारी कार्यवाही कर रहे हैं और देश के हित के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी माली हालत जब कि खराब है तो फिर भी एक मंत्री के पीछे १५-१५ कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं और उनका लवाजमा बढ़ता जा रहा है। आज के डमोक्रेसी के जमाने में ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर हमें सख्त एतराज है। यह प्रान्त के हित के लिये अच्छी बात नहीं है।

इस सवाल का एक दूसरा पहलू भी जो है वह यह कि जैसा यादवजी ने अभी फरमाया था कि योग्यता के अनुसार मंत्री लिये जाते तो किसी को एतराज नहीं हो सकता था। यही हमें देखना है कि हमारे मंत्रियों में कितनी योग्यता है। यदि जन-हित के लिये मंत्रीमंडल बनाया है और आपको देश की सेवा करनी है तो यह देखना होगा कि जिनको मंत्री बनाया गया है या बनाया जाता है उनमें मंत्री बनने की योग्यता है या नहीं। यदि आप वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेसी की नकल करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि वहां के पार्लियामेन्ट के सदस्यों को वर्षों तक इसके लिये एप्रेन्टिसशिप करनी पड़ती है, वर्षों तक पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी बन कर उम्मेदवारी करनी पड़ती है। मंत्री-पद पर रह कर शान बढ़ाना तो आसान है पर काम करना बड़ा मुश्किल है। मंत्री बनने के लिये कई गुण चाहिये। इसके लिये धैर्य चाहिये, योग्यता चाहिये, शिक्षा चाहिये, जनहित का काम करने का माद्दा चाहिये और बड़ी से बड़ी मुश्किल, इमर्जेन्सी, सिचुएशन का मुकाबला करने की हिम्मत चाहिये। इस विषय पर मैं आगे चल कर चर्चा करूंगा। क्या हमारे यहां के नवरत्न, जो हमारे सामने बैठे हैं, राजा भोज के नवरत्नों से या अकबर के जमाने के नवरत्नों से मुकाबला कर सकते है? इनमें कितनी योग्यता है? क्या इनकी

[श्री जसवंतसिंह]

योग्यता का उनकी योग्यता से मुकाबला किया जा सकता है। हमारे व्यासजी के नवरत्न,राजा भोज या अकबर के नवरत्नों से किस तरह से टक्कर ले सकते हैं, यह देखना है। यह मैं जानता हूं कि सर्व गुण संपन्न होना मुश्किल है, लेकिन यदि मंत्रीगण जन हित कर सकता है तो कुछ गुण होना जरूरी हो जाता है उसके लिये। इस विषय में यदि मैं यह भी कहूं कि इस विषय पर एसा खयाल विरोधी पक्ष वाल या विरोधी जनता रखती है तो और बात है पर इस बात को लेकर कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी में भी आपस में काफी मतभेद है और वह इसलिये हो रहा है कि कुछ ऐसे मंत्री ले लिये गये हैं जो जनता के मंत्री नहीं कहे जा सकते और जो मंत्री-पद की योग्यता नहीं रखते। उनकी पार्टी में भी इस बात का मतभेद है। आज जो चहल-पहल विरोधी पक्ष में न होकर उनकी स्वयं की पार्टी में दिखाई दे रही है वह इसी बात की द्योतक है कि इसमे कई अयोग्य व्यक्ति आ गये हैं।

पोर्टफोलियोज की गिनती कराने से यह पता चलता है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है। उनके लिये ५-६ घंटे का समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है। एसेम्बली की बैठक होती है तब तो उनका समय जरा अच्छी तरह से और चहल-पहल से निकल जाता है पर दुर्भाग्य से हमारे यहां एसेम्बली की बैठक ही कम होती है। दिल्ली जैसी एक छोटी सी रियासत में साल में ५-६ बार सेशन हो जाता है लेकिन राजस्थान की एसेम्बली यदि एक हफ्ते के लिये बुलाई जाती है तो तीन दिन में ही सेशन खतम हो जाता है; तो साल में जो ६-१० महीनों का समय रह जाता है उसमें हमारे मंत्री क्या काम करते हैं यह देखना है। आदमी निकम्मे बैठे रहेंगे तो "खुराफात ही करेंगे"। "आइडल मेन्स माइन्ड इज डेविल्स वर्क शोप"। वे लोग ऐसी चालें चलेंगे जिससे चाहे उनकी पार्टी को फायदा जरूर हो, पर जनता को तो उससे नुकसान ही होगा। जब कि उनके पास काम नहीं है, वे निकम्मे बठे हैं, फिर भी उनका नम्बर बढ़ता जा रहा है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो समस्या हमारे मंत्रियों के सामने इमर्जेंसी की आ जाती है उनको वे किस कदर हल करते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इन नवरत्नों में राज्य का बोझ संभालने की योग्यता कहा तक है? अभी हाल ही में जयपुर शहर में बहुत बड़ी हड़ताल हुई और चल रही है, जिसे आज आठवां दिन है; पर अभी तक समस्या हल नहीं हो पाई। ऐसी छोटी समस्या को भी यदि हमारा मंत्रीमंडल हल नहीं कर सकता, जब कि उनके पास कुछ भी काम नहीं है, तब फिर हम उनसे क्या आशा कर सकते हैं? आप तो अपनी संख्या बढ़ाइये! ६ मंत्रियों के बजाय ८७ मंत्री, उपमंत्री और पालियामेण्ट्री सेक्रेटरीज बना दीजिये ताकि आपस में कोई पार्टी बन्दी का झगड़ा न रहे।

यह भी आप कर सकते हैं। मगर काम करना एक दूसरी बात है और मिनिस्टर का नम्बर बढ़ाना और फजूल खर्चा करना और मुलामियत करना दूसरी बात हो जाती है। आज जयपुर शहर की जो हालत है उस पर मैं आपके सामने कुछ रोशनी डालना चाहता हूं कि यह क्या बात है? क्यों आज ८ दिन से हड़ताल हो रही है? उसकी परिस्थिति को ठीक क्यों नहीं किया जाता है? यह हालत जो आज शहर की हो रही है विरोधी दल के शासन काल म अगर होती तो जो सरकार उस समय होती उसके लिये अवश्य ही अविश्वास का प्रस्ताव लाने में कांग्रेस नहीं चूकती। [illegible] इस प्रकार

श्री जसवंतसिह]

का प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहा है ? मैं यह कहूंगा कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने में हमको कोई एतराज नहीं। अगर कुव्यवस्था ऐसी ही रहेगी तो वह भी दिन आ जावेगा। मगर हम यह देखते हैं कि हमारी जो सरकार है वह हमारे राजाओं की जगह लिये हुए है और वह राजा है। उनकी ताकत को हम देखते हैं और काबलियत और योग्यता को देखते हैं कि उनमें कितनी योग्यता है प्रान्त को डुबाने म, प्रान्त को रसातल तक पहुंचाने में, ले जाने में (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)! जब हमारा प्रान्त रसातल में पहुंच जावेगा तो अपने आप पब्लिक में अपरोर ( ) होगा। मैं यह चाहता हूं कि जनता द्वारा ही राजाओं (राज्य करने वालों) की योग्यता का परीक्षण किया जावे तो बहुत अच्छा होगा।

मैं मेरे मित्र, चीफ मिनिस्टर मि० व्यास, को यह बतला देना चाहता हूं कि पब्लिक द्वारा तो हड़ताल हो ही रही है और हमारे देखने और सुनने में आया है कि पुलिस ने भी हड़ताल कर दी है। तीन-चार दिन पहले सेशन्स में मरडर केसेज् तक में मुलजिम पेशी पर नहीं पहुंचाये गये। एक केस में मुलजिम के वकील पहुंच गये, जज साहब मौजूद थे मगर पुलिस द्वारा मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया गया। पूछने पर उन्होंने कहा कि शहर में सब जगह हड़ताल है, नहीं ला सके। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि शहर में जब हड़ताल है, ४-५ महीने वह एक्यूजड जेल में बिना कारण रहेगा और उधर मिनिस्टरों के पास कुछ काम नहीं है, वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और उसके लिये उनको समय है। उनके पास कुछ काम नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे जल्दी ही खत्म करना है क्योंकि घंटी बज गई है। इधर यह भी देखने में आया है कि मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट तक हड़ताल में शामिल हैं और कुछ दिनों से कचहरी में नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष—This is going out of the scope of the resolution. You should not criticize the Magistrates.

कुं० श्री जसवन्तसिह—I am not criticizing the Magistrates. I am criticizing the ability of the Government.

इसी प्रकार की एक बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिये मुझे इसका अनुभव हुआ। इधर तो पहले के राजाओं ने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना दिये और डाक्टर रखे गये हैं मगर देखा जाये तो होस्पिटलों में दवाइयें तक अब नहीं मिलतीं। हर एक नुस्खे पर पेटेण्ट दवाई लिख दी जाती है जिसको बाजार से खरीदना पड़ता है। मुझे अफसोस है कि मेडिकल मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं। यदि वे भी यहां होते तो अच्छा था।

श्री जयनारायण व्यास—मैं उनकी ओर से भी जवाब दूंगा।

श्री जसवन्तसिंह--मेडिकल स्टोर्स या दुकानें सब बन्द हैं क्योंकि शहर में हड़ताल है। अगर हमारी गवर्नमेण्ट योग्य गवर्नमेण्ट होती तो वह जनता के लिये उसका कोई न कोई प्रबंध करती। अगर वह जनहित का खयाल करती तो क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं था कि जब दूसरे दुकानें नहीं खोल रहे हैं तो जनता के लिये सरकार दूसरा प्रबंध करती और नहीं किया तो इसका क्या कारण है ?

यदि आप मिनिस्टरों की संख्या बढ़ाना चाहें तो कांग्रेस दल के जितने सदस्य हैं यानि उन सब को मिनिस्टरी में ले सकते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यदि आप उनको योग्यतानुसार नियुक्त करें तो ७ के बजाय ५ मंत्रियों से ही बहुत अच्छा और सुचारु रूप से काम चल सकता है और राजस्थान को यह मालूम हो सकता है कि किस तरह से काम किया जा सकता है। मगर योग्यतानुसार उनकी नियुक्ति नहीं होती। सिर्फ पार्टी को ध्यान में रख कर मिनिस्टर बनाये जाते हैं कि उस मंत्री के के पीछे उनके कितने मित्र हैं। आप मिनिस्टरों की संख्या को बढ़ा कर ८७ नम्बर तक कर सकते हैं लेकिन इसमें प्रान्त का हित हो, ऐसी चीज मालूम नहीं होती। इसलिये मुझे श्री गोपीलालजी यादव के प्रस्ताव का समर्थन करने में बड़ी प्रसन्नता है।

इसलिय मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे प्रान्त में जनहित के लिये ज्यादा से ज्यादा ७ या ५ ही मंत्री हों तो ज्यादा हित होगा और काम ठीक होगा और यहां की माली हालत को देखते हुए माली हालत पर भी वजन नहीं पड़ेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी (१०८)---माननीय अध्यक्ष, श्री गोपीलालजी यादव ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यादवजी ने जो सात मिनिस्टरों के बारे में प्रस्ताव रखा है....

श्री अध्यक्ष---७ मिनिस्टरों के लिय कोई प्रस्ताव श्री यादवजी ने नहीं रखा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी--७ मिनिस्टरों से ज्यादा नहीं होने चाहियें, उसके बारे में जो प्रस्ताव रखा है, मैं उन सात को भी ज्यादा समझता हूं और यह कहूंगा कि उन्होंने ७ मिनिस्टरों को भी ज्यादा बताया है। मैं तो यह समझता हूं कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पांच मिनिस्टरों से ज्यादा उनकी संख्या नहीं होनी चाहिये।

पहले यहां राजाओं के राज्य में एक राजा शासन करता था और एक राजा होता था और वह सारा इन्तजाम करता था। इसी तरह से सारे राजस्थान के लिये पांच मिनिस्टर हों जो सारे राजस्थान का काम चलावें, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की स्थिति अच्छी हो सकती है।

मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर से एक प्रश्न पूछा तो चीफ मिनिस्टर के स्टाफ और दौरे का खर्चा बताया गया। उसी तरह से टेलीफोन और दूसरी तरह के भी खर्चे हैं। मिनिस्टर के खर्चे जो मैंने पूछे वह बहुत कम बताये थे। इसका खर्चा अकेला देखा जावे तो बहुत अधिक आता है। आज यह बताया जाता है कि मिनिस्टर को ९००) रुपये तनख्वाह के मिलते हैं, मगर देखा जावे तो मोटर के खर्चे, और दूसरे खर्चे मिला कर कम से कम एक मिनिस्टर के ६०००) रु. माहवार का खर्च आवेगा। राजस्थान की

Page No.38

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

हालत को देखते हुए एक मिनिस्टर पर ६०००) रु. का माहवारी खर्चा बहुत होता है। इसी तरह से मिनिस्टरों का हिसाब लगावेंगे तो आपको मालम होगा कि कितना खर्चा होता है।

इसके बाद जो आज मिनिस्टर हैं वे दौरा करते हैं तो उनकी कार में जो खर्च होता है उसम सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, कलेक्टर, डिप्टी एस. पी. और दूसरे पुलिस के जवान आते हैं उनका खर्चा शामिल नहीं होता। यदि उनका खर्चा और टी. ए. का खर्चा सब शामिल किया जाये तो मालूम होगा कि वह बहुत होता है। वह खर्चा अलग अलग डिपार्टमेण्टों को बताना पड़ता है। अगर यह सब उसी मिनिस्टर के साथ बताया जावे तो आप लोगों को मालम होगा कि कुल एक दौरे का कितना खर्चा होता है।

आज जो यह सारी चीज हो रही है वह वोटिंग के लिये हो रही है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है; जनता का कोई हित नहीं हो रहा है। यह सिर्फ इसीलिये हो रहा है कि उनकी पार्टी को वोट मिलें (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) पब्लिक के लिये कुछ भी नहीं हो रहा है। यह मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि जब वे जाते हैं तो मंत्राणियां (हंसी) भी जो जाती हैं तो स्टेटकार में जाती हैं और उनके साथ नौकर ले जाते हैं। वे उन लोगों के साथ जाकर प्रोपेगेण्डा करते हैं। मैं माननीय मंत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान की आर्थिक हालत ऐसी है तो वे ऐसा क्यों करते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब हमारे यहां की आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसी हालत को देखते हुए वे मंत्रीगण इस तरह का खर्चा क्यों करते हैं?

दूसरी बात यह है कि आज हर बात के लिये खर्चा किया जा रहा है। आज जयपुर शहर के अन्दर आठ-नौ दिन से हड़ताल हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुख्य मंत्रीजी उसके लिये कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं, यह बड़े शर्म की बात है। ऐसे मुख्य मंत्रीजी की आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री मुक्तिलाल मोदी—हड़ताल होने पर भी कुछ नहीं कर सक रहे हैं, बड़े दुख की बात है।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री मानसिंह नहार (जमवा रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) आज डेढ़ महीने की बीमारी के बाद, मेरे मित्र श्री गोपीलालजी यादव के प्रस्ताव को देखते हुए डाक्टरों की राय के खिलाफ, मुझे इस सदन म आकर दो शब्द कहने का साहस हुआ है और इसलिये मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री गोपीलालजी यादव ने जो प्रस्ताव रखा है वह बड़ा ही बुद्धिमत्ता पूर्ण है क्योंकि अगर यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हो जाता है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी का भी बड़ा भारी सिर-दर्द मिट जायगा क्योंकि आज की कांग्रेस पार्टी में जितनी उथल पुथल, इधर उधर की लड़ाइयां या जो भी बातें हो रहीं हैं वे इसलिये हो रहीं हैं कि कई मित्र चाहते हैं कि उन्हें डिप्टी मिनिस्टर बना दें, कई मित्र चाहते हैं कि उनको मिनिस्टर बनादें। कोई यह चाहता है

[श्री मानसिह महार]

कि उनके दोस्तों को मिनिस्टर बना दिया जावे और कोई यह चाहता है कि फलां के साथ दुश्मनी है इसलिये उसको मिनिस्टर न रखा जाय। अगर पांच-सात मिनिस्टरों तक का नम्बर ही लिमिटेड हो जाय तो मुख्य मंत्रीजी को भी दिक्कत से बच जाना पड़ेगा। वे कह सकेंगे कि चूंकि सदन में प्रस्ताव पास होगया है और मिनिस्टरों का नम्बर लिमिटेड हो गया है इसलिये में इतने ही ले सकता हूं और इस तरह से सब की जुबान बन्द हो जायगी। श्री गोपीलाल जी यादव का जो प्रस्ताव है, वह कांग्रेस बेन्चेज में जो डिसरप्शन (Disruption) आ रहा है, उसको रोकने के लिये बड़ी भारी दवा है। इसलिये भी में आशा करूंगा कि सदन के उस तरफ जो बैठने वाले हैं वे भी इस प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से समर्थन करेंगे।

इसके अलावा दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि राजस्थान के मिनिस्टरों में कांग्रेस बेन्चों में कई वकीलों के होते हुए भी यह एक दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है कि जो एल.एल.बी. हो जो कानून का पोर्टफोलियो ले। इसलिये हमारे एक मित्र को एल.एल. एम. होने के नाते डिप्टी मिनिस्टर होना पड़ा।

("He is not LL. M." इस तरह की सदन में आवाज)

श्री मानसिह महार--एल एल. बी. ही समझ लीजिये।

श्री अध्यक्ष--Have you finished your speech.

श्री मानसिह--I have just started. में तो बीमारी से उठ कर आया हूं, इसलिये भी तो मुझे बोलने दीजिये।

श्री गोपीलाल यादव--आपकी सहत अच्छी नहीं है इसलिये ज्यादा न बोलें।

(हंसी)

श्री मानसिह महार--मिनिस्टरों की संख्या के बारे में मुझे यह कहना है कि जितने ज्यादा मिनिस्टर होते हैं इस भूखे राजस्थान में तो खर्चा उतना ही अधिक बढ़ता है। ज्यादा मिनिस्टर होने से कर्मचारियों के काम में भी बाधा पड़ती है। एक मिनिस्टर यदि दौरा करता है तो जितने अफसर होते हैं उन बेचारों को उनकी हाजरी में रहना पड़ता है और उनकी हाजरी में रहने के कारण वे दफ्तरों का काम नहीं चला सकते। जितने कम मिनिस्टर होंगे इन लोगों को उतने ही कम आदमियों की हाजरी साधनी पड़ेगी और यह राजस्थान के लिये बड़ा भला काम होगा क्योंकि यहां मुकद्दमे आज भी पांच पांच साल और दस-दस साल से फैसले होते हैं। आप चाहें तो में प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं। हमारे आमेर के नाजिम साहब हैं, उनका डिस्पोजल महीने में पांच मुकद्दमात का है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि एक एस.डी.ओ. महीने में पांच मुकदमों का ही फैसला करे और जो जनता की सरकार कहलाती है उसके कानों पर जूं ही नहीं रेंगती। अतः में यह कह सकता हूं कि मिनिस्टरों की संख्या सात ही क्यों, तीन ही कर दी जाय तो वह राजस्थान के हक में होगा। मैं

[श्री मानसिंह महार]

यह भी कह देना चाहता हूं कि जितने मिनिस्टर होते हैं वे चुनावों में ज्यादतियां करते हैं। मैं इस संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण रख सकता हूं। खण्डेला के अन्दर एक मिनिस्टर साहब सरकारी जीप में गये थे। उस जीप पर सरकारी प्लेट लगा हुआ था। जब एस. डी. एम. और डिप्टी एस. पी. को ढूंढा गया तो वे भी गायब थे। (विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि) उस जीप पर सरकारी झण्डा लगा हुआ था और जब एस. डी. एम. और डिप्टी एस. पी. को ढूंढा जाता है तो कहा जाता है कि वे बाहर गये हैं। पूछा जाता है कि क्यों, कहां गये हैं तो कहा जाता है कि हमको मालूम नहीं है। मैंने मित्रों से कहा कि वे श्री कुंभाराम के चरण स्पर्शो पर गये होंगे। जब हम मिनिस्टर साहब के वहां पहुंचे तो वे लोग खटिया पर पड़े हुए थे। तो किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। जितने मिनिस्टर कम रखे जावेंगे उतना ही अच्छा होगा। मिनिस्टर साहब तो कह सकते हैं कि वे चुनाव के लिये गए थे किन्तु उन्हें उस गाड़ी में जाने की क्या जरूरत थी और एस. डी. ओ. और डिप्टी एस. पी. का वहां क्या कार्य था? यह भी कहा गया कि वह गाड़ी तो बिक गई किन्तु मैं आपको बता सकता हूं कि वह गाड़ी आज भी स्टेट गेरेज में मौजूद है। ... पक्षपात करते हैं तो निष्पक्ष चुनावों की आशा हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए सर्वस...ति से सदन को इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। अगर राजस्थान में इस तरह की कूड़े कर्कट की मिनिस्टरी खत्म होजाय तो किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव पास हुआ तो राजस्थान की इससे बहबूदी ही होगी। मैं तो यह कह देना चाहता हूं कि इस मिनिस्ट्री ... तो अगर आई. सी. एस. की सरकार ही कायम हो जाय तो वह भी इस कूड़े कर्कट की मिनिस्ट्री से तो अच्छी होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)--माननीय अध्यक्ष महोदय..............

श्री अध्यक्ष--श्री माधोसिंह।

ठा० श्री माधोसिंह (वि० सं० ९०)--आज इस सदन के सामने भूतपूर्व प्रजा पार्टी के नेता श्री गोपीलालजी यादव ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के समर्थन के लिए मैं आपके समक्ष दो शब्द अर्ज करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव बड़े महत्व का है, जो मिनिस्टरों की संख्या की कटौति के लिए रखा गया है और जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। राजस्थान जब बना था तो राजस्थान में आठ मंत्री रखे गए थे। असेम्बली आने के बाद जो मंत्रीमंडल बना उसके मिनिस्टरों की संख्या में निश्चित तौर पर कमी हुई। हमें तो यह आशा थी कि कम मंत्री होने से सब काम अच्छा चलेगा किन्तु हमारे दुर्भाग्य से फिर दो उप-मंत्री और ले लिए गए और वे इस बात पर ले लिए गए कि उप-मंत्री लोग मंत्रियों के काम में हाथ बटावेंगे। किन्तु उप-मंत्री लोग, मैं माफी चाहता हूं, काम के अन्दर दखल देते हैं। पुलिस के अन्दर उप-मंत्री ने अपने रिश्तेदारों को ऊँचे पोस्ट पर डाइरेक्ट रखा। विरोधी दल का भागा हुआ आदमी मंत्री-मंडल में घुसा दिया गया। इधर बैठने वालों का तो यही कहना है कि मंत्रियों की इतनी ही संख्या बढ़ाई जाय जो कि राजस्थान में शान्ति रखने के लिए आवश्यक है जिनको राजस्थान की बहतरी के लिए रखा जाय और इसीलिए जो प्रस्ताव श्री गोपीलालजी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। राजस्थान का मंत्रीमंडल सारा ही ऐसा हो कि राजस्थान के मंत्रीमंडल पर कोई आंख उठा कर न

[ठा० श्री माधोसिंह]

देख सकें और विरोधी दल के लोग भी उसकी सराहना करें। हमें कितना ही विरोध हो सकता है किन्तु हमें यह कहने का मौका मिले कि उनका काम बिना किसी पक्षपात के होता है। हमें उनकी नीति से विरोध भले ही हो किन्तु उनके काम के खिलाफ हमें बोलने का अवसर न मिले।

दूसरा सवाल यह है कि मंत्रीमंडल से हम मान सकते हैं कि राजस्थानी जनता का भला होगा, उसका फायदा होगा किन्तु इन मंत्रियों के पीछे जो अफसर लोग दौरा करते हैं और उसकी वजह से काम जो सफर होता है, उस बारे में यह विश्वास हो जाय कि काम जो सफर होता है वह हमारे मंत्री हो जाने पर भी सफर नहीं होगा।

राजस्थान के जो राजकर्मचारी हैं वे भी अच्छी तरह काम करेंगे। इसके अलावा फिर कहूं, मुझे कहना नहीं चाहिये, कि जिस डिविजन का जो मन्त्री होता है वह उसी डिविजन में अधिकतर दौरा करता है। हमारे उप-गृह मंत्री पांच-छः बार जोधपुर आये। मुझे पता नहीं इतना क्या काम उनको वहां था ? मेरी समझ में नहीं आता कि वे क्यों इतने दौरे करते हैं, किसी कार्य से जाते हैं अथवा यों ही जाते हैं ? इसकी ज्यादा मंत्री होने से ही सम्भावना रहती है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि ज्यादा मंत्री बढ़ाने से जो हैडेक हमारे मुख्य मंत्री जी को भी होता है वह भी कम हो जावेगा और ये ज्यादा दौरे भी कम हो जावेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गोपीलाल जी यादव के इस प्रस्ताव के खिलाफ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। (विरोधी बैंचों से "हियर, हियर" की आवाज) और इसलिये नहीं कि मुझे ऐसा आश्वासन मिला है कि चन्द रोज में मुझे कुर्सी मिल जावेगी। (सभी ओर से "हियर, हियर" की आवाज) लेकिन इसलिये कि जितनी भी दलीलें कई महानुभावों के द्वारा पेश की गई हैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उनसे मैं इत्तिफाक नहीं करता।

मुख्यतया चार बातें बताई गई कि:—

(१) ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है,

(२) मन्त्रियों के पास में कार्य नहीं है,

(३) वे क्वालिफाइड नहीं है, और

(४) ज्यादा मन्त्री न होने से पार्टी की गड़बड़ियां मिट जावगी। यदि गिनती की लिमिट कर देंगे तो गड़बड़ी करने वाले मेम्बर हताश होकर बैठे रहेंगे।

मुख्यतया ये चार बातें बतलाई गई हैं। मैं एक एक के लिये अपने विचार प्रकट करता हूं।

पहला है कि खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। अव्वल तो मन्त्री होते किसलिये हैं यह देखने की बात है। राजा भी हुआ करते थे। वे भी खर्चे करते थे। तो गोया इनको भी मन्त्रीमन्डल हाथ लगा है तो ये भी खर्चा करेंगे ही। वे राजस्थान के मंत्री हैं तो उनको टूर (यात्रा) भी करना पड़ता है, इतने लम्बे-चौड़े सारे इलाके से वाकिफ भी होना जरूरी है और अगर वे वाकिफ न हों तो वहां की हालत से वाकिफ

[श्री खेतसिंह]

कैसे रहेंगे और फिर उन पर कार्यवाही नहीं कर सकेंगे । **इसलिये** दूर करना उनके लिये अनिवार्य है **और यह इसलिये** भी कि राजस्थान अभी अभी बना हुआ प्रोविन्स है और इसमें ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने **सिर्फ कान्स्टीट्यूशन** और अधिक से अधिक अपनी अपनी पुरानी रियासतें ही देखी हैं। इसलिये **राजस्थान होने** पर इसके सारे क्षेत्रों से वाकिफ होने के लिये उन्हें दूर करना जरूरी है ।

जहां मंत्री लोग दूर पर जावें और वे वहां अकेले चलते रहें यह तो अच्छी बात नहीं । आखिर **मन्त्री हैं** । उनके साथ लवाजमा होना जरूरी है । नहीं तो लोग भी कहेंगे कि उनके साथ तो कोई चलता **ही नहीं**, इसलिये भी जरूरी हो जाता है कि वे पैराफर्नेलिया अपने साथ रक्खें । फिर अगर मंत्री नहीं **इस** तरह का लवाजमा रक्खेंगे तो क्या आप और हम रक्खेंगे ?

दूसरी बात यह है कि खर्चा बढ़ रहा है । अब तक ज्यादा से ज्यादा खर्चा मेरे मित्र ने सवा चार **लाख के करीब** बताया । मैं कहूंगा कि ज्यादा मन्त्री आप बढ़ाइये और ज्यादा खर्चा करिये पर करप्शन रोकिये, भ्रष्टाचार के पीछे पड़िये, इससे कई गुना फायदा सरकार का हो सकता है । इससे भी कई और ज्यादा मदें ऐसी पड़ी हैं कि जिन्हें जांच करके कटौल (कटौती) करें तो करोड़ों का फायदा हो सकता है । **लाख** लाख की तो बात ही क्या ? एक मात्र मन्त्रियों के खर्चे के कम-बढ़ होने से हमारा घाटे का **बजट बचत** का बजट बन जाता हो तो यह बात मैं मानता नहीं ।

दूसरी बात कहते हैं कि मन्त्रियों के पास कार्य नहीं है । क्या बात करते हैं आप ? मिनिस्टरी **में जाने के** बाद में उनका तो दिखना ही बन्द हो गया है और इसी तरह से आप यादवजी की हालत देखिये **कि कांटे हो रहे हैं**, उनके पास कार्य बहुत है और कार्य करते भी हैं । अब यह बात दूसरी है कि कइयों **के पास** कम पोर्टफोलियों होने से कम काम करते होंगे, पर काम सब करते हैं यह मानना पड़ेगा । इससे **भी बढ़कर** बात यह है कि रेस्पोन्सीबिलिटी (उत्तरदायित्व) उन पर कितनी है । यह आप क्या सोच **नहीं सकते हैं** ? आप खुद महसूस करते हैं कि मिनिस्टर.......

श्री अध्यक्ष--You should address the Chair and not the members.

श्री खेतसिंह--अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो आई कि क्वालिफाइड नहीं हैं । वे क्वालिफाइड होने चाहिये, यह भी बात नहीं है । युनिवर्सिटी में पढ़े हुए हों या न हों, यह बात नहीं है । यहां **तो बहुमत की बात है** । जो ज्यादा पापुलर होगा नेचुरली (Naturally) वही मिनिस्टर बनेगा । मैं **कहूंगा कि एक** आदमी किताबें बहुत पढ़ा-लिखा है, बड़ा धुरन्धर विद्वान है लेकिन इससे यह साबित नहीं **होता कि चूंकि वह** ज्यादा पढ़ा लिखा है इसलिये मिनिस्टर होना ही चाहिये । प्रजातन्त्र में यह चीज नहीं **चलती । प्रजातन्त्र में तो वही मिनिस्टर बनेगा जिसके पिछे ज्यादा बैंकिंग होती है, जो ज्यादा पापुलर होता है** । तो इस पाइन्ट से आप देखेंगे तो सब को ठीक ही क्वालिफाइड पावेंगे ।

और चौथी बात बतलाई कि संख्या कम करने से पार्टी की गड़बड़ियां मिट जावेंगी । इस बात से तो मैं कतई बहुमत नहीं हूं । आप यदि मिनिस्टरों **की लिमिट ही** कर देंगे **और सात में से धीरे २ एक-दो**

[श्री खेतसिंह]

की बैंकिंग हटी और बाद में दो को ही लेंगे तो इससे हाउस के नेता की हालत और भी खराब हो जावेगी। इसलिए होना यह चाहिये कि नेता को पूरी स्वतन्त्रता दी जावे इस मामले में। बंगाल में १२ मिनिस्टर हैं। इसी तरह यहां इतने लम्बे-चौड़े प्रदेश में कम से कम बारह-तेरह तो बनने ही चाहिये। (हंसी) यह कहना भी कोई अर्थ नहीं रखता कि पांच ही मिनिस्टर होने चाहिये। हमारी पुरानी छोटी-छोटी रियासतों में भी तो सात-सात मिनिस्टर हुआ करते थे। बीकानेर में भी जब कि कुंवर जसवन्तसिंह जी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वहां भी पांच मिनिस्टर से ज्यादा होंगे। तो अब राजस्थान में जहां कि बीकानेर जैसे कितने ही डिस्ट्रिक्ट बढ़ गये हैं तो इस रेशियो (अनुपात) से तो कई मिनिस्टर बढ़ने चाहियें।

तो इतना ही कहकर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री संतोषसिंह —अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री गोपीलालजी यादव ने जो यह प्रस्ताव पेश किया है उसमें मैं ज्यादा सहयोग नहीं रखता हूं।

आपने यह सैद्धान्तिक बात बताई कि दर असल ज्यादा मिनिस्टर रखने से ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन मैं पैदाइश से ही उस कौम में हूं जो यह मानती है कि ज्यादा खर्चा न किया जावे तो ज्यादा फायदा ही न हो। अभी अगर ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे तो ज्यादा आमदनी नही कर सकेंगे। खेत में ज्यादा बीज नहीं बोएंगे तो ज्यादा पैदावार नहीं प्राप्त कर सकेंगे। फैक्टरी आदि उद्योगों में लाखों-करोड़ों रुपया नहीं खर्च करेंगे तो उतनी बड़ी आमदनी नहीं कर सकेंगे। कोई भी बड़ा व्यापार या काम करके देख लीजिये कि जब तक ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो ज्यादा आमदनी भी नहीं कर सकेंगे। आज भी स्टेट में जो आदमी काम करता है एक पेटी खरीदता है तो एक पेटी जितना नफा होता है और सौ-पचास पेटी खरीदता है तो उतना ही अधिक फायदा होता है।

तो इसी तरह राजस्थान के ये मंत्री अधिक खर्च करते हुए भी अगर सही माने में काम करते रहें तो अधिक फायदा इस प्रान्त का कर सकते हैं। इसलिए खर्चे के सिद्धान्त में इस प्रस्ताव से मेरा सहयोग नहीं है।

दूसरी बात आपने बतलाई कि यह जो मंत्री-मण्डल बना वह आबादी के हिसाब से बनना चाहिये, मेरा इसमें भी कोई सहयोग नहीं है। आबादी तो बम्बई कलकत्ता जैसे शहरों में बहुत है, यू.पी. में बहुत है। वहां नदी नाले भी बहुत हैं और वहां थोड़े से एरिया में पापुलेशन बढ़ गई है, पर हमारे यहां तो मरुभूमि होने की वजह से भूमि के पीछे आबादी का प्रापोर्शन (अनुपात) थोड़ा है। इसलिये पापुलेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि एरिया के हिसाब से हमारा मंत्री-मन्डल होना चाहिये।

दूसरा रहा प्रश्न कि काम काज नहीं है। यह तो मंत्रियों के डर की वजह से है। असेम्बली जब शुरू होती है तो यहां हड़ताल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ पंपाल आ जाता है, जैसा क मुख्य मन्त्री महोदय ने बतलाया; पर मेरी समझ में तो यह इनके डर की वजह से है।

श्री संतोषसिंह]

अब रहा हड़ताल का सवाल। यह तो दर असल अयोग्यता की बात है, नहीं तो जयपुर की यह हड़ताल नहीं होती। इसका कारण थोड़ा बतलाता हूं। यह जो गृहकर और चुंगी टैक्स लगाया गया इसके लिए बताया गया कि दूसरे प्रोविन्सेज के पर कैपिटा को देखते हुए यहां कर का भार बहुत ही कम आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि साथ ही साथ आपने यह नहीं सोचा कि वहां पर कैपिटा इन्कम कितनी होती है।

श्री अध्यक्ष--It is not relevent

श्री संतोषसिंह--अच्छा साहब, इसलिये मेरा यह मतलब है साहब कि काम काज भी बहुत है।

अब यह कहा जाता है कि वे योग्य नहीं हैं। मैं कहता हूं कि जनतन्त्र में योग्य-अयोग्य का सवाल नहीं होता, वहां तो हर चीज बहुमत से होती है। इसलिए बहुमत के साथ योग्यता अपने आप आ जाती है।

कामकाज के लिए मैं अपनी एक सिफारिश पेश करूंगा जिसे करने में वे डरेंगे नहीं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह हिन्दुस्तान के दूसरे प्राविन्सों से बड़ा है इसलिए कोई मंत्री अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से हर जगह पहुंच नहीं सकता। इसलिए उन्हें काम देने के लिए इस राजस्थान के दो पार्ट किये जावें। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, और सिरोही का एक हिस्सा कर दिया जावे या राजस्थान के सारे नक्शे में बीचों बीच एक लाइन खींच दी जावे और इस तरह दो हिस्से कर दिये जावें और इन दो हिस्सों में अलग अलग मिनिस्टर रक्खे जावें और मेरा सुझाव है कि चीफ मिनिस्टर एक ही रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एक रहे और होम का पोर्टफोलियो उसके पास रहे। चीफ सेक्रेट्री भी दो हों। बाकी मिनिस्टर दोनों हिस्से में सब विभागों के एक एक अलग अलग हों; जैसे राजस्व मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री आदि। हर हिस्से में इस तरह के अलग अलग मिनिस्टर कायम कर दिये जावें।

श्री माधोसिंह आफ भेंसवाड़ा--On a point of Order, Sir, is it an amendment to the resolution or a new resolution?

श्री अध्यक्ष--It is for the members to think.

श्री संतोषसिंह--मेरा मतलब यह है कि सात मिनिस्टर एक हिस्से में रहने चाहिये और सात ही मिनिस्टर दूसरे हिस्से में रहें। एक हिस्से का नाम राजस्थान पार्ट 'ए' कर देना चाहिये और दूसरे का राजस्थान पार्ट 'बी' कर देना चाहिये। तो इस तरह से सबको बराबर हक भी मिल जावेगा और काम भी काफी होगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी) काम तो दर असल रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आपने यह स्पष्टीकरण नहीं किया कि आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं इस प्रस्ताव का?

श्री संतोषसिंह—मैंने विरोध में ही बातें कही हैं। मेरा इस प्रस्ताव से सहयोग नहीं है, यह मैंने शुरू में ही बता दिया था।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, मैं श्री गोपीलाल जी यादव के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मेरी राय में जो दलीलें उन्होंने मंत्रियों को कम करने के लिये दी हैं वे बिल्कुल लचर हैं। जो दलील उन्होंने दी है वह सिर्फ माननीय मुख्य मंत्रीजी के सिर-दर्द को कम करने के लिये दी है, उन्होंने हम लोगों की भावना की कोई कद्र नहीं की। अगर मिनिस्टर्स की संख्या लिमिटेड कर दी गई तो मेरी समझ में नहीं आता कि बाकी के हम लोग क्या करेंगे। इस प्रकार ये दो दलीलें ऐसी हैं जिनके अनुसार मिनिस्टर्स की संख्या लिमिटेड नहीं होनी चाहिये और न लिमिटेड की भी जा सकती है। जैसा कि एक मेरे मित्र ने सजेस्ट किया कि बंगाल में ३२ मिनिस्टर्स हैं उसी प्रकार यहां भी होना चाहिये। यह तो आवश्यक है कि हमारा राजस्थान प्रान्त, जिसे हम बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं जितने भी ज्यादा मिनिस्टर्स होंगे उतना ही अधिक यहां के नवजवान आदमियों को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उनका आयंदा के लिए तजुर्बा होगा। इसलिये यह कहूंगा कि मिनिस्टर्स की संख्या कम कर की दी जाय, गलत है। इनका यह प्रस्ताव कि मिनिस्टर्स की संख्या लिमिटेड कर दी जाय, बिल्कुल गलत है।

दूसरी बात यह बता दूं जिसके लिये यह कहा जाता है कि मिनिस्टरों के पास काम नहीं है तो मैं कहता हूं कि काम तो बहुत ज्यादा है, काम केबिनेट में भी बहुत है और बाहर भी बहुत है, इतना काम है कि उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यादव साहब जब मिनिस्टर थे उसी वक्त शायद वे काम कम करते होंगे या उनको काम मालूम नहीं दिया होगा, इसलिये वे समझते हैं कि मिनिस्टर्स के पास कम काम है। मिनिस्टरों के पास जितना काम है इस बात का अन्दाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनको मिलने तक का समय नहीं मिल पाता। उनके आने का समय क्या है, इसका भी पता नहीं होता। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं वे किस कदर काम करते हैं।

एक सदस्य—आप तो बड़ी गंभीर बातें कर रहे हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—बात तो मैं गंभीर नहीं कर रहा हूं किन्तु मामला है जरूर गंभीर।

तीसरी बात यह है कि इतना जरूर सोचा जा सकता है कि यदि मिनिस्टर्स की संख्या बढ़ादी जाय तो उनकी तनख्वाह आदि में कमी कर सकते हैं, इस बात को जरूर सोचा जा सकता है। मिनिस्टरों की तादाद को लिमिट न लगाकर मेरी राय में उनकी तनख्वाहें जरूर कम की जा सकती हैं यदि ऐसा सुझाव आये तो उस पर विचार किया जा सकता है। इस तरह मिनिस्टरों को लिमिटेड कर देना डेमोक्रेसी में बिल्कुल गलत है। इस पर किसी तरह की लिमिट नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में गोपीलाल जी यादव के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भैरूंसिंह (वि०सं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोपीलाल जी यादव ने सदन के समक्ष जो प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष और विपक्ष में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जिन माननीय सदस्यों ने इसके विपक्ष में कुछ बातें कहीं उनके बारे में या उनकी दलीलों के बारे में मुझे कुछ विशेष कहना

[श्री भैरूंसिह दि० सं० १६]

नहीं है। विरोध करने वाले उन सदस्यों में आम तौर पर यह चीज बनी हुई है कि वे सरकार की हमेशा पूंछ बनकर रहते आये हैं, वे अपने स्वतन्त्र विचार नहीं रखते। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार के लिये यह पूर्ण आवश्यक है, जनतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार यह जरूरी है कि इलेक्टेड मंत्री-मंडल का निर्माण हो। इस पर यहां यह देखने की आवश्यकता है कि कितनी तादाद में मंत्री हमारे इस राजस्थान के शासन को ठीक प्रकार से चला सकते हैं। जिस वक्त हम आजाद हुए उस वक्त से लेकर आज तक हमने यहां कई प्रकार के मंत्री-मंडल देखे। सन् ४७ में शास्त्रीजी का मंत्री-मंडल था। उसके बाद में राजस्थान प्रान्त का निर्माण हुआ उस समय भी शास्त्री मंत्री-मंडल था और उसके बाद में फिर कांग्रेस में आपसी संघर्ष चला और उसका नतीजा यह हुआ कि शास्त्रीजी को मंत्री-मंडल सहित त्याग-पत्र देना पड़ा और श्री वेंकटाचार मंत्रीमंडल का निर्माण हुआ। वेंकटाचार मंत्रीमंडल के लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं और सदन के सदस्य भी इस चीज का अनुभव करते होंगे कि वह सारा शासन-काल कितना अच्छा था। वह आई. सी. एस. रूल था। जनतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल था, फिर भी उस शासन-काल में जो वेंकटाचार मंत्री-मंडल ने जनता की सेवा की, शासन की सेवा की इस चीज से आप लोग कभी इन्कार नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस मंत्री-मंडल में केवल तीन सदस्य थे और उन्होंने सारे राजस्थान का शासन-संचालन ठीक प्रकार से किया। सत्तारूढ़ दल की यह आम शिकायत थी कि वह जो रूल है वह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। मंत्री-मंडल का निर्माण इलेक्शन से नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, उस वेंकटाचार मंत्री-मंडल में केवल तीन सदस्य थे। जब राजस्थान में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो मंत्री-मंडल पालीवालजी के नेतृत्व में बना उसमें ६ मंत्री चुने गये। उसके बाद में जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने अपना शासन-भार संभाला उन्होंने शुरू में तो शायद इस बात को महसूस किया कि ६ मंत्रियों की आवश्यकता नहीं इसलिये उन्होंने तीन मंत्रियों से इस्तीफे लिये अथवा यों कह दीजिये कि उन मंत्रियों को त्याग-पत्र देना पड़ा। उस समय का यह कदम जनता को यह बतला रहा था कि मंत्रियों की संख्या कम करके माननीय मुख्य मंत्री प्रशासनिक व्यय कम करना चाहते हैं, किन्तु बाद में जब एक मंत्री और दो उप-मंत्रियों ने यह पद संभाला तो जनता का यह सारा संकल्प एक स्वप्न की भांति रह गया और जनता यह सोचने लगी कि यह सब बातें दलगत भावना के आधार पर की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है और यह सिद्धान्त है कि हमेशा शासन का काम दलगत भावनाओं से ऊपर रहना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जिस आदमी में नैतिकता है उस आदमी पर इस प्रकार का कोई भार आ नहीं सकता। उनके सामने सिर्फ एक चीज है, वह है सेवा करने की भावना। यदि इस भावना से काम किया जाता तो वे मंत्री-मंडल में रहें या न रहें, चीफ मिनिस्टर रहें या न रहें, उनके प्रति पार्टी का विश्वास रहे या न रहे, वे उस बात की चिन्ता नहीं करते हैं। उनके सामने एक ही चिन्ता रहती है कि कम से कम खर्चे में किस प्रकार से राजस्थान प्रान्त की सेवा की जाय, कम से कम खर्चे में किस तरह से जनता को राहत पहुंचाई जाय। यदि यह एक दृष्टिकोण होता तो फिर न इस प्रकार का भार माननीय मुख्य मंत्री जी पर आ सकता है और न सदन पर आ सकता है। अगर हमारा यह दृष्टिकोण नहीं होगा तो फिर नैतिकता के पतन की ओर जाना होगा।

[श्री भैरूंसिंह वि० सं० १६]

अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज से इन्कार नहीं कर सकता हूं कि जनतन्त्रवाद का सिद्धान्त है कि जिसको जनता चाहे वह मंत्री-मंडल में आ सकता है; लेकिन उसके लिये भी एक चीज है। एक अंश की जनता यह चाहे कि हमें इस आदमी को मंत्री-मंडल में भेजना चाहिये या सारे आदमियों का समूह यदि चाहे तो मंत्री-मंडल में लेना चाहिये, लेकिन उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक चिन्ता होनी चाहिये, उनका जो दृष्टिकोण होना चाहिये वह यह होना चाहिये कि वह ऐसे आदमी को चुनें जो योग्य हों। इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि इसके पीछे १० आदमी हैं या इसके पीछे २० आदमी हैं। यदि इसको नहीं लिया तो अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा या इसको मंत्री-मंडल में नहीं लिया तो अपोजिशन में चला जायगा, इसको मंत्री-मंडल में नहीं लिया गया तो यह सारी कांग्रेस की पोल खोल देगा। वे इस प्रकार का दृष्टिकोण रखें कि कौनसा आदमी योग्य है और कौनसा अयोग्य। योग्यता के आधार पर मंत्री-मंडल का निर्माण करना चाहिये। आज हमें खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे मंत्री-मंडल में कोई लॉ-ग्रेजुएट नहीं है। वैसे इस सदन का हर सदस्य लेजिस्लेटर है। लेजिस्लेटर (Legislator) होने के नाते उसके लिये इस प्रकार की कोई विशेष आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। लेकिन मंत्री-मंडल के लिये एक शर्म की बात होगी कि उस मंत्री-मंडल के अन्दर कोई लॉ-ग्रेजुएट नहीं है।

श्री कानसिंह—There is one.

श्री भैरूंसिंह—He is not a Minister but a Deputy Minister.

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना पड़ेगा कि मंत्री-मंडल के निर्माण में यदि वे पार्टी पोलिटिक्स का दृष्टिकोण रखेंगे तो वे मंत्री हो सकते हैं। आज मैं इस चीज से इंकार नहीं कर सकता हूं कि जनतन्त्रवाद में आज एक प्राइमरी स्कूल का हैड मास्टर चीफ मिनिस्टर हो सकता है और एक सब-इन्सपेक्टर भी होम मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन हमें उन चीजों का योग्यता के आधार पर निर्माण करना है। यह ठीक है कि जनता उनको चाहती है इसलिये जनता ने उनको चुन कर भेजा है। प्रशासनिक काम दूसरा है और लेक्चर देने का काम दूसरा, तथा प्लेटफार्म पर से बड़े बड़े लेक्चर देकर जनता को आकर्षित करने का काम एक और है। यह भी ठीक है कि मंत्री का काम पोलिसी के निर्माण का है और उसे क्रियान्वित करने का काम दूसरों का है; लेकिन जब तक पोलिसी का निर्माण करने वाले अनुभवी व्यक्ति नहीं होंगे तब तक वे ऐसी कोई अच्छी पोलिसी का निर्माण नहीं कर सकेंगे जिससे कि सारे प्रान्त का भला हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजाओं का शासन भी देखा है। राजाओं के शासन की मैं कुछ तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त कोई मंत्री नियुक्त किया जाता था तो यह देखा जाता था कि उसका कहां कहां का एक्सपीरियन्स है, उसने किस किस रियासत में काम किया है, उसमें शासन कार्य चलाने की कितनी क्षमता है। मिनिस्टर बनाने के लिये हजारों आदमियों को देखा जाता था कि कौन योग्य आदमी है, कौन चरित्रवान है, कौन ज्यादा समाज-सेवी है, किसके द्वारा जनता का ज्यादा भला हो सकता है ? वह सारी बातें अब मंत्री-मंडल में नहीं रहीं।

२६० राजस्थान में मंत्रियों और उपमंत्रियों की सात से अधिक संख्या न होने सम्बन्धी संकल्प

[श्री भैरूंसिंह वि० सं० १६]

अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि काम नहीं किया और दूसरे भाई न कहा कि काम बहुत किया। काम करन का ताजा नमूना यह है कि वन मंत्री के लिये मुझ दुख होता है ; लेकिन, अध्यक्ष महोदय शायद वह किसी बीमारी से दुबले हो सकते हैं, लकिन सारे मंत्रियों को देखा जाय तो जिस वक्त मंत्री-मंडल में आये थे उस वक्त यदि वे १।। मन के होंगे तो अब ढाई मन उनका वजन है (विपक्षी दल की ओर से "हंसी")। अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मंत्री-मंडल में आने के बाद में उन पर जिम्मेदारी आती है और उस जिम्मेदारी के कारण वह उनके शरीर को लाजमी तौर से थका देती है यदि वे जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं तो अवश्य मोटे होंगे तथा और मोटे होंगे।

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, मंत्री-मंडल के संबंध म मुझे यह भी बतलाना है कि मंत्रियों की संख्या के अन्दर किस प्रकार की कोई कमी की जा सकती है? अगर चीफ मिनिस्टर साहब उस कमी के कारण जानना चाहें तो में यह अर्ज करूंगा कि मेंने सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के पी.एज् से बातचीत की तो मालूम हुआ कि मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर जो हैं उनके पास अलग २ पोर्टफोलियो (port-folio) हैं लकिन डिप्टी मिनिस्टर कोई डिस्क्रीशन देने के लिये इन्डिपेन्डट (independent) नहीं हैं। उन्हें हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के लेटर बोक्स की तरह वे लेटर बोक्स की नकल की चीज हैं। जब कि डिप्टी मिनिस्टर अपने काम को इन्डिपेन्डेन्टली (independently) नहीं कर सकते हैं तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनसे किस प्रकार के काम में सहयोग मिलता होगा ? अच्छा तो यही है कि उन डिप्टी मिनिस्टर्स को हटाकर डिप्टी सेक्रेट्री या दूसरे अफसर नियुक्त किये जा सकते हैं। उनके लिये दो-सौ, ढाई-सौ रुपया माहवार वेतन पाने वाले सेक्रेटरीज की क्या जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गोपीलालजी न जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर वे राजस्थान का नैतिक उत्थान करना चाहते हैं तो वे इस दृष्टिकोण से सोचें। यदि उन्हें राजस्थान का नैतिक उत्थान करने के लिए अच्छी पोलिसी का निर्माण करना है तो सारी दलगत भावना को दूर करके अच्छे अच्छे आदमी उन्हें रखने चाहिये। मंत्री मडल का निर्माण इस प्रकार किया जाय जिससे देश और समाज का भला हो; जिससे आज जो सरकार के प्रति अविश्वास और असंतोष फैला हुआ है वह अविश्वास और असंतोष दूर हो जायगा। जो आदमी बिल्कुल चरित्रवान, योग्य हों और सारे के सारे प्रशासनिक काम जानते हों तो उनको, योग्यता के आधार पर, लिया जाना चाहिये। यदि अयोग्य मंत्री बनाये जायगे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो उनकी नियुक्ति के साथ साथ दो एक सेक्रेटरी भी मिनिस्टर साहब को काम सिखाने के लिये रखे जायेंगे; तो इस तरह से सरकार का खर्चा बढ़ेगा। इस आवश्यक बात को दृष्टि में रखते हुए में माननीय यादवजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव के पक्ष में मत देगा।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री **मोतीराम**—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये, मैं भी बोलने के लिये बहुत इच्छुक हूं। गोपीलालजी यादव ने जो प्रस्ताव रखा है उसके विपक्ष में बोलना चाहता हूं।

वह जानते हैं·······

एक आवाज—पक्ष में या विपक्ष में ?

श्री मोतीराम चौधरी—विपक्ष में बोलता हूं, विरोध में बोलता हूं। सबसे पहली तो यह बात है कि मेरे लायक दोस्त इस थोड़े अरसे के अन्दर ही अपने कारनामे भूल गये हैं। जब कि २२ रियासतें थीं तो कम से कम १०० मिनिस्टर होते थे और शासन चलाते थे। इन बातों को वे बहुत थोड़े अरसे में ही भूल गये। आप लोगों का शासन अभी तक भी जमा हुआ है। किसी के पास ५०० गांव हैं, किसी के पास २०० और किसी के पास १००। उन पर डिक्टेटरशिप (तानाशाही) अब तक आप चला रहे हैं। आप उस बात को भूल गये। अब यह एक राजस्थान बन गया है, जिसके अन्दर आप ५ और ७ मिनिस्टर कर रहे हैं। यह अहोभाग्य है कि जहां १०० के करीब मिनिस्टर होते थे और राजा लोग और कई जागीरदार होते थे और उस वक्त जो आप जनता को कष्ट देते थे उस वक्त किस तरह कत्ल होते थे, कैसी डकेतियां होती थीं और किस तरह की नाजायज हरकतें होती थीं; वह भूल गये और अब आप इन मिनिस्टरों पर आक्षेप लगा रहे हैं !

मेरे लायक दोस्त बीकानेरी हैं जो सबसे पहले आक्षेप लगा रहे हैं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि वहां की लेजिस्लेचर में मैं भी एक मेम्बर रहा हूं इसलिये जानता हूं कि उस वक्त ३-३ हजार के कई मिनिस्टर रहे हैं, मोटरों के अलावा, कोठियों के अलावा, वे तनख्वाहें लेते थे ? उस वक्त उस बीकानेर राज्य के अन्दर १८ करोड़ रुपया महाराजा बीकानेर के वक्त में था। उस वक्त वड़ोदा रियासत के २॥ करोड़ रुपये थे। उस वक्त दो हजार रुपया लेने में आप शर्म नहीं करते थे। क्यों ? उस वक्त आपने ५-५ हजार रुपये पर श्री बापना जैसे मिनिस्टर बुलाये थे, केवल बीकानेर की गंग केनाल कोलोनी के लिये, केवल बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिए। और अब १॥ करोड़ की आबादी के लिए केवल ६ मिनिस्टर हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है और आज आप जनतन्त्र के हितैषी हो गये हैं। उस वक्त आप जनता की हितैषिता को कहां भूल गये थे ?

क्या आप उन बातों को भूल गये जो आपने अलग अलग राज्यों में की थीं ? क्या वे बातें आज आपको याद नहीं हैं ? मैं आपको वे बातें थोड़ी सी बता देना चाहता हूं। मैं थोडा जल्दी जल्दी बोलता हूं। इसलिये शायद आपको सुनाई नहीं दिया हो।

आपने योग्यता-अयोग्यता की बात बतलाई। मैं आपको बीकानेर की बात बतलाता हूं। आपने महाराजा भैरूंसिहजी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। क्या वे योग्य और पढे-लिखे थे। मेरे सामने बठने वाले कितने आदमी योग्य हैं, क्या आप बतला सकते हैं ? महाराजा बीकानेर प्राइमरी कक्षा तक पढ़े हुए थे, पर वे कितने योग्य थे यह आप जानते हैं। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिये।

श्री अवनि कुमार मुखर्जी—On a point of order, Sir, Is it within the scope of the resolation ?

श्री मीती राम—यह सिर्फ शब्दों का ढेर मात्र है। आप छिपी चोट मारते हैं और मैं सीधी चोट मारता हूं। आपको याद होगा कि आप जब प्राइम मिनिस्टर थे तब आपके खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव आया था और आपने कितनी कोशिश की थी कि प्रस्ताव पर मत नहीं लिये जावें; पर बहुत कोशिश करने पर भी आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो ही गया और हमारे १४ वोट आये थे। मैं इतना ही कह कर सदन की जानकारी कराना चाहता हूं कि हमारे मंत्री कैसे हुआ करते थे। वे लोग दो-दो हजार, तीन-तीन हजार, कार और बंगलों के अलावा लेते थे जब कि हमारे आज के मंत्री सिर्फ एक हजार रुपया ही लेते हैं और उससे अपना गुजारा चलाते हैं। क्या आप इस बात को भूल गये हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय गोपीलालजी यादव ने जो प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में बोलते हुए मैं कुछ अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। मूल बात यह बतलाई गई है कि राजस्थान की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए राजस्थान के मंत्रियों की संख्या ७ कर देना चाहिये मुझे ताज्जुब हुआ जब कि इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए सदन के उस तरफ के दो लायक दोस्तों ने तो व्यक्तिगत बातों को लेकर छींटा-कशी शुरू कर दी थी, वे इस हद तक पहुंच गये थे। कुछ सदस्यों ने तो ऐसी बातें भी कहीं, जिनका कहना उचित नहीं था। राजस्थान के भाग्य के संबंध में, राजस्थान के मंत्रीमंडल के संबंध में हमारे दल में क्या हो रहा है, कांग्रेस दल में क्या हो रहा है, उस बात को लेकर छींटाकशी की कोई जरूरत नहीं है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस दल में चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं ऐलान कर देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिये हम सब एक साथ हैं और एक दल में हैं और समष्टिरूप हैं। इसके बारे में आप चिन्ता न करें।

अब बात यह है कि जिस बारे में आप प्रस्ताव लाये हैं वह कहां तक सत्य है और कहां तक ठीक है और कहां तक उचित है; वर्तमान राजस्थान को देखते हुए, यह देखना है। कुछ दिन पहले इस सदन में आने के बाद जो जो घटनायें घटी हैं उनको जनता जानती है। आप किस तरह से बोलते हैं और किस तरह का कार्य करते हैं, यह सब जानते हैं। आपने जो मंत्रीमंडल बनाने का प्रयत्न किया था उसके मंत्रियों की संख्या कितनी थी यह हम सब जानते हैं और वह तालिका कितनी बड़ी थी, यह हम से छिपी हुई बात नहीं है। शास्त्री के साथ मिल कर संयुक्त दल के लोगों ने जो साँठगांठ की थी उसमें उनके १५ आदमी लेने के विषय में आपने तय किया था। उस समय विरोधी दल के नेता और शास्त्रीजी ने मिलकर कुछ आदमियों को भड़काया था और उनको यह कहा गया था कि तुमको मिनिस्टर बना देंगे और तुमको डिप्टी मिनिस्टर बना देंगे और इस तरह से उन्होंने जोड़ तोड़ बिठाई थी। ७-८ दूसरे सदस्यों को भी उन्होंने भड़काया था। गोपीलालजी यादव भी उस मंत्री-मंडल के सदस्य बनने के उम्मीदवार थे। इस तरह से जो मंत्री-मंडल बनाने की बात सोच रहे थे उसकी संख्या १५ थी।

श्री हिम्मतसिंह—क्या आपसे उस समय राय ली गई थी?

श्री गोपीलाल यादव—आप कौनसी बात कह रहे हैं? न तो कोई मंत्री-मंडल बनाने की बात हुई और न मुझसे किसी ने पूछा। आप ये बातें कहां से लाये हैं?

श्री मोतीलाल चौधरी--आप लोगों ने मंत्री-मंडल बनाने का प्रयत्न किया था। यह यहां की जनता जानती है। राजस्थान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। आपको शायद कहते हुए शर्म आती है पर इस बात को बच्चा बच्चा जानता है।

श्री कानसिंह--आपकी जानकारी तो अच्छी है।

श्री मोतीलाल चौधरी--सत्य बात कटु होती ही है, लेकिन कुनेन दिये बगैर बुखार जाता नहीं है; अब पेलुड्रीन का भी चलन हो गया है।

श्री मोतीलाल यादव--मुझे यह जानकर बड़ा दुःख हो रहा है कि इस प्रस्ताव को लेकर आपस में ऐसी चीज पैदा हो गई है जिससे हाउस में आपस में बजाय मित्रता के कटुता फैल रही है। इससे तो बेहतर है कि मैं अपना प्रस्ताव वापिस ले लूं। इनको बनाने दीजिये जितने भी मंत्री ये बनाना चाहें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--मेरा खयाल है कि प्रस्ताव वापिस लें, यह तो बुराई की बात नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। मैं कुछ स्पष्टीकरण करदूं इसके बाद आप प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री कानसिंह--यदि यह प्रस्ताव वापिस नहीं लिया जाता है और पहले मुख्य मंत्रीजी बोलते हैं तो हमें भी उनके बाद में बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल--मैं माननीय नेता के अलावा औरों के बोलने के लिये क्लोजर मूव करता हूं।

श्री कानसिंह--मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि हमें कुछ बोलना है इसलिये क्लोजर का प्रस्ताव ठीक नहीं है। डिबेट जारी रखियेगा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--मेरा खयाल है कि पहले मैं बोल लूं उसके बाद क्लोजर का प्रस्ताव रख दिया जाय।

श्री तनसिंह--जब क्लोजर मूव हो जाता है तो पहले जब तक उस क्लोजर का फैसला नहीं हो जाता किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री के अलावा कोई नहीं बोले।

श्री तनसिंह--जब तक क्लोजर का डिसीजन नहीं होजाता दूसरे व्यक्ति के बोलने का हक क्यों माना जाय ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--जरूर अधिकार होता है यदि क्लोजर मूव नहीं हुआ है।

श्री कानसिंह--हमें भी बाद में बोलने की इजाजत होनी चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--इसका फैसला तो उपाध्यक्ष महोदय करेंगे।

२६४राजस्थान में मंत्रियों और उप-मंत्रियों की सात से अधिक संख्या न होने सम्बन्धी संकल्प

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रियों की संख्या ७ तक सीमित रखने का जो प्रस्ताव श्री गोपीललाल जी यादव ने रखा है इसके लिये में श्री यादवजी का खास तोर से आभारी हूं। इसलिये नहीं कि मेरा सर दर्द कम हो जावेगा बल्कि इसलिये कि बहुत सारी बातें साफ हो जावेंगी और माननीय मंत्रियों के संबंध में कोई भ्रम पैदा किया जावे, उसका भी स्पष्टिकरण होजावेगा। इसलिये में यह कहूंगा कि उन्होंने सदन की बहस में मंत्रियों को याद तो किया। मंत्रियों और मंत्री-पद, दोनों को याद करना लेजिस्लेचर का स्वाभाविक धर्म है और इसलिये किसी को इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिये। (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) श्री यादवजी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। पहले आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस मिनिस्टर के तोर पर भी वे हमारे एक युनिट में रह चुके हैं। में आशा करता था कि उस साथी के नाते वे जो सूचनायें देंगे वे बेलेन्स्ड और सही सही होंगी। लेकिन उन्होंने दूसरे स्थानों के मंत्रीमंडल के संबन्ध में जो सूचनायें दी हैं उसमें थोडी सी अतिशयोक्ति रखी है और साथ-साथ जिन जिन स्थानों का दृष्टान्त दिया है। ....

श्री कानसिंह—इन्होंने यह तालीम कांग्रेस से हासिल की है।

श्री जयनारायण व्यास— अब तो वे कांग्रेस की तरफ से नहीं हैं। जब तक वे कांग्रेस की तरफ से बोलते थे ठीक बोलते थे।

श्री गोपीलालजी यादव मत्स्य में मिनिस्टर रहे थे और आपने बहुत काबलियत से मिनिस्टरी का काम चलाया था। खुशकिस्मती से मत्स्य एक छोटा हल्का है और उसका क्षेत्रफल भी बहुत छोटा था और अब भी मेरा ऐसा खयाल है कि मत्स्य एक जिला है और थोड़ा सा हिस्सा जिले से बाहर के हिस्से में मत्स्य आ गया है। जहां राजस्थान में आप ७ मिनिस्टर सीमित रखना चाहते हैं वहां मत्स्य में भी ६ मिनिस्टर थे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे योद्धा थे और श्री गोपीलालजी यादव जैसे महान् योद्धा उसमें थे। वहां भी ६ मिनिस्टरों की जरूरत थी; अगर इस तरह से देखा जाय तो यहां बहुत से मिनिस्टरों की आवश्यकता है। उस हिसाब को देखते हुए हम यहां पर ९ मिनिस्टर रखें तो ठीक है।

पंजाब के बारे में आपने कहा कि वहां पर ६ मिनिस्टर रहे हैं। मैं भी जानता हूं और जानकारी रखता हूं। इस वक्त वहां ६ मिनिस्टर हो गये हैं क्योंकि श्रीराम.जी ने इस्तीफा दे दिया है। आपने कहा कि डिप्टी मिनिस्टर नहीं रहे और न रहेंगे। मैं पंजाब की राजनीति से वाकिफ हूं, इसलिये मैं यह कहूंगा कि वहां सात मिनिस्टर थे छः नहीं थे। साथ ही साथ में पंजाब की अब दूसरी बातों का जिक्र, जैसा आपने कहा नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि शायद वहां मिनिस्टर बहुत ज्यादा हो जाते और हैं। मैं इन सारी चीजों को छोड़ कर कुछ कुछ वक्ताओं ने राजस्थान के बारे में कहा है कि कभी राजस्थान में इतने मिनिस्टर नहीं रहे फिर भी राजस्थान का काम चलता था। यहां तक कि एक साहिब ने तो यहां तक कहा कि शास्त्रीजी के समय में भी ८ मिनिस्टर ही थे। मैं इस संबन्ध में जो सूचनाएं सही नहीं हैं वह देना चाहता हूं। शास्त्रीजी की मिनिस्ट्री में ८ मिनिस्टर नहीं थे बल्कि १० मिनिस्टर थे। मुझे उन मिनिस्टरों के नाम लेने की जरूरत नहीं। मैं उनके नाम की लिस्ट अपने साथ लाया हूं क्योंकि शायद कोई पूछलें तो तैयार रखी है।

[श्री जयनारायण व्यास]

अभी मेरे मित्र श्री जसवन्तसिंहजी ने नौ-रत्नों के बारे में जिक्र किया है। रत्न कुछ अपनी परख के और कुछ दूसरों की परख के भी चुने जाते हैं। श्री जसवन्तसिंहजी ने खुद ने, जब वे बीकानेर मे चीफ मिनिस्टर थे उनकी मिनिस्ट्री में भी ९ मिनिस्टर थे। बीकानेर से रत्न जो चुना है वह उनकी परख और पसन्द का है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मेरी क्या योग्यता हो सकती है ?

मैंने उनके चुने हुए रत्न को ही पसन्द किया तो कोई बुराई की बात नहीं की। मेरी पहली मिनिस्ट्री में भी नौ-रत्न थे। नौ-रत्न होना कोई बुरी बात नहीं। उसमें मेरे परम मित्र श्री जसवन्तसिंह जी भी थे और उनके अलावा मेरे दुबले पतले मित्र श्री यादव जी भी थे जिनके दुबलेपन पर तरह २ की बातें कहीं गईं और जो अभी यहां पर मोजूद नहीं हैं।

राजस्थान की मिनिस्ट्री बनाने में शासन-कर्ताओं के अनुभव पर अवश्य विचार करना चाहिये, जिन्होंने शासन में भाग लिया हो उनकी राय माननी चाहिये और जिन्होंने शासन में कभी भाग नहीं लिया और जिनको शासन का कुछ भी अनुभव नहीं है उनकी राय पर यदि मैं ज्यादा ध्यान न दूं तो आप मुझे माफ करेंगे।

श्री मुक्तिलालजी मोदी ने अभी कहा कि हमें चीफ मिनिस्टर की कोई जरूरत नहीं है, मिनिस्टरों की भी क्या आवश्यकता है ? Anarchy is the best form of Government मैं समझता हूं कि वे इन्हीं सिद्धान्तों पर चलते होंगे, इन्हीं सिद्धान्तों से शासन चलाना चाहते हैं।

माननीय माहर बहुत अर्से से आये। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि वे बहुत अर्से तक बीमार रहे। इसलिये उनकी बीमारी का भी असर उनके भाषण में था, लेकिन फिर भी बोलने की बीमारी नहीं छूटी। वे कुछ तो बोले ही। उन्होंने अपने बड़े वक्तव्य में मेरा सर दर्द मिटाने की कोशिश की। लेकिन कपिलदेव जी ने कहा कि हमको भी डिप्टी मिनिस्टर की ट्रेनिंग देनी चाहिये और मोका मिलना चाहिये; एपरेन्टिस और डिप्टी मिनिस्टर को रखने की जरूरत है और किस वक्त कितने रखने चाहिये और किस तरह से रखने चाहिये, यह देखने का काम चीफ मिनिस्टर पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

आपजी श्री रघुराजसिंह—क्या जो लोग पहले मिनिस्टर रह चुके हैं उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है जिस मिनिस्टर को पहले लेबर के काम की ट्रेनिंग दी गई थी उसको अब होम के काम के लिये ट्रेन्ड किया जाय और जो पहले डिप्टी मिनिस्टर रहा हो उसको फुल फ्लेंजड मिनिस्टर बना दिया जा सकता है। डिप्टी मिनिस्टर कुछ कम खर्च के लिये बनाये जाते हैं। वे योग्यता में किसी भी प्रकार से किसी मिनिस्टर से कम नहीं होते। मेरे डिप्टी मिनिस्टर किसी मिनिस्टर से योग्यता कम नहीं रखते फिर भी उन्होंने मेरा एसिस्टेन्ट रहना स्वीकार किया है, चाहे मुझमें योग्यता है या नहीं। इसमें मैं अपना सौभाग्य समझता हूं।

(श्री अध्यक्ष ११.७ मिनट पर पुनः पदासीन)

श्री कामसिंह—"सैयां भये कोतवाल" वाली बात है।

श्री जयनारायण व्यास—अब दौरे के खर्चे पर भी काफी चर्चाएं चली हैं। उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मिनिस्टरों को दौरा करना चाहिये और करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दौरा करना क्यों जरूरी है। दौरे के मैंने कई फायदे अनुभव किये हैं और वे फायदे हाथ, आने, पाई में आपको बता सकता हूं। आप शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो फायदा, वहां की जानकारी की दृष्टि से देखें तो फायदा और लोगों के कोन्टेक्ट में आकर डेमोक्रेसी के प्रति सद्भावना पैदा करने की दृष्टि से देखें तो फायदा। इस तरह दौरा करने से फायदे होते हैं। बहस करते समय बहुत सी बातें कही जाती हैं जो डेमोक्रेटिक स्थिति में नहीं कही जाती हैं।

अब कुछ लोगों का खयाल होता है कि मिनिस्टरों के साथ कलेक्टर, पुलिस के अधिकारी व दूसरे अधिकारी क्यों जाते हैं; उनके जाने से बहुत खर्चा होता है और नुकसान होता है। इस संबन्ध में मैं यह सूचना दे देना चाहता हूं कि इससे नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। जहां उनकी जरूरत होती है वहां पर कलेक्टर, कमिश्नर, डी. आई. जी, वगैरह को साथ ले जाते हैं। यहां तक कि अगर कहीं आई. जी. पी. को भी साथ ले जाने की जरूरत हो तो उसे भी साथ ले जाते हैं और उन्हें ले जाने में कोई संकोच भी नहीं होना चाहिये। आम तौर से कलेक्टर, एस. डी. ओ. आदि को सर्क्युलर भेजा जाता है और जहां उनकी जरूरत होती है उनको भी साथ ले जाते हैं। इससे जनता को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा।

खर्चा मिनिस्टरों के साथ है। ९ मिनिस्टर हो जाएंगे तो खर्चा बढ़ जायगा, ११ हो जाएंगे तो खर्चा बढ़ जायगा। तो मैं नहीं समझता कि मिनिस्टरों से खर्चा इतना बढ़ सकता है जितना कि खर्चा बढ़ने की आपने बात कही है। आज मिनिस्टर, जो पहली रियासतों के मिनिस्टर होते थे और जो अलग अलग रियासतों से खर्चा लेते थे, इतना नहीं लेते हैं। यहां के चीफ मिनिस्टर का वेतन जैसलमेर के जो चीफ मिनिस्टर को वेतन उस समय दिया जाता था, शायद उससे कम हो। तो मैं आपको कहूं कि खर्चा तो पहले से ही कम कर दिया गया है।

मोटरों के बारे में भी बातें कही गई हैं। हमारी बुजुर्ग मोटरें तो पेट्रोल इतना खाती थीं जिस तरह से पुरानी रियासतों की वक्त के मिनिस्टरों की तनख्वाहों में खर्चा ज्यादा होता था। यह वाजिब समझा गया और आप देखते होंगे कि अब मिनिस्टरों के पास छोटी-छोटी कारें हैं जो २५-३० मील एक गैलन पेट्रोल में चली जाती हैं। अतः इस तरह से हमने खर्चा कम करने की कोशिश की है।

एक बिल आपके सामने है जिसकी फोर्मल इजाजत फिर चाहूंगा। वह बिल है मिनिस्टरों के अलाउन्सेज के बारे में, कार के लिए लोन देने के बारे में। इससे हम उनको कार खरीदने के लिए पैसा देंगे जो किश्तों से काट लेंगे। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि अभी डेमोक्रेसी इतनी पनपी नहीं है और हम उसको वापिस ले लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम छोटी कारों में ही चलेंगे। हमें सुविधा-असुविधा

[श्री जयनारायण व्यास]

की तो परवाह रही ही नहीं है। हम भी खुश होंगे कि हम आपकी भावनाओं का आदर कर रहे हैं।

(करतल ध्वनि)

तो आप देख रहे हैं कि हम क्या खर्चा कर रहे हैं और मिनिस्टरों को क्या सुविधा है ?

श्री संतोषसिंहजी ने कहा कि दो जगह मन्त्री-मंडल बैठे। उन्होंने कहा कि 'ए' सेक्शन इधर बैठे और 'बी' सेक्शन उधर बैठे। यह तो कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल मालूम नहीं होता। श्री संतोषसिंहजी ने कहा कि राजस्थान के दो टुकड़े हो जायें तो अच्छा है। हमें अगर जरूरत होगी तो हम मंत्रियों को हवाई जहाज से भेज देंगे। फ्लाइंग क्लब बना लें। इसमें कारों से कम खर्चा होता है। इस प्रकार की ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। अगर समझ में आती हैं तो उनकी तामील नहीं होती है। हमें पुराने सिस्टम में से गुजरना पड़ रहा है और उसको हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। आपको देख कर ताज्जुब होगा कि हेड्स ऑफ दी स्टेट और कन्ट्रोलर ऑफ दी स्टेट की तरह सुविधाएं नहीं हैं। सेक्रेट्रीज और हेड्स आफ दी डिपार्टमेन्ट को हम मिनिस्टरों से तनख्वाएं ज्यादा देते हैं। बंगले जरूर मिनिस्टरों को मिले हुए हैं। हम भी सोचते हैं कि ये हमारे पास बंगले क्यों हैं ? लेकिन अगर बीस-पच्चीस आदमी आगए और चेयर्स न हुईं तो हम उनसे बातचीत भी कहां करेंगे ? अगर बड़ा बंगला दे दिया, २५-३० कुर्सियां दे दीं, टेलीफोन दे दिया तो भी मिनिस्टर को तो वही सुविधा है कि उसके लिए एक छोटासा कमरा है और उसके ऊपर एक पलंग। आपको यह मालूम हो कि लचकदार पलंग न दें तो मूंज की खाट के लिए भी हम तैयार हो जावेंगे। उनका सामान भी है। सामान पहले भी मिनिस्टरों के पास था। मैं जोधपुर का मिनिस्टर था उस समय भी मेरे पास सामान था। अभी जाकर मैंने स्प्रिंग्स ठीक कराई हैं। उनकी स्प्रिंग्ज मजाक करने लगी थीं और इससे मेहमानों को तकलीफ होती थी। विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्यों को यह बात मालूम है जब कि वे कभी कभी आते थे।

अतः जो खर्चा है वह सार्वजनिक है। आप लोगों के लिए खर्चा किया जाता है, जो लोग आते हैं उनके लिए खर्चा किया जाता है। मिनिस्टर के लिए व्यक्तिगत खर्च नहीं होता। इसके अलावा सम्पचुअरी (sumptuary) अलाउन्स भी मिलता है। इससे पार्टियां की जाती हैं। अतः मैं आपको बताऊं कि वह खर्चा किसी मिनिस्टर के व्यक्तिगत नहीं होता है। आप उसको सार्वजनिक रूप दीजिए।

मिनिस्टरों के लिए कभी कभी यह कहा जाता है कि मिनिस्टरों के साथ पुलिस जाती है। पुलिस जाती है और बराबर जायगी। इस संबन्ध में मैंने आई. जी. पी. से जिक्र किया था, किन्तु वे उनको हटाने के लिए तैयार नहीं। मिनिस्टर अरक्षित कहीं जाय, यह ठीक नहीं है। मिनिस्टरों को कई क्षेत्रों में जाना पड़ता है। जिस तरह से डाकुओं ने सरेन्डर किया, उनको शेल्टर मिलनी बन्द हो गई, यदि वहां मिनिस्टर नहीं जाते तो इस तरह की हालत पैदा नहीं होती। अतः सुरक्षा की व्यवस्था तो उनके लिये जरूर करनी पड़ेगी। यदि सुरक्षा नहीं की गई और किसी मिनिस्टर को उठा कर ले गए तो आप ही कहेंगे कि जब मिनिस्टर को ही ले गए तो दूसरों की क्या हालत होती होगी ? अतः डेमोक्रेसी को पनपाने के लिए जनता में भावना पैदा करनी पड़ेगी। अभी जनता में भावना पैदा हुई नहीं है। जब डेमोक्रेसी

[श्री जयनारायण व्यास]

की भावना अच्छी तरह से पैदा हो जायगी तो अगर बस में बैठ कर भी मिनिस्टर आए तो कोई चिन्ता की बात नहीं होगी ।

श्री गोपीलालजी यादव ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिन सबका जिक्र करना मैं वाजिब नहीं समझता । आबादी के बारे में जो बात उन्होंने कही है उसका जिक्र करना ठीक समझता हूं । वे चाहते हैं कि आबादी पर मिनिस्टर हों । यदि आबादी पर मिनिस्टर हों तो फिर आबादी पर ही प्रतिनिधि होने चाहिये । हम मिनिस्टर बनाते हैं तो यह सही है कि आबादी और योग्यता का खयाल रखते हैं । उस एरिया के आदमी उनके पास आते हैं और वे उनकी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं । पोपुलर मिनिस्टर का मतलब ही यही है । यह ठीक है कि भरतपुर के आदमी मेरे पास भी आवें लेकिन वे इतनी आसानी से नहीं आ सकते हैं जितनी आसानी से वे मत्स्य के मिनिस्टर के पास आ जा सकते हैं, यादव जी के पास भी आ सकते हैं । मेम्बर के नाते, मिनिस्टर के नाते, वे, उन पर होने वाली ज्यादतियों की शिकायतें, मेरे पास पेश कर सकते हैं । अतः मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि क्षेत्रों का बिल्कुल खयाल नहीं रखा गया है । एक-आध क्षेत्र के लिए मेरे ध्यान में है । परिस्थितियों की वजह से जानबूझ कर छूट हो गई है । अतः क्षेत्रों के लोगों का आसानी से उस क्षेत्र के मिनिस्टर के साथ सम्पर्क हो जाता है और इसीलिए मिनिस्टर रखा जाता है ।

यहां पर मिनिस्टर बनाने के लिये दो-तीन बातों का ध्यान रखना होगा । श्री संतोषसिंहजी ने एरिया का ध्यान रखने के लिए कहा था । आप यू. पी. के अन्दर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बहुत आसानी से रेल से आ जा सकते हैं, मोटर से आ जा सकते हैं और हवाई जहाज से आ जा सकते हैं लेकिन यहां वैसे साधन उपलब्ध नहीं हैं । अगर हमारे मिनिस्टरों का दौरा न हो तो अधिकारियों की ज्यादतियों का किस प्रकार पता चल सकता है ? मिनिस्टरों के दौरे होने से अधिकारियों को भी खयाल होगा कि कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है । इससे ज्यादतियां और गड़बड़ियां मिटती हैं, लोगों का मोरल ऊंचा होता है और चरित्र का स्तर भी ऊंचा होता है । आप इन दौरों को इस खयाल से न सोचें जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि ये तो इलेक्शन के दौरे होते हैं । इलेक्शन के दौरे बुरे नहीं हैं । वे बराबर होंगे । उस वक्त आपका झंडा काम में नहीं लेंगे । तिरंगा जरूर होगा किन्तु उस वक्त उसमें चक्र नहीं होगा बल्कि चरखा होगा । अलग हैसियत जो हमें मिली हुई है उस वक्त हम उसका उपयोग करेंगे और मिनिस्टर की हैसियत का दुरुपयोग नहीं करेंगे ।

इतना हो सकता है कि आज हम किसी काम से गये और वहां कोई सामाजिक काम दूसरा भी होगया या कोई कांग्रेस वर्कर्स की मीटिंग भी हो गई हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, मीटिंग में जाने में । पर खास तौर से चूंकि हमें इलेक्शन में ही जाना है तो मोटर-खर्च या और सफर-खर्च आदि सरकारी खर्च में लगा लेते हों तो इस तरह की कोई चीज नहीं होने वाली है; यह मैं आपको पूरा विश्वास दिला देना चाहता हूं । (चारों ओर से "हियर हियर" की आवाज)

कुम्भारामजी को कॉमर्स और इन्डस्ट्री विभाग क्यों मिला और यादव जी को वन विभाग, पुनर्संस्थापन विभाग तथा सहकारी विभाग क्यों मिले; इसके बारे में मेरा निवेदन है कि अगर ये शिकायतें कुम्भारामजी या यादवजी करते तो ठीक रहता ।

[श्री जयनारायण व्यास]

कॉमर्स और इन्डस्ट्री और माइन्स का ऐसा महकमा है जिसको हमें खास तौर से ऑर्गेनाइज करना है। राजस्थान में हम खेती इतनी नहीं करते हैं। हां, खेती गंगानगर वगैरह में अच्छी होती है, खेती जयपुर के कुछ हल्कों में भी अच्छी होती है पर पशु-पालन और माइन्स ये बहुत हैं। ये राजस्थान के खास तौर पर सबसिडियरी आक्युपेशन्स हैं. पर मैं तो कहूंगा कि ये मेन आक्युपेशन्स में से हैं। इसके पीछे हमारी बहुत सी इन्डस्ट्री चलेगी और ट्रेड भी चलेगा। हमारी यहां की जो ऊन है वह सबसे ज्यादा तादाद में विलायत में जाती है और उसकी व्यवस्था करना, सफाई करना और सफाई कराकर इस धंधे को ऊंचा उठाना तथा इसके साथ ही ऊन का धन्धा करना इसकी तरफ भी तवज्जह देनी होगी, नहीं तो अच्छी भेड़ें रखते हुए भी, कि जिनके ऊपर विरोधी पक्ष के नेता जसवन्तसिहजी साहब को भी घमंड है कि उनकी भेड़ें बहुत पहले आस्ट्रेलिया भेजी गई और बीकानेर की बडी अच्छी भेड़ें थीं; पर उनकी ब्रीड को भी वापिस दुरुस्त करने के लिये आस्ट्रेलिया से भेड़ें मंगानी पड़ेंगी।

(सदन में हंसी) मैं भेडों से मतलब शीप से ले रहा हूं।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--आप कौनसी समझे हुए थे ?

श्री जयनारायण व्यास--तो अब इस तरफ भी ध्यान देना पड़ता है।

अभी अभी प्लानिंग कमीशन की तरफ से भी जोर दिया गया है और दिया जा रहा है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री को वढ़ाने की तरफ जोर दिया जाना जरूरी है और मैं बतलाऊं कि इन्हीं चीजों को आप ध्यान में रक्खें तभी राजस्थान का उद्धार होने वाला है। प्रान्त की स्थिति को सुधारने के लिए आप टेक्सेज़ लगाने देते नहीं, लगाते हैं तो आप झगड़ा होते देखते हैं; यह आप खुद देखते हैं और इसके साथ वेस्टेड इन्टरेस्ट झगड़ा करेंगे। और दूसरा कोई खास धंधा इस प्रदेश में है नहीं, सिवाय स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के। इसलिए इन्हीं पर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा।

हमारे पास माइन्स बहुत हैं; हीरा, पन्ना, माणक, अभ्रक, तांबा, पीतल आदि की माइन्स हैं। बेरियल की माइन्स भी हैं। इनको भी एक्सप्लोइट करना पड़ेगा। तो इस तरह हम हमारे आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में खास तौर से मददगार हो सकते हैं। ऐसे इन धंधों पर तवज्जह देना बुराई की बात नहीं है।

रहे हमारे यादवजी के दुबले शरीर पर के भार की बात। इनके दुबले शरीर पर थोड़ा भार है, इस बात को मैं मानता हूं। ये दो-तीन पोर्टफोलियोज नाम के हैं, पर फिर भी काफी भार है; यह मैं यादवजी को बताना चाहता हूं, दूसरे यादवजी को। अभी तक यहां रिहेबिलिटेशन का काम हुआ है। बहुत मकान और दुकानें आदि बनी हैं। मगर आप उनके काम का स्टेटमेन्ट देखें तो आप खुश हो जावेंगे और लाखों रुपया उनको मदद में भी मिले हैं, पर बहुत से मामले अभी भी हल नहीं हुए हैं। उनको हल करना बाकी है।

[श्री जयनारायण व्यास]

साथ ही साथ को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट को ठीक तरह से ऑर्गनाइज करके कोऑपरेटिव स्पिरिट को यहां पनपाना है, वे कोऑपरेटिव बैंक भी खोल रहे हैं। इसमें यादवजी काफी मदद कर रहे हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं।

फोरेस्ट का हमारा हाल अच्छा नहीं है और कई बार ऐतराज किया जाता है। इसको भी रिऑर्गेनाइज करना है। ये कोई छोटे काम नहीं हैं। हां, यह ठीक है कि रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में काफी पोर्टफोलियो थे और उनसे वापिस लिये गये और इसीलिए लिये गये कि रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट का काफी भार सुखाड़ियाजी को सोंप रक्खा है, फेमिन रिलीफ का भी काम सुखाड़ियाजी करते हैं। फेमिन का काम ऐसा है कि यह काफी वक्त ले लेता है। पर जैसा भैरोंसिंहजी ने कहा कि सुखाडियाजी का वजन अच्छा है, वे यह भार उठा लेते हैं। यादवजी भी भार ले लेते हैं, पर सुखाड़ियाजी जितना भार नहीं उठा सकते।

फिर यादवजी ने दो-तीन बातें चुपचाप उड़ा दीं। किसी के पास कोई काम नहीं है और दो-तीन के नाम ले लिये कि पी. डब्लु. डी. के पास भी कोई खास काम नहीं है। वह सेपरेट रेवेन्यू का काम करते हैं, ट्रान्सपोर्ट और एज्युकेशन का भी काम करते हैं। ये चारों काम काफी भारी हैं, पर ये महकमे ऑर्गनाइज्ड होने की वजह से वे काम निभा लेते हैं। उन्होंने भोगीलालजी का नाम नहीं लिया। वे डेवलपमेन्ट, सप्लाई, बैकवर्ड क्लासेज, इरिगेशन और देवस्थान का काम करते हैं। तो इस तरह सब मिनिस्टरों पर काफी भार है, काफी मेहनत करनी पड़ रही है और दफ्तरों में भी काफी बैठना पडता है।

अब आपका यह कहना कि काफी मोटे हो गये हैं, तो इसका कारण बहुत खाना नहीं है, बहुत दफ्तरों में बैठना है। मैं भी मोटा हो गया हूं, पर मैं तो इस मोटेपन को बीमारी समझता हूं। पर इसके माने यह नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हमसे जितना बन पड़ता है उतना काम करते हैं। हो सकता है यादवजी से कम करते हों और सात-सात से ही अगर काम पूरा हो सकता तो फिर जसवन्तसिहजी जैसे काबिल साथी होते हुए भी खुद नौ क्यों रखते, जब वे बीकानेर में अकेले काम चलाते थे। यह जो संख्या सीमित करने की बात कही गई है, गलत है और मेरा ऐसा खयाल है कि स्वयं ने अनुभव करके भी यह गलत बात कही है। जहां मत्स्य में भी उन्होंने छः रख लिये थे तो इस तरह से अनुभव तो उनका दूसरा है, बात दूसरी है। इस प्रस्ताव के लाने में केवल इतना उनका अभिप्राय दिखता है कि मिनिस्टरों के बारे में थोड़ी चर्चा हो जावे, उनकी मोटरों के बारे में चर्चा हो जावे, उनकी तनख्वाहों के बारे में चर्चा हो जावे। कुछ और लोग उम्मीदवार हैं और इससे वे प्रकट करना चाहते हैं कि लोगों से डर कर कुछ और मिनिस्टर बढ़ाने की फिकर में हैं और कुछ इसी तरह की चहल-पहल हो जावे इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। और कोई मकसद मुझे तो इस प्रस्ताव रखने का मालूम नहीं होता। मैं तो वैसे इसके विरोध में हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यादवजी, मैंने जो बातें कही हैं, उन पर गौर करेंगे और अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मुझे बड़ा दुख है कि मेरे इस प्रस्ताव को कुछ गलत ढंग से समझा गया और कुछ ऐसा हुआ कि प्रस्ताव में ही एक-दो बातें इस ढंग की आ गईं कि जिससे सदन में गलतफहमी होना स्वाभाविक था।

जहां तक दौरे और मोटरों का सम्बन्ध है उसके लिए मैंने कोई जिक्र न तो अपने प्रस्ताव में और न अपने भाषण में ही किया। दौरे करना लाजमी है और करने चाहियें। उनके साथ अफसर आएंगे और जाने चाहिये। मेरा मतलब तो सिर्फ यह था कि दो-एक मिनिस्टरों के साथ दौरे का खर्चा ऐसा होता है कि जिसको कम किया जाकर खर्च बचाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं औरों को क्रिटिसाइज कर रहा था। पर मेरे कथन को ठीक तरह से नहीं समझा गया।

साथ ही मैं यह मानता हूं कि हमें यह अधिकार नहीं कि हम मिनिस्टरों की संख्या को सीमित कर दें और चीफ मिनिस्टर को बांध दें। डेमोक्रेसी में यह कानून भी नहीं है। पर एक हाउस की राय आपको बतलाने के लिए कि राजस्थान के फाइनेन्सेज पर बोझा पड़ रहा है और आपके ऊपर भी दबाव पड़ रहा है इसलिए कम से कम खर्च रखने के लिए आप हाउस की इस बात को ध्यान में रक्खेंगे कि हाउस की राय यह है, इसी उद्देश्य से यह प्रस्ताव मैंने रक्खा था। तादाद ज्यादा न बढ़ाई जावे, मैं समझता हूं, इस तरह से हम आपको बांध नहीं सकते और न हमें बांधना ही चाहिये। इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि इस प्रस्ताव को वापिस करने की आज्ञा दी जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गोपीलाल यादव—मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—संकल्प संख्या २ व ३, श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री गोपीलाल यादव।

राज्य कर्मचारियों को, अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् तुरन्त पेन्शन मिलने सम्बन्धी संकल्प

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं एक ऐसा प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि जिसके लिए न मैं लम्बी स्पीच देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि न इसका किसी तरफ से विरोध होगा। मुझे आशा है गवर्नमेन्ट की तरफ से कि बगैर ज्यादा लम्बे-चौड़े विवाद के अगर यह स्वीकार हो जावे तो इससे राजस्थान के गरीब मुलाजिमों की बहुत बड़ी सेवा हम करेंगे और उनके परिवारों को भी दुख से बचावेंगे।

[श्री गोपीलाल यादव]

प्रस्ताव यह है :—

"This House recommends to the Government of Rajasthan to see that the claims for pensions of Government employees are decided before they are retired on pension, so that from the very next month of their retirement they may get their pensions".

प्रस्ताव यह है कि राजस्थान के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको जिस वक्त पेंशन पर रिटायर किया जावे तो उनके रिटायरमेन्ट के ऑर्डर के साथ ही साथ उनकी पेंशन के ऑर्डर भी शामिल कर दिये जावें कि फलां तारीख से वह रिटायर हो गया है और इतना रुपया महीने का पेंशन उसे मिलेगा, जिससे कि उसको वह पेंशन दूसरे महीने से ही मिलने लग जावे ।

अभी मैं देख रहा हूं कि पांच-पांच साल हो गये, बहुतों को पेंशनें नहीं मिलीं । बहुत मुसीबत में हैं वे लोग । ये सूचनाएं मैं आपको सरकारी रेकार्डों से दे रहा हूं । रिटायर होने के बाद बहुत से मर भी गये और उनको पेंशनें नहीं मिलीं, उनके पास घर की परवरिश के साधन नहीं थे ।

तो यह ऐसा प्रस्ताव है जिसमें कोई नाजायज मांग नहीं है और जो स्वस्थ सरकारें हैं उनमें होता भी यही है । जिस वक्त कोई कर्मचारी रिटायर किया जाता है तो उसकी पेंशन का क्लेम छुट्टी आदि के साथ ही शामिल करके सैटल कर दिया जाता है और वह जिस तारीख से रिटायर होगा उससे कुछ अर्से पहले उसका हिसाब कर लिया जाता है कि फलां की इतनी छुट्टी ड्यू है और इसके बाद इतनी पेंशन मिलेगी । आप भी अपने यहां ऐसा नियम बना सकते हैं । रिटायर होने वालों की पेंशन के बारे में सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट को या सम्बन्धित विभाग को साल भर पहले खबर कर दें और जब रिटायर होने का हुक्म आवे तो उसी के साथ उसकी पेंशन का सर्टीफिकेट भी उसे मिल जावे कि इतनी पेंशन इसे मिलेगी । इससे बहुत बडी मुसीबत सरकार की और पेंशनर की भी बच जावेगी । मैं आशा करता हूं कि यह संकल्प सर्व सम्मति से पास होगा और सदन के नेता इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे । इससे अधिक कहना मैं अच्छा नहीं समझता ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बडी प्रसन्नता होती है । श्री यादवजी ने कहा कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी । जब से राजस्थान बना है राजस्थान के कर्मचारियों के लिए यह एक विकट विषय बना हुआ है । आज से करीब चार-पांच साल पूर्व जब कि राजस्थान का निर्माण हुआ राजस्थान बनने पर भिन्न भिन्न रियासतों के कर्मचारियों का एकीकरण किया गया । उनमें से ५५ साल की उम्र पूरी करने पर या ३० साल तक जो सर्विस कर चुके हैं उनको रिटायर किया गया उनकी पेंशन या ग्रेचुटी का फैसला अभी तक नहीं हो सका । अगर माननीय मुख्य मंत्री, जो फाइनेन्स मिनिस्टर भी हैं, इस पर विचार करें तो वे देखेंगे कि चार-पांच साल से अब तक बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन या ग्रेचुटी का फैसला अभी तक नहीं हुआ । इनमें से कई ऐसे दुर्भाग्यशाली कर्मचारी भी रहे हैं जो मर भी

[कुंवर श्री बसवन्तसिंह]

चुके हैं । उन्होंने सैकड़ों चिट्ठियां सरकार को लिख दी हैं परन्तु उनके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति का परिचय हमारी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और न कुछ किया गया । आज से करीब डेढ़ या दो साल पहले मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने माननीय व्यासजी के साथ एक सहयोगी के नाते कार्य किया । उस समय फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का काम मेरे पास था । ज्यों-ज्यों मैं इस सवाल के अन्दर गहरा गया उतना ही मुझे दुख हुआ और जितनी भी मैंने भरसक कोशिश की उतनी ही मुझे असफलता मिली । अगर मेरे वक्त की फाइलों को देखने का माननीय मुख्य मंत्री जी कष्ट करेंगे तो उनको पता चलेगा ।

श्री जयनारायण व्यास---फाइनेंस मिनिस्टर के नाते फाइलें देखनी ही पड़ती हैं ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह-(अपना भाषणजारी रखते हुए) मैंने उन फाइलों पर यहां तक लिख दिया था कि फलां तारीख तक इनका फैसला नहीं किया जायगा तो सम्बन्धित अफसरों की तनख्वाह बन्द कर दी जायगी । किन्तु हम डेमोक्रेसी में यह नहीं कर सकते, ऐसा मुझे उस समय के फाइनेन्स सेक्रेटरी श्री नारायणन ने कहा । तो इसका नतीजा क्या हुआ ? जिस डेमोक्रेसी में कुछ गुण हैं तो उसमें कुछ दुर्गुण भी अवश्य हैं । हम प्रत्यक्ष में क्या देख रहे हैं ? जिन कर्मचारियों ने ५५ साल तक सरकार की नौकरी की, खूब अच्छी तरह जन-सेवा की और जब उनके ५५ वर्ष समाप्त होगये, उनके बुढ़ापे में जब वे सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, जबकि उसके काफी बाल बच्चे हैं, लेकिन आज तक उनकी पेन्शन या ग्रेचुटी जो मिलनी चाहिये, जो उनका हक था, अभी तक नहीं मिली । इसके अलावा यह समस्या इतनी विकट हो रही है, उस वक्त हमने यह विचार करके तय किया कि, जो दो वर्ष पहले तय होचुका था, ग्रेचुटी या पेन्शन का जिस किसी का हक है वह पूरा न दिया जाकर कम से कम कुछ रकम एडवान्स दे दी जाय और जितनी पेन्शन हो उसका आधा हिस्सा एन्टीसिपेटरी (anticipatory) पेन्शन के रूप में दी जा सकती है । यह जब हुक्म जारी हुआ तो उसके बाद में सब लोगों को इत्तला पहुंची कि जिनकी पूरी पेन्शन है उनके लिए एन्टिसिपेटरी पेन्शन की मन्जूरी दी गई है और वह फौरन दी जायगी । इसी बारे में एक दुखियारे की अर्जी है । यह एक स्कूल मास्टर है । उस वक्त इस निर्णय के माफिक फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का ९-५-५२ का इस प्रकार का हुक्म पहुंचा कि तुम्हारा एन्टिसिपेटरी पेन्शन के रूप में ३० रु० १० आ० मन्जूर हुआ है और ११०३ रु० १० आ० ग्रेचुएटी के रूप में मन्जूर हुए हैं और जब तक तुम्हारी पूरी पेन्शन तय नहीं हो जाती तुम्हें ३० रु० १० आ० बतौर पेन्शन के मिलते रहेंगे । यह पेन्शन मिलने का हुक्म उस व्यक्ति के पास एक साल से पहले पहुंचा । मगर आज उसकी यह ३१ अगस्त की अर्जी है, उसी दुखियारे मास्टर की अर्जी है । वह लिखता है कि इस प्रकार की इत्तला मिलने के बाद वह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को तथा दूसरे मुतालिका कर्मचारियों को १५५ चिट्ठियां लिख चुका है कि उसकी पेन्शन ३० रु० १० आने और ग्रेचुएटी के रूप में जो ११०३ रु० १० आने मन्जूर हुए थे, अभी तक नहीं मिले हैं । इस संबन्ध में वह १५५ चिट्ठियां फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को लिख चुका है । उसको जवाब तक इस संबन्ध में नहीं मिला है । इसी

Page No.62

[कंवर श्री जसवन्तसिंह]

प्रकार अन्य कई सैंकडों उदाहरण आपको मिलेंगे । तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आशा करता हूं कि वे इस विषय में अवश्य प्रगति करेंगे और दुखियारों की मदद करेंगे । इस मामले में आपको वाकई न्याय करना है तो आपको इस प्रस्ताव में, जो यादवजी ने सुझाव दिया है उसको मान लेना चाहिये । ऐसे सुझावों को मानने में सरकार को कोई कष्ट नहीं होना चाहिये । यदि उनकी पेन्शन का फैसला उनके नौकरी से रिटायर होने के पूर्व ही कर लिया जाता है तो इस समस्या का हल हो सकता है । यह एक सीधा सा सवाल है । इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । जिन व्यक्तियों ने सारी उम्र सरकार की सेवा की, राज्य की सेवा की, उनके लिए यह सुझाव मन्जूर करने से उन्हें बडी राहत मिलेगी और यह एक बहुत अच्छा काम होगा । आशा है, मुख्य मंत्री इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १३)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्रीगोपीलालजी ने प्रस्तुत ....

जन लेखा समिति के मनोनीत सदस्यों की सूचना

श्री अध्यक्ष--I may just inform the Hon'ble Members that the following candidates have been duly nominated for election to fill seat in the Public Accounts Committee and that if any nominee wants to withdraw his name, he may do so now. The candidates are:—

(1) Shri Mangal Singh Kachhwah .	Division No. 93
(2) Shri Santosh Singh Kachhwaha.	Division No. 136
(3) Shri Ramlal Bansiwal.	Division No. 127
(4) Shri Dwarka Dass Purohit.	Division No. 62

श्री मंगलसिंह कछवाहा--Sir, I withdraw my candidature.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--Sir, I also withdraw.

श्री रामलाल बंसीवाल--Sir, I also withdraw.

श्री अध्यक्ष--The fourth is not going to withdraw, I hope.

(विराम)

So Shri Dwarka Das has agreed and the rest have withdrawn their names.

(विराम)

Yes, Shri Behron Singh Kelva .

राज्य-कर्मचारियों को, अवकाश-ग्रहण करनेके पश्चात् तुरन्त पेंशन मिलने सम्बन्धी प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १३)—जो प्रस्ताव श्री गोपीलाल जी ने...........

श्री अध्यक्ष--Is it very necessary to speak on this resolution or let us hear the Chief Minister ?

श्री भेरूसिंह (१३)--अगर चीफ मिनिस्टर महोदय इसको मन्जूर करलें तो हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--I think this is non-controversial resolution.

श्री राज हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)--अगर मन्जूर कर लेते हैं तो कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--(श्री मुख्य मंत्री से) मन्जूर करते हैं या आप यह आश्वासन देते हैं कि इस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जावेगा ?

श्री जयनारायण व्यास--I may just explain the position.

(श्री हिम्मतसिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष (श्री हिम्मतसिंह से)-You hear him and then if you think that it is necessary.

श्री राज हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)-He assurse that the resoultion is genuine we will not speak.

श्री अध्यक्ष--If the House want to discuss for another one hour, I have no objection but we have got many more important resolutions and we want to devote more time on those resolutions.

श्री जयनारायण व्यास(मुख्य मंत्री)-उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव वास्तव में बहुत ही जरूरी प्रस्ताव है और मुझे खुशी होती अगर मैं तुरन्त ही इसको मन्जूर कर लेता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि जिन परिस्थितियों को, इस प्रस्ताव की स्प्रिट को पसन्द करते हुए भी,सदन के सामने रखना जरूरी मालूम पडता है । पहले तो बात यह है कि यह जो पेन्शनों की दिक्कतें हुई है उसके कई कारण हैं । किसी की पेन्शन तय हो उसके पहले कुछ बातें, कुछ फोर्मलिटीज, कुछ शरायतें हैं वे सब मुकम्मल होनी चाहिये । हमारी मुश्किल यह है कि हमारे पास बहुत सारे केसेज हैं और बहुत सी स्टेटों से ताल्लुक रखने वाले केसेज हैं और उनके बारे में जो रेकॉर्ड हम मांगते हैं तो वे रेकॉर्ड, क्योंकि पहले कायदे कानून अलग अलग तरह के थे, अब जो नये तरीके के रेकॉर्डस, हैं जोकि एकाउन्टेन्ट जनरल वगैरह मांगते हैं, उस तरह से पेश नहीं हो रहे हैं । दूसरी बात यह है कि कई स्टेटों के रेकॉर्ड ही मिलते-मिलाते नहीं हैं, और वह कई स्टेटों में, मेरा खयाल है कि रेकॉर्ड................

श्री राज हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)--रेकॉर्ड तो पिछोले के तालाब में फेंक दिये गये हैं ।

श्री जयनारायण व्यास—पिछोले का तालाब तो छोटा है, राजस्थान बहुत बड़ा है।

मैं मामूली नौकरों की पेन्शनों की बात नहीं करता हूं। मैं आपको एक बड़ी पेन्शन की बात कहूंगा जिसे सुन कर आपको आश्चर्य होगा। वह पेन्शन थी एक ठाकुर साहब की, राजा साहब उनको कहते हैं, उनकी धर्मपत्नि की। वह पहले जैसलमेर के महारावल हो चुके थे और उसके बाद जैसा कि सिरोही में झगडा हुआ, वे राजगद्दी छोड गये और दूसरे राजा आ गये और उनको पेन्शन मुकर्रर की गई थी, ७५ रु० या ९५ रु० तनख्वाह थी, और ४ नौकर, २ नौकरानियां, दो गाडियां और २ घोडे, घास, पानी, यात्रा जायें तो उसका खर्चा, यदि उनकी लडकियां मायके आयें तो दहेज आदि। इस तरह की बातें तय की गई थीं। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हमारे यहां अंग्रेजी कायदा लागू हो गया और वह सारी बातें मन्जूर नहीं हुई, तो नेचुरली इस बात से हमें सहानुभूति थी कि उनको कोई कन्सोलिडेटेड अमाउन्ट मिलना चाहिए। यह दरियाफ्त करने में १।। साल लग गया कि वह कभी राजा रहे भी थे या नहीं। वह कभी जैसलमेर के महारावल रहे थे, उसका रेकॉर्ड आज तक नहीं मिलता है। खानगी तौर पर जो कलेक्टर वहां थे वह जानते थे। उनसे सार्टीफिकेट ले लिया और उस तरीके से यह हिसाब करना पडा है।

हमारी यह दिक्कत है कि पुरानी स्टेटों में रेकॉर्ड जो हैं वे मुकम्मल तरीके से मिलते नहीं हैं, वे ठीक ढंग से नहीं मिलते हैं। तो फिर हमने सर्क्युलर जारी किया कि जो जो बातें नहीं मिलती हों उनकी सूचना दो, ताकि कोई दूसरा रास्ता निकाला जाय। जो सूचना आती है उसके रास्ते निकाले जाते हैं।

इस चीज के लिये इन मामलों को निबटाने के लिए, पेन्शनों के लिए स्पेशल आफिसर भी हमने मुकर्रर किया है जो इन केसेज को देखता है और उससे काम भी हुआ है। पेन्शनों का जोर जैसा है वैसे हो भी गया है। पेन्शनों के बारे में श्री जसवन्तसिंहजी साहब ने, जो कि फाइनेन्स मिनिस्टर भी रह चुके थे, कहा था कि इन मामलों में जो देर करते हैं उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बन्द करदी जाय; वे कॉन्स्टिट्युशन की कुछ धाराओं के कारण ऐसा नहीं कर सकते थे। कुंवरसाहब खुद जानते हैं कि नारायणन के साथ बातचीत होने पर कांस्टिट्युशन के सामने उन्हें भी चुप रहना पडा। कुंवर साहब को खासतौर से इत्तिला करना चाहता हूं कि उसके बाद स्थिति काफी सुधरी है। पेन्शनों के जो ३८२९ केसेज दर्ज हुए थे, उनमें से रेकार्ड मुकम्मल होने की वजह से ११९८ तो हो गये और उनको फुल पेन्शनस दी जाने लगी हैं। दूसरे इसके बाद जिनका रेकार्ड मुकम्मल नहीं हुआ ऐसे १२६१ व्यक्तियों को एन्टीसीपेटरी (anticipatory) पेन्शनें दी जा रही हैं। उनकी पेन्शनें मुकम्मल हो जायगीं। कम से कम ७५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत के हिसाब से यह पेन्शनें दी जा रही हैं। फिर जो केसेज बाकी हैं उनके लिए खास तौर पर अकाउन्ट्स आफिसर मुकर्रर कर दिये गये हैं। वह इन मामलों की जांच कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि थोडे दिनों में यह स्थिति ठीक हो जायगी।

अपने यहां चीफ सेक्रेटरी या फाइनेन्स सेक्रेटरी ही नहीं चीफ मिनिस्टर भी इस बारे में खास दिलचस्पी लेते हैं और अकाउन्ट्स ऑफिसर की कान्फ्रेन्सेज करके और एकाउन्टेण्ट जनरल से बहुत

[श्री जयनारायण व्यास]
करके इस बात की तवज्जह दिलाई गई है। मेरा ऐसा ख्याल है कि जितना भयंकर रूप पहले था वह आज नहीं रहा है।

एक चीज मैं और बता दूं कि पहले से हमारे यहां कायदा भी है कि ६ महीने में पेपर्स मुकम्मल हो जाने चाहियें, लेकिन उसके बारे में मैं बता दूं कि वह इस उम्मीद में रहते हैं कि एक साल का एक्स्टेन्शन मिल जाय तो ठीक है। वह पेंशन के कायदे के मुताबिक अपने कागजात पहले से (६ महीने से) मुकम्मल नहीं करवाते हैं, एक्स्टेन्शन (समय-वृद्धि) की फिक्र में रहते हैं। अगर एक्स्टेन्शन नहीं मिलती है तो वह अपनी पेंशन के कागजात चलाना शुरू कर देते हैं। यह एक मनुष्य की स्वाभाविक बात है। और फिर पेंशन ५५ साल से नहीं ६० साल से होनी चाहिये, ऐसे प्रस्ताव जो हमारे यहां आते हैं उनसे भी वे सोचते हैं कि कहीं ६० साल से हो जाय तो एकाध साल का एक्स्टेन्शन लेलें तो ५ साल बच जायेंगे। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से पेंशनों में दिक्कत पहुंचती है।

यह सब होते हुये भी प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए कहा जाता है कि उसको मन्जूर कर लूं, लेकिन मन्जूर करने में दिक्कत होती है मेरी खास तौर से, रेकॉर्ड की। एकाउन्ट्स ऑफिसर भेजे हैं वे जाकर सारी जगह के जो रेकॉर्ड्स हैं उनको मुकम्मल करेंगे। इसी वजह से २,३ हजार केसेज तय भी हो चुके हैं। फिर भी अभी पूरे केसेज तय नहीं हुए हैं। आज जो प्रस्ताव पेश कर दिया गया है हम कोशिश में हैं कि उस प्रस्ताव की स्पिरिट (Spirit) में काम करेंगे, लेकिन आज हम प्रस्ताव पास कर देते हैं और फिर भी दूसरे दिन पेंशनें नहीं मिलती हैं तो यह एक भद्दी बात मालूम पडती है।

एक मिसाल जो कुंवर जसवन्तसिंहजी ने दी है उसकी तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मेरे ध्यान में है कि उस पर १-६-५१ को हुक्म हुआ था कि ग्रेच्यूटी (Gratuity) इतनी और पेंशन इतनी मिलेगी, और १-६-५१ को मेरे मित्र श्री जसवन्तसिंहजी फाइनेन्स मिनिस्टर थे। बावजूद उनके फाइनेन्स मिनिस्टर रहते हुए भी, फरवरी, १९५२ को शायद हम लोग विदा हुए हैं, तब तक वह फैसला नहीं हुआ था और पेंशन नहीं हुई थी। तो पहले के मिनिस्टर के समय की जिम्मेवरी हम पर कैसे लाद दी गई है? यह कैसे भी अगर मेरे ध्यान में लाया जायगा, १५५ दरख्वास्तों में से एक-दो मेरे पास भी आई होगी तो मैंने अकाउन्टेंण्ट जनरल के पास, इस रिमार्क से कि पेंशन के केसेज जल्दी कर दिये जायं हल करने के लिये भेज दी होगी। वे वहां अकाउन्टेण्ट जनरल के पास जाती हैं जो कि बिल्कुल ही इन्डिपेन्डेन्ट हैं।

इस प्रस्ताव को मन्जूर करने से पहले मैं पहले अपने घर को दुरुस्त कर लूं, अपने रेकॉर्ड मुकम्मल कर लूं, जहां रेकार्ड नहीं हैं उनको हासिल कर लूं, उसके बाद मैं आप से 'हां' भरूं कि अब से पेंशनें बराबर देता रहूंगा, जिस दिन से वे रवाना होंगे उस दिन से ही पेंशन का आर्डर दे दिया जायगा। उसके पहले केवल 'हां' कर देना ठीक नहीं, बल्कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है उसका जिक्र सदन को कर दिया है। मैं यादवजी को और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको जो चिन्ता है पेंशनों के मामले निबटाने की उससे ज्यादा चिन्ता हमको है। उनके पास

[श्री जयनारायण व्यास]

तो एक दो केसेज आते होंगे मगर हमारे पास तो बराबर केसेज आते हैं और हमारी चिन्ता बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में आप मेरे इस आश्वासन को पसन्द करेंगे जो मैंने दिया है और अपने इस प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बातें कही हैं उनसे मेरी धारणा यह बढ़ गई है कि इस प्रस्ताव को हमें जरूर पास कर देना चाहिए (हंसी) और इसका कारण सिर्फ यह है, मैं आपको बतादूं, कि मैं तो यह चाहता हूं कि अगर किसी का क्लेम (Claim) नहीं हो सकता है कागज नहीं मिलने तक, तो उसे प्रोवीजनल पेन्शन दे दी जाय.......

श्री जयनारायण व्यास—उनको एन्टीसिपेट्री पेन्शन (Anticipatory pension) दी जाती है। मैंने आपको इत्तिला कर दी।

श्री गोपीलाल यादव—उसके साथ में तय हो जाय; लेकिन जितने वह हो यह एन्टीसिपेटरी पेन्शन या और कोई न कोई चीज हो जानी चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—एन्टीसिपेट्री पेन्शन के लिए कुछ रेकार्ड की जरूरत रहती है, उसमें भी कुछ देरी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि १२६१ केसेज में एन्टीसिपेट्री पेन्शन्स दे दी गई हैं।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने जो उदाहरण अभी सदन के सामने पेश किया है वह उसी प्रकार की एक मिसाल है जिसमें कि एन्टीसिपेटरी पेन्शन और ग्रेचुएटी (Gratuity) मन्जूर हो चुकी है। १ जून १९५१ से वह एन्टीसिपेटरी पेन्शन और ग्रेचुएटी उस बेचारे गरीब को आज तक नहीं मिली है। उस एन्टीसिपेटरी पेन्शन के लिए ही १३२ दरख्वास्तें दी गई हैं, अलग अलग महकमों में। ऐसे केसेज पर जल्दी विचार करना चाहिए।

श्री जयनारायण व्यास—आप आज ही मुझे दें, मैं कल ही हुक्म दिला दूंगा।

श्री राजा हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)—चलो एक आदमी का कल्याण तो हुआ।

श्री गोपीलाल यादव—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आदमी अपनी पेन्शन क्लेम समय पर सबमिट नहीं करता है तो उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेन्ट पर नहीं है लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से एक साल भर का समय होना चाहिए कि इस समय में आप अपने कागजात मूव (move) कर दें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—६ महीने पहिले का सक्युलर (Circular) हो चुका है।

श्री गोपीलाल यादव—६ महीने का सक्यूंलर हो चुका है, बड़ी अच्छी बात है। यह कहा गया है कि कागजात नहीं मिलते हैं। आज राजस्थान को बने हुए ४ साल हो गये हैं, तो गवर्नमेन्ट को उस आदमी का ४ साल का तो पता है; इस वक्त का ५ साल में उसको ५० प्रतिशत आप दे सकते हैं। तो इस तरह से एन्टीसिपेटरी पेन्शन तो निश्चित् रूप से तय की जा सकती है और जिनके क्लेम्स (c aims) बाकी हों वे फौरन ही होने चाहिए और इस प्रस्ताव को पास करने से व्यासजी को यह ताकत मिलेगी कि वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट से कह सकेंगे कि किसी तरह महीने भर के अन्दर तैयार करके कागजात नहीं देते हों तो तुम्हारी तनख्वाह बन्द हो जायगी। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार कर लें। अगर वे नहीं करते हैं तो हाउस से कहता हूं कि हाउस इसको पास जरूर कर दे।

(कुंवर श्री जसवन्तसिंह बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैंने अपना जवाब दे दिया, कठिनाई बता दी। जब तक मैं अपने घर को ठीक नहीं कर लूं तब तक मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं 'हां' उसी वक्त करूंगा जब कि मैं उस चीज को कर सकूंगा।

मेरा ख्याल है कि जसवन्तसिंहजी ने जो मिसाल दी है वही पेश कर दूं। ६ महीनों तक वह दरख्वास्त देता रहा पर यह ऑर्डर उनका है और जवाब मुझको देना पड़ता है। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी केसेज हैं उनको हम जल्दी निबटा देंगे और ज्यों ही केसेज निबट जायेंगे रेकार्ड कंपलीट कर लिया जायगा।

श्री हिम्मतसिंह—पहले वाला ही रवैया नये केसेज में जारी रहेगा या और कोई कार्यवाही की जायगी।

श्री जयनारायण व्यास—मैं आश्वासन दे चुका हूं कि जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी काम निपटाया जायगा। मैं रिप्लाई दे चुका हूं, अब आपको प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह—वे पेश करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—क्योंकि किसी की बहस करने की इच्छा मालूम नहीं होती इसलिए अब इस पर मत लिये जायं।

श्री हिम्मतसिंह—इच्छा तो बहस करने की थी।

श्री उपाध्यक्ष—यह जो रिजोल्यूशन है वह इस प्रकार है—

"This House recommends to the Government of Rajasthan to see that the claims for pensions of Government employees are decided before they are retired on pensions so that from the very next month of their retirement they may get their pensions."

क्या सदन को यह स्वीकार है

(मतदान के पश्चात्)

श्री जसवन्तसिंह—'हां' पक्ष जीता Ayes, have it, Sir.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I want division, Sir. NOES have it Sir.

श्री गोपीलाल यादव—यह तो स्वीकार कर लीजिये 'हां' पक्ष जीता है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the resolution of Shri Gopilal Yadav b accepted.

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता

श्री जयनारायण व्यास—We want division, Sir.

विभाजन सूची निम्न प्रकार है:

'हां' पक्ष ५१

(१) श्री अबनि कुमार मुकर्जी
(२) लें० क० श्री राजाधिराज अमरसिंह
(३) सरदार श्री अर्जुनसिंह
(४) श्री जुझारसिंह
(५) मेजर ठाकुर भैरूसिंह (सोजत दसूरी)
(६) ठाकुर श्री भैरूसिंह (बाली दसूरी)
(७) श्री भैरूसिंह (राजसमन्द-रेलमगरा)
(८) ठा० श्री भानु प्रतापसिंह
(९) श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)
(१०) ठा० श्री भीमसिंह
(११) श्री भोपालसिंह
(१२) लें० क० कुंवर श्री बिशनसिंह
(१३) पं० चन्द्रकान्तराव
(१४) श्री चतरसिंह
(१५) श्री छीतरलाल शर्मा
(१६) कुंवर श्री देवीसिंह
(१७) लें० क० श्री आर. दिलीपसिंह
(१८) श्री गनपतसिंह
(१९) श्री गोपीलाल यादव
(२०) श्री हनवन्तसिंह
(२१) श्री हरिसिंह
(२२) श्री राजा हिम्मतसिंह (अटरू)
(२३) श्री जगतसिंह झाला
(२४) कुंवर श्री जसवन्तसिंह
(२५) श्री जवानसिंह सोलन्की
(२६) श्री जयेन्द्रसिंह
(२७) श्री कानसिंह
(२८) श्री केसरीसिंह (सोजत खास)
(२९) महाराज श्री केसरीसिंह (पाटन)
(३०) श्री केसरीसिंह (मांडलगढ़)
(३१) श्री खेतसिंह
(३२) ठा० श्री लक्ष्मणसिंह
(३३) ठा० श्री माधोसिंह (बाड़मेर सी.)
(३४) ठा० श्री माधोसिंह (जालोर ए.)
(३५) श्री मंगलसिंह कछवाहा (जोधपुर उत्तर बहुजीव)
(३६) श्री मोहबतसिंह

Page No.69

(३७) श्री नाथूसिंह
(३८) श्री प्रतापसिंह (चितौड़)
(३९) श्री प्रतापसिंह (सुजानगढ)
(४०) मेजर ठाकुर श्री रघुबीरसिंह
(४१) मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह
(४२) पं० रूपनारायण शास्त्री
(४३) केप्टिन सज्जनसिंह
(४४) श्री संतोषसिंह कछवाहा
(४५) राव राजा श्री सरदारसिंह
(४६) रावत श्री शंभूसिंह
(४७) महाराज श्री शिवदानसिंह
(४८) श्री तनसिंह
(४९) श्री तेजराजसिंह गेन्ता
(५०) कुंवर श्री तेजसिंह
(५१) डा० श्री उम्मेदसिंह

'ना' पक्ष ७२

(१) श्री अमृतलाल यादव
(२) श्री बद्रीलाल
(३) श्री बलवीरसिंह
(४) श्री भवानी सहाय शर्मा
(५) श्री भोगीलाल पंड्या
(६) श्री भोलानाथ
(७) श्री बिशम्भरनाथ जोशी
(८) श्री चन्दनमल बैद
(९) श्री जयनारायण व्यास
(१०) श्री छंगा
(११) श्री चुन्नीलाल बिरला
(१२) श्री दामोदर व्यास
(१३) श्री दीनबन्धु परमार
(१४) श्री धर्मपाल
(१५) श्री धूलजी भाई भावसार
(१६) श्री दुर्लभसिंह
(१७) श्री घासीराम
(१८) श्री घासीराम यादव
(१९) श्री घीसींसिंह कटेला
(२०) श्री जी. सी. कासलीवाल
(२१) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु
(२२) श्री हंसराज आर्य (भाद्रा)
(२३) श्री हंसराज जटिया (बारी)
(२४) श्री हरिदेव जोशी
(२५) श्री हरिराम निनामा
(२६) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
(२७) सरदार श्री हरलालसिह
(२८) श्री द्वारकादास पुरोहित
(२९) श्री जयचन्द्र मोहिल
(३०) श्री कंवरलाल जेलिया
(३१) श्री कपिलदेव अग्रवाल
(३२) श्री कस्तूरचन्द
(३३) श्री किशनलाल शाह
(३४) चौधरी श्री कुम्भाराम आर्य
(३५) श्री लाल बहादुर
(३६) श्री लालूराम
(३७) श्री लक्ष्मण हिरात
(३८) श्री माधोलाल (मेहर)
(३९) श्री महादेव प्रसाद एन. पंडित
(४०) श्री महादेव प्रसाद बंका
(४१) डा० श्री मंगलसिंह (बारी)
(४२) श्री मन्ना भील
(४३) श्री मनफूलसिंह भादू
(४४) श्री मथुरादास
(४५) मौलवी श्री मोहम्मद इब्राहिम
(४६) श्री मोहनलाल सुखाड़िया
(४७) श्री मोटाराम
(४८) श्री मोतीचन्द खजान्ची

(४९) श्री मोतीलाल चौधरी
(५०) श्री मोतीराम
(५१) श्री नारायण चतुर्वेदी
(५२) श्री नारायणलाल
(५३) श्री नरसिंह कछवाहा
(५४) श्री नाथूराम
(५५) श्री प्रभुदयाल
(५६) श्री रामचन्द्र चौधरी
(५७) श्री रामकिशोर
(५८) श्री रामलाल वंसीवाल
(५९) श्री रामरतन टिक्कीवाल
(६०) श्री रोशन लाल शर्मा
(६१) श्री सम्पतराम
(६२) शाह श्री अलीमुद्दीन अहमद
(६३) श्री श्रीदास गोयल
(६४) श्री श्रीगोपाल भार्गव
(६५) श्री श्याम लाल गोयल
(६६) श्री सोहनलाल भटनागर
(६७) श्री सोमा वालू भील
(६८) श्री सुगनचंद जैन
(६९) श्री तेजमल बापना
(७०) श्री तेजपाल
(७१) श्री टीकाराम पालीवाल
(७२) श्री उदय लाल बरदिया

श्री उपाध्यक्ष—विभाजन का परिणाम यह है –'हां' पक्ष –५१ 'ना' पक्ष –७२

(विराम)

यह प्रस्ताव (संकल्प) अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब श्री गोपीलाल यादव अपना तीसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे

प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स अध्यापकों तथा डॉक्टरों को सुपर एन्युएशन अवस्था साठ वर्ष करने सम्बन्धी संकल्प

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मेरा तीसरा प्रस्ताव, जो मैं सदन के सम्मुख पेश करना चाहता हूं, यह है—

"This House is of the opinion that the superannuation age of Professors, Lecturers, Teachers and Doctors be raised to 60".

हिन्दी में यह प्रस्ताव इस प्रकार है:—

कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, लेक्चरार और स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स (अध्यापकों) और अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टर्स की पेन्शन पर रिटायर होने की उम्र ५५ साल के बजाय ६० साल कर दी जाय।

इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मुझे यह निवेदन करना है कि ५५ साल की अवस्था वह अवस्था है जिस वक्त की आदमी बिल्कुल जवान होता है। (हंसी)

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व एवं शिक्षा मंत्री)—यां मेच्योर (Mature) होता है।

[श्री गोपीलाल यादव]

और काम में दक्ष होता है । तो जिस वक्त एक आदमी काम में दक्ष होने की अवस्था में आता है उस वक्त हम कहते हैं कि तुम रिटायर हो जावो । इस बात को सरकार मानती भी है और उसके बाद एक्सटेन्शन दे देती है । मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्या है ? जो लोग योग्य हैं और जिनकी आप आवश्यकता अनुभव करते हैं उनको एक्सटेन्शन दे ही देते हैं, किन्तु होता क्या है कि अवसर ऐसा देखने में आया है कि जो बिलकुल काम करने योग्य होते हैं, तन्दुरुस्त होते हैं, जिनका दिमाग और दिल तन्दुरुस्त होता है वे तो रिटायर कर दिये जाते हैं किन्तु जिनको कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता (हंसी तथा सरकारी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री टीकाराम पालीवाल—I am tempted to know the age of my friend.

श्री गोपीलाल यादव—मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे आदमी सर्विस में मिलते हैं जो ६० साल के हो गये हैं या उसके लगभग हैं, जिनका शरीर और जिनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वे मेन्योर करते हैं, उनको एक्सटेन्शन मिल जाता है और बाकी जो तन्दुरुस्त होते हैं दक्ष होते हैं और काम करने लायक होते हैं उनको एक्सटेन्शन नहीं मिलता । एक्सटेन्शन का ही केवल सवाल नहीं है । अभी मैंने पढ़ा कि जब पं० जवाहरलाल नेहरू गए थे तो वे स्विटजरलेंड में अपने बच्चों को, अपनी लड़की के बच्चों को देखने गए, स्कूल के पढ़ाने वाले अध्यापक और उनकी पत्नी पंडितजी से मिले । उनका फोटो देखियेगा । आप युरोप के मुल्कों में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकारी स्कूल और कॉलिजों के अन्दर ७० साल और ७१ साल रिटायरमेन्ट की उम्र है ।

और यह दूसरे मुल्कों में है और हिन्दुस्तान में जो युनिवर्सि- टियां हैं उनमें कम से कम आज अवस्था ६० साल है और कहीं कहीं ६२ साल भी है । पर ६० से कम किसी युनिवर्सिटी में नहीं है ।

मैं यह नहीं समझता कि एक आदमी जो युनिवर्सिटी की सर्विस में चला जावे वह ६० साल तक तो कम से कम काम करने योग्य रहता है, पर जो सरकार की सर्विस में आजावे वह ५५ साल में ही अयोग्य हो जाता है, यह कुछ गलत सी चीज हमारे यहां चली आ रही है ।

यह हिसाब कैसे लगाया जाता है कि एक समय था जब कि हिन्दुस्तान की औसत उम्र २०-२२ वर्ष की थी तब रिटायर होने की अवस्था ६० साल हो सकती है या ५५ और यह मुकर्रर की गई पर आज हमारी औसत उम्र बढ़कर तीस-चालीस के लगभग पहुंच गई है । तब भी इतनी ही उमर रिटायर होने की रखने से क्या मतलब है ? दूसरे मुल्कों में ९०-९० और ९५-९५ तक औसत उम्र है और वहां रिटायर होने की उम्र सत्तर पचहत्तर है ।

हमारे यहां इस वक्त इन्फेन्ट्स (बच्चों) की मौतें कम हो रही हैं । नये नये इलाज और दूसरी दूसरी चीजें शुरू हो गई हैं । जो पहले प्लेग और इसी तरह की दूसरी बीमारियों में लाखों आदमी मर जाते थे वह चीज अब बन्द हो गई है । इसलिए जब औसत उम्र हमारी बढ़ गई है तो रिटायरमेन्ट की

२८४ प्रोफेसर्स लेक्चरार्स अध्यापक तथा डाक्टरों की सुपर एन्युएशन अवस्था का साठ वर्ष सम्बन्धी संकल्प

(श्री गोपीलाल यादव)

उम्र भी बढानी चाहिये और खास तौर से उन उन महकमों में जिनमें ट्रेन्ड पर्सनल्स नहीं हैं; न काफी डॉक्टर्स हैं, न हमारे यहां काफी प्रोफेसर्स हैं । इस पर विचार करना निहायत जरूरी है । मैंने अभी एप्रोप्रियेशन एक्ट पर रिपोर्ट देखी । इसमें सरकार को बचत क्यों हो गई ? उसमें काफी जगहें खाली रक्खी गई, भरी नहीं । मैं तो यह नहीं कह सकता कि जानकार लोग नहीं मिलते ।

श्री जयनारायण व्यास—कई महकमों में यह इन्स्ट्रक्शन्स दी गई थीं कि वे जगह खाली ही रक्खें, इन्कम सेव करने की वजह से ।

श्री गोपीलाल यादव (जारी)—ज्यादातर ऐसे महकमें हैं हो जहां लेक्चरार्स, डाक्टर्स और अच्छे टैक्नीशियन्स नहीं मिलते ।

मैं इस पर अधिक न कहकर यही कहना चाहता हूं कि हम हमारे लोगों को ५५ साल की जवान उम्र में रिटायर करते हैं, जिस वक्त वे काम करने के योग्य हैं । यह उम्र आप बढा दीजिये । हां, ५५ साल की उम्र हो जाने पर हरएक आदमी का मेडिकल टेस्ट आप जरूर करवा लीजिये । हो सकता है कि किसी आदमी की उम्र ५५ साल में रिटायर होने की हो सकती है, किसी की ५० में भी हो सकती है । इसलिये मेडिकल टेस्ट आप भले ही करवा लीजिये । पर और लोगों के लिए आप रिटायर होने की उम्र बढाकर ६० वर्ष कर दीजिये । पर जो ऐसे हैं जैसे हमारे जवाहरलालजी नेहरू ही को ले लीजिये वे आज ६४-६५ साल की उम्र में भी जवान की तरह दीखते हैं और काम करते हैं । आम तौर से ५५ की उम्र जवानी की है । ६० के बाद जवानी ढलनी शुरू होती है, ७५ साल के बाद बुढ़ापा लगता है । तो मैं यह मान कर चलता हूं कि ५५ साल की उम्र में रिटायर करना बिलकुल मौत के मुंह में डालना है और अक्सर होता यही है कि रिटायर होने के बाद सारे घर का बोझा उसके सिर पर आ जाता है । बहुत से बच्चे हैं, बडा घर है और रिश्वत लेकर घर भरा नहीं है कि जिससे घर का बोझा न लगे । नतीजा यह होता है कि जल्दी उम्र में रिटायर होने वाला सोचता है कि पेंशन भी नहीं मिली और पैसा भी पास नहीं जुडा तो चलो रिश्वत लो जिससे कम से कम दस साल के लिए तो अपना और अपने घर का भरण-पोषण करके किसी तरह रिटायरमेन्ट की लाइफ निकाल सकें ।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर देश की पब्लिक सर्विसेज को पक्का करना है, स्टेबिलिटि और हिम्मत लाना है तो कम से कम इन दो-तीन महकमों में, जिनमें ज्यादा अच्छा काम करते हैं; फौज या मिलिटरी की नौकरी को छोड कर, बाकी कम से कम प्रोफेसर, डाक्टर आदि के इन महकमों में रिटायर होने की उम्र ६० वर्ष कर दीजिये, इससे पहले वे रिटायर न हों ऐसा कर दीजिये । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हमारे यहां ऐसी भी स्टेट थी जहां सर्विस, मरने के बारह दिन बाद भी रहती थी । ऐसी धौलपुर स्टेट थी ।

श्री मथुरादास माथुर—यह मत्स्य में तो नहीं था ।

श्री गोपीलाल यादव—यह एक फैक्ट की चीज है जिसको मेरे मित्र डाक्टर मंगलसिंहजी बतलावेंगे । वहां कभी किसी आदमी को पेंशन पर रिटायर नहीं किया जाता और इसका नतीजा यह हुआ कि धौलपुर में लोग बूढे ही मुश्किल से होते थे, आम तौर पर ८० साल से कम की उम्र में भी काम करते नजर आते थे, घोडे पर चलते नजर आते थे और यही क्यों आज भी हमारे डाक्टर साहब को जवानों में दौडा लीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर—यह तो बनारस में रहते हैं साहब ।

श्री गोपीलाल यादव—जहां लोगों को बेफिक्री होगी काम अच्छा करेंगे, हिम्मत से करेंगे। इसलिए आप कम से कम मास्टरों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों आदि की रिटायरमेन्ट की उम्र ६० साल की कर दीजिये। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें विरोध की आवश्यकता नहीं होगी । मेरे मित्रों ने अभी पहले स्वीकार भी किया । चाहे जिस्म किसी और के साथ रहा हो, पर आत्माएं मेरे साथ थीं ।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गोपीलालजी यादव ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसके विरोध में मुझे कुछ कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, गोपीलालजी के दृष्टि कोण में उन्होंने यह उचित समझा है कि जो कॉलेज के प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स, डाक्टर्स हैं उनकी रिटायरमेन्ट की अवधि ५५ साल से ६० साल कर दी जावे ।

हमारे भारत देश में चार प्रकार के आश्रम माने गये हैं—पहला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा सन्यासाश्रम। यदि इस क्रम से अपन देखते हैं तो वानप्रस्थ और सन्यास के अन्दर, उस काल में मैं समझता हूं कोई भी आदमी काम करने को तैयार नहीं हो सकता ।

हमारे ऋषि-मुनियों ने जो इस प्रकार के आश्रम बनाये हैं वे सोच-समझ कर बनाये हैं और यह ठीक समझा कि ५० साल के बाद आदमी ग्राहस्थ्य कार्यों में टिका न रहे । इसलिए मुझे निवेदन करना है कि इस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो गृहस्थ का कार्य भी ठीक संचालन नहीं कर सकते हैं वह सरकारी कार्य किस तरह से ठीक कर सकते हैं ?

दूसरी चीज मुझे अर्ज करना है आज की बढती हुई बेकारी की समस्या के बारे में । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे भारतवर्ष में इस प्रकार की आवाज उठ रही है कि हमारे देश के अन्दर बेकारों की समस्या काफी भीषण होती जा रही है और इसका सही से सही हल निकले इसके लिए हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वे सारे इस पर विचार कर रहे हैं और उनको इसका रास्ता निकालने में बडी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है ।

पर इसके विरुद्ध अगर हम इस तरह का प्रस्ताव पास करेंगे कि २० बरस की उम्र में आदमी भरती हों और ६० साल की उम्र में रिटायर हों और इस तरह लगातार ४० वर्षों तक एक ही आदमी एक ही पद पर टिका रहे तो दूसरे आदमी को कोई मौका ही नहीं मिलेगा । इसलिए उन नौजवानों की, जो टैक्निकल शिक्षा प्राप्त करके देश-विदेशों की युनिवर्सिटियों से निकले हैं, वृद्धि का फायदा उठाने

२८६ प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स, अध्यापक तथा डॉक्टरों की सुपर एन्युएशन की अवस्था साठ वर्ष करने सम्बन्धी संकल्प

[श्री भैरोंसिंह वि० सं० १६]

की दृष्टि से और उनके द्वारा देश-सेवा का मौका उन्हें देने की दृष्टि से उन व्यक्तियों को ५० साल के बाद सर्विस में नहीं रहने देना चाहिये ।

हमारे राजस्थान में कहावत भी है कि "साठिया बुद्धि नाठिया"। जिसकी साठ साल की उम्र हो जाती है उसकी बुद्धि निकल जाती है । मैं समझता हूं कि ऐसे एक आदमी को जिसकी साठ साल की उम्र में बुद्धि निकल जावे उसको उसी समय रिटायर कर दिया जाना ज्यादा ठीक होगा जब कि उसकी अक्ल का दिवाला निकलना शुरु हो जावे, यानी ६० साल के पहले ही उसे अलग कर दिया जावे, बनिस्पत इसके कि उसकी अक्ल का दिवाला निकल जाने के बाद उसे रिटायर किया जावे ।

इसके अतिरिक्त बेकारी की समस्या को दृष्टि में रखते हुए तथा उनकी मानसिक विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए यही अधिक उचित है कि उसे ५० साल की उमर में ही रिटायर कर दिया जाय ।

माननीय गोपीलालजी यादव ने यूरोपीय देशों का हवाला देकर बताया कि वहां साठ और सत्तर-सत्तर साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं परन्तु उन्होंने भारत की आर्थिक और शारीरिक हालत की ओर ध्यान नहीं दिया । अगर वे ध्यान देते तो यूरोपीय देशों में, जहां डेथ का एवरेज ४० साल है, पेंतीस-पेंतीस, पचास-पचास और पचपन-पचपन साल भी है, वहां हिन्दुस्तान में २० साल या २२ साल है ; इसका ख्याल रखते । इस साल डेथ एवरेज देखते हुए हिन्दुस्तान की एवरेज २२ साल है । (सदन में आवाज कि यह पुरानी मर्दमशुमारी के आधार पर है, नई मर्दमशुमारी के अनुसार १६ के करीब है) मैं अगर गलती पर हूं तो बाईस-तेईस हो सकती है । तो इस तरह से दूसरे देशों की अगर तुलना करें तो ठीक नहीं है ।

इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए युरोपीय देशों का कोई भी कानून भारत पर लागू करने पर कई मुश्किलें रहती हैं । इसीलिए मैंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ।

जमाना बड़ा परिवर्तनशील है । इसमें कई प्रकार के युग आते रहे हैं । सामन्तशाही के जमाने का कोई सरकारी मुलाजिम है तो डिक्टेटरशिप या जनतन्त्रवाद के ढांचे में वह अपने आपको नहीं ढाल सकता । एक प्रकार से संकुचित विचार-धारा उन लोगों में हम पाते हैं जो राजाओं के वक्त में हमें देखने को मिलती थी, जिनका हमने विरोध किया था प्लेटफार्म से और अन्य जगहों से भी । गुलामी के मुलाजिम में गुलामी की भावना भरी हुई है । जो व्यक्ति एक ऐसे शासन काल में कार्य कर लेता है, जिसे हम गुलामी का युग कहते हैं तो वह मुलाजिम क्रान्तिकारी शासन के लिए अपने आपको परिवर्तित नहीं कर सकता । वह अपने आपको उसके अनुसार ढाल नहीं सकता । जब कि आज का युग जल्दी से जल्दी परिवर्तनशील युग है तो ऐसे युग में यह ठीक नहीं । इन चालीस सालों में कई प्रकार शासन परिवर्तित हो सकते हैं, राजशाही से हटकर प्रजातन्त्र का शासन आ सकता है, उसी प्रकार डिक्टेटरशिप का भी शासन-काल आ सकता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो संकुचित विचार-धारा सर्विस करने से उनमें पैदा हो गई है उनके संकुचित विचारों को दूर करने से उनकी

Page No.75

[श्री भैरूसिंह]

संकुचित विचार धारा के कारण शासन का काम उनसे ठीक प्रकार से नहीं चल सकता और न हम उनसे यह आशा भी रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ और इन सारी बातों को लेकर मैंने श्री गोपीलालजी यादव के प्रस्ताव का विरोध किया है।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि अब साढ़े बारह बज चुके हैं इसलिए सदन की कार्यवाही कल ८॥ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, ७ सितम्बर, १९५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर देखिये)

Statement showing the number of schools districtwise opened in 1953-54.

Name of District.		Primary schools boys.	Primary Schools Girls.	Total.
1. Jaipur ..	..	64	13	77
2. Jodhpur ..	..	31	..	31
3. Pali ..	..	26	12	38
4. Barmer ..	..	20	..	20
5. Jalore ..	..	18	11	29
6. Sirohi ..	..	41	10	51
7. Udaipur ..	..	52	15	67
8. Bhilwara ..	..	30	4	34
9. Chittore ..	..	21	6	27
10. Banswara ..	..	15	2	17
11. Dungarpur ..	..	12	6	18
12. Sikar ..	..	28	6	34
13. Jhunjhunu ..	..	28	..	28
14. Alwar ..	..	41	9	50
15. Bharatpur ..	..	37	7	44
16. Kotah ..	..	24	6	30
17. Bundi ..	..	13	2	15
18. Jhalawar ..	..	9	2	11
19. Tonk ..	..	5	3	8
20. Sawaimadhopur	..	25	1	26
21. Bikaner ..	..	10	6	16
22. Churu ..	..	23	2	25
23. Ganganagar	..	24	6	30
TOTAL	..	597	129	726

परिशिष्ट २

(ये तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है ।)

58. (18/R.M.) **Shri H. K. Vyas, M.L.A.** (*Div. No.* 160)—Will the **Minister for Revenue** be pleased to answer :—

(*a*) Is the Government aware that there is a wide-spread discontent in the public against the Tehsildar, Lalsot?

(*b*) Is the Government aware that grave charges of corruption, embezzlement, tempering with records, abetment of crimes and even murder have been publicly levelled against him?

(*c*) Has the Government received any representation in this matter?

(*d*) What steps has the Government taken and what more it proposes to take?

उत्तर

(*a*) No such report or complaints have been received by the Government.

(*b*) No.

(*c*) No.

(*d*) No.

59. (8/P.W.M.) **Shri H. K. Vyas, M.L.A.** (*Div. No.* 160)—Will the **Minister for Education** be pleased to answer :—

(*a*) Why do the Government Colleges not run night classes for Intermediate and Post Degree classes?

(*b*) Is the Government aware that a large number of students have to leave their studies because there are no facilities for night classes?

(*c*) Will the Government consider opening of night classes for these classes ?

उत्तर

(१) सरकार का यह विचार है कि अच्छा नागरिक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि कम से कम इन्टरमीडीयेट तक तो विद्यार्थी को संपूर्ण स्कूल वातावरण में तथा पूरी पठनोत्तर प्रवृत्तियां

(Extra Carricular-Activities) यानी खेल, स्काउटिङ्ग आदि के साथ शिक्षा दी जाये। यह बातें रात्रि-कक्षाओं में संभव नहीं हैं।

स्नातकोत्तर (Post Degree) कक्षाओं के लिये रात्रि-कक्षाओं का प्रबंध न करने का कारण यह है कि इन कक्षाओं में अपने अपने विषय के विशेषज्ञ तैयार किये जाते हैं ऐसा करना तभी संभव है जब कि विद्यार्थी अपना संपूर्ण समय उस अध्ययन विशेष में लगावें। रात्रि-कक्षाओं में अधिकतर दिन को दूसरा काम करने वाले विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, किन्तु यह क्रम स्नातकोत्तर उच्च शिक्षा के लिये स्वस्थ और उचित नहीं है।

(२) हां।

(३) नहीं।